रजि० सं० डी०-(डी०)—78 REGISTERED NO. D-(D)—78

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 37] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 16, 1978 (भाद्रपद 25, 1900)
No. 37] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 16, 1978 (BHADRA 25, 1900)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1
PART III—SECTION 1

उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के संलग्न और अधीन कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं

(Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India)

संघ लोक सेवा आयोग

नई दिल्ली-110011, दिनांक 4 अगस्त 1978

सं० ए० 12025/1/77 प्रशा०-II—अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा संयुक्त बीजलेख ब्यूरो, रक्षा मंत्रालय के स्थायी तकनीकी सहायक श्री एम० एल० रूस्तगी को 29-7-78 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में प्रोग्रामर के अस्थायी पद पर नियुक्त किया जाता है।

दिनांक 18 अगस्त 1978

सं० ए० 19012/2/78-प्रशा० I—भा० पु० से० के अधिकारी श्री एच० सी० जाटव को, राष्ट्रपति द्वारा 4-8-1978 (पूर्वाह्न) से आगामी आदेशों तक संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली के कार्यालय में भारत सरकार के निदेशक ग्रेड (रु० 2000-125/2-2250) में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त किया जाता है।

दिनांक 19 अगस्त 1978

सं० ए० 12025/1/78-प्रशा० I—सूचना और प्रसारण मंत्रालय के संवर्ग में स्थायी वैयक्तिक सहायक (के० स० स्टे० से० का ग्रेड ग) तथा कृषि और सिंचाई मंत्रालय के ग्राम विकास विभाग में स्थानापन्न वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक श्री जोगिन्दर सिंह को, राष्ट्रपति द्वारा 10-8-78 (पूर्वाह्न) से आगामी आदेशों तक संघ लोक सेवा आयोग के संवर्ग में वरिष्ठ वैयक्ति सहायक (के० स० स्टे० से० का ग्रेड ख) के पद पर नियुक्त किया जाता है।

प्र० ना० मुखर्जी, अवर सचिव
संघ लोक सेवा आयोग

गृह मंत्रालय
कार्मिक एवं प्रशासनिक
सुधार विभाग
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

नई दिल्ली, दिनांक 22 अगस्त 1978

सं० बी-72/66-प्रशासन-5—राष्ट्रपति अपने पद से श्री बलिराम दुबे, पुलिस उप अधीक्षक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो,

विशेष पुलिस स्थापना को दिनांक 4-8-78 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश तक के लिए अस्थाई रूप से स्थानापन्न अधीक्षक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो/विशेष पुलिस स्थापना नियुक्त करते हैं।

के० के० पुरी,
उपनिदेशक (प्रशासन)
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

नई दिल्ली, दिनांक 26 अगस्त 1978

सं० ए०-19036/22/78-प्रशा० 5—निदेशक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो एवं पुलिस महानिरीक्षक, विशेष पुलिस स्थापना, एतद्द्वारा, बिहार राज्य पुलिस के उप-अधीक्षक, श्री एम० एच० खान को दिनांक 8-8-78 के पूर्वाह्न से अगले आदेश तक के लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, विशेष पुलिस स्थापना में पुलिस उप-अधीक्षक के रूप में नियुक्त करते हैं।

रिपुदमन सिंह
प्रशासनिक अधिकारी (लेखा)
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

नई दिल्ली-110001, दिनांक 22 अगस्त 1978

सं० डी० एक-दो/75-स्थापना—राष्ट्रपति, निम्नलिखित सूबेदारों को उप पुलिस अधीक्षक (कम्पनी कमाण्डर/क्वार्टर मास्टर) के पद पर केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में केवल तदर्थ रूप में उनके नाम के आगे लिखी तारीखों तक पदोन्नत करते हैं :—

सं०	अधिकारी का नाम	कब से	कब तक
1.	श्री भूम सिंह	24-12-74	31-3-75
2.	श्री राजपाल सिंह	21-12-74 (अपराह्न)	9-3-75
3.	श्री शिवचरन सिंह	23-12-74	7-3-75

उपर्युक्त तदर्थ रूप में हुई पदोन्नति से उक्त अधिकारियों को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में, उप पुलिस अधीक्षक पद की वरिष्ठता/पुष्टि मान्य नही होगी।

दिनांक 23 अगस्त 1978

सं० ओ० दो० 1038/75-स्थापना—महानिदेशक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ने डाक्टर (श्रीमती) उषा जैन को 6-7-78 के पूर्वाह्न से केवल 3 माह के लिये, अथवा उस पद पर नियमित नियुक्ति होने तक, इनमे जो भी पहले हो, उस तारीख तक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में कनिष्ट चिकित्सा अधिकारी के पद पर तदर्थ रूप में नियुक्त किया है।

दिनांक 26 अगस्त 1978

सं० ओ० दो० 27/73-स्थापना—श्री जी० सी० भण्डारी भारतीय रक्षा लेखा सेवा अधिकारी ने अपने मूल विभाग में प्रत्यावर्तन के फलस्वरूप, महानिदेशालय केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में, सहायक वित्त सलाहकार के पद का कार्यभार दिनांक 9-8-78 (अपराह्न) को सौंप दिया।

सं० ओ० दो० 32/78-स्थापना—राष्ट्रपति, श्री पी० एम० सेन, भारतीय लेखा-परीक्षा एवं लेखा सेवा अधिकारी को प्रतिनियुक्ति पर, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल मे सहायक वित्त सलाहकार के पद पर दिनांक 9-8-78 (अपराह्न) से अग्रिम आदेश जारी होने तक नियुक्त करते हैं।

ए० के० बन्द्योपाध्याय
सहायक निदेशक (प्रशासन)

महानिरीक्षक का कार्यालय

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

नई दिल्ली-110019, दिनांक 24 अगस्त 1978

सं० ई०-16013(1)/78-कार्मिक—संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली के निदेशक के रूप में नियुक्ति होने पर श्री एच० सी० जाटव भा० पु० से० (सं० शा० क्षेत्र-59) ने 31 जुलाई, 1978 के अपराह्न से दुर्गापुर स्टील प्लांट, दुर्गापुर के उप महानिरीक्षक/के० औ० सु० ब० पद का कार्यभार छोड़ दिया।

सं० ई०-38013(2)/1/78 कार्मिक—मद्रास में स्थानांतरण होने पर श्री डब्ल्यू० जे० डॉसन, भा० पु० से० (केरल-65) ने 28 जुलाई, 1978 के पूर्वाह्न से के० औ० सु० ब० यूनिट एस० एच० ए० आर० सेंटर श्रीहारीकोटा (आंध्र प्रदेश) के कमांडेंट पद का कार्यभार छोड़ दिया।

सं० ई०-38013(2)/1/78-कार्मिक—श्री हारीकोटा से स्थानांतरण होने पर श्री डब्ल्यू० जे० डॉसन ने, श्री एल० एम० देवासहायम के स्थान पर, 3 अगस्त 1978 के पूर्वाह्न से के० औ० सु० ब० यूनिट मद्रास पोर्ट ट्रस्ट मद्रास के कमांडेन्ट पद का कार्यभार सम्भाल लिया। श्री देवासहायम ने उक्त पद का कार्यभार उसी तारीख से छोड़ दिया।

सं० ई०-38013(2)/1/78-कार्मिक—होशंगाबाद से स्थानांतरण होने पर श्री वी० जी० थत्ते ने 28 जुलाई, 1978 के पूर्वाह्न से के० औ० सु० ब० यूनिट बी० ए० एल० सी० ओ० कोरबा (म० प्र०) के कमांडेंट पद का कार्यभार सम्भाल लिया।

सं० ई०-38013(2)/1/78-कार्मिक—नांगल से स्थानांतरण होने पर दलजीत सिंह ने, ले० कर्नल आर० एस० रंधावा के स्थान पर, 10 जुलाई 1978 के पूर्वाह्न से के० औ० सु० न० यूनिट बी० एच० ई० एल० हरिद्वार के कमांडेंट पद का कार्यभार सम्भाल लिया और ले० कर्नल रंधावा ने उसी तारीख से उक्त पद का कार्यभार छोड़ दिया।

सं० ई०-38013(3)/1/78-कार्मिक—बड़ौदा में स्थानांतरण होने पर श्री एम० एल० अबरौल ने 31 जुलाई, 1978 के अपराह्न से के० औ० सु० ब० यूनिट एच० ई० सी० रांची के सहायक कमांडेंट पद का कार्यभार छोड़ दिया ।

सं० ई०-38013(3)/1/78-कार्मिक—राष्ट्रपति श्री जी० एस० जौहल को 28 मई 1978 के पूर्वाह्न से के० औ० सु० ब० यूनिट आई० ओ० सी० बरौनी का स्थानापन्न रूप से तदर्थ आधार पर सहायक कमांडेंट नियुक्त करते है और उन्होंने उक्त पद का कार्यभार उसी तारीख से सम्भाल लिया ।

सं० ई०-38013(3)/1/78-कार्मिक—विशाखापटनम से स्थानांतरण होने पर श्री संतोख सिंह ने 24 जुलाई 1978 के पूर्वाह्न से के० औ० सु० ब० यूनिट एच० आई० एल० नई दिल्ली के सहायक कमांडेंट पद का कार्यभार सम्भाल लिया ।

सं० ई०-38013(3)/1/78-कार्मिक—दिल्ली से स्थानांतरण होने पर श्री एस० सी० लाल ने 7 अगस्त, 1978 के अपराह्न से के० औ० सु० ब० मुख्यालय, नई दिल्ली के सहायक कमांडेंट (क० प्र० अ०)/भर्ती व प्रशिक्षण के पद का कार्यभार छोड़ दिया ।

सं० ई०-38013(3)/1/78-कार्मिक—दिल्ली को स्थानांतरण होने पर श्री संतोख सिंह ने 19 जुलाई, 1978 के अपराह्न से के० औ० सु० ब० यूनिट वी० पी० टी० विशाखापटनम के सहायक कमांडेंट के पद का कार्यभार छोड़ दिया ।

नरेन्द्र प्रसाद
सहायक महानिरीक्षक (कार्मिक)
के० औ० सु० ब० मुख्यालय

भारत के महापंजीकार का कार्यालय

नई दिल्ली-110011, दिनांक 26 अगस्त 1978

सं० 10/24/77-प्रशा०-I—संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर, राष्ट्रपति श्रीमती मिनाती घोष को नई दिल्ली में भारत के महापंजीकार के कार्यालय में तारीख 17 जुलाई, 1978 से अगले आदेशों तक नियमित आधार पर अस्थायी तौर पर अनुसंधान अधिकारी (मानचित्र) के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं ।

श्रीमती घोष का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा ।

दिनांक 29 अगस्त 1978

सं० पी० पी०/(35)-प्रशा०I—राष्ट्रपति, इस कार्यालय की तारीख 25 मई, 1978 की समसंख्यांक अधिसूचना के अनुक्रम में भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय के स्थायी हिन्दी अनुवादक, श्री के० एन० पंत की भारत के महापंजीकार के कार्यालय में प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा हिन्दी अधिकारी के पद पर तदर्थ नियुक्ति की अवधि को 1 जुलाई, 1978 से 30 सितम्बर, 1978 तक या जब तक यह पद नियमित आधार पर भरा जाए, जो भी पहले हो सहर्ष बढ़ाते हैं ।

2. श्री पन्त का मुख्यालय नई दिल्ली में ही रहेगा ।

सं० 12/5/74-म० पं० (प्रशा०-I)—राष्ट्रपति, इस कार्यालय की तारीख 20 फरवरी, 1978 की समसंख्यांक अधिसूचना के अनुक्रम में कलकत्ता में सहायक महापंजीकार (भाषा) के कार्यालय में श्रीमती कृष्णा चौधरी की भाषाविद् के पद पर तदर्थ नियुक्ति की अवधि की तारीख 11 जुलाई, 1978 से और छः महीनों के लिए या जब तक पद नियमित आधार पर भरा जाए, इनमें से जो भी पहले हो सहर्ष बढ़ाते हैं ।

सं० 11/1/77-प्रशा०-I—राष्ट्रपति, इस कार्यालय की तारीख 6 फरवरी, 1978 की समसंख्यांक अधिसूचना के अनुक्रम में निम्नलिखित अधिकारियों की उनके समक्ष दर्शित जनगणना कार्य निदेशक के कार्यालयों में सहायक निदेशक जनगणना कार्य के पदों पर तदर्थ नियुक्ति की अवधियों को तारीख 1 अप्रैल, 1978 से तारीख 26 मई, 1978 तक सहर्ष बढ़ाते हैं :—

क्रम सं०	अधिकारी का नाम	राज्य	मुख्यालय
1.	श्री एस० के० मजूमदार	उत्तर प्रदेश	लखनऊ
2.	श्री बी० डी० शर्मा	चण्डीगढ़ (संघ शासित क्षेत्र)	चण्डीगढ़

पी० पद्मनाभ
भारत के महापंजीकार

वित्त मंत्रालय
(अर्थ विभाग)
भारत प्रतिभूति मुद्रणालय
नासिक रोड, दिनांक 18 अगस्त 1978

सं० 870/ए—दिनांक 26-7-78 के क्रम में सर्वश्री जे० एच० सय्यद और आर० व्यंकटरमन की उपनियंत्रण अधिकारी के रूप में तदर्थ नियुक्ति दि० 12-7-78 से भारत प्रतिभूति मुद्रणालय में नियमित मानी जाएगी

जी० सी० मुखर्जी
महाप्रबंधक
भारत प्रतिभूति मुद्रणालय

बैंक नोट मुद्रणालय

देवास, दिनांक 24 अगस्त 1978

नस्ती क्र० बी० एन० पी०/सी०/5/78—अधोहस्ताक्षरकर्ता निम्नलिखित स्थायी नियन्त्रण निरीक्षकों को नियमित आधार

पर स्थानापन्न रूप से उपनियंत्रण अधिकारी (समूह-ख राजपत्रित) के पद पर वेतनमान रु० 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000-ई० रो०-40-1200 में बैंक नोट मुद्रणालय, देवास में दिनांक 21-8-78 (पूर्वाह्न) से अन्य आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करते हैं :—

(1) श्री एन० के० माथुर

(2) श्री एम० लक्ष्मीनारायणन

विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा लिये गये निर्णयानुसार उन्हें गुणानुक्रम में दर्शाया गया है।

पी० एस० शिवराम
महाप्रबंधक

भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक का कार्यालय
भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग
नई दिल्ली, दिनांक 23 अगस्त 1978

सं० 1089-सी० ए० 1/30-75—उनको नेशनल टेक्सटाईल कारपोरेशन (एम० पि०) लि० में स्थायी रूप से खपाये जाने के कारण श्री एम० एल० कवरा, लेखापरीक्षा अधिकारी (वाणिज्यिक) दिनांक 23-5-77 (पूर्वाह्न) से सरकारी सेवा से सेवा निवृत्त हो गये।

सुशील देव भट्टाचार्य
संयुक्त निदेशक (वा०)

महालेखाकार का कार्यालय, आन्ध्रप्रदेश
हैदराबाद-500476, दिनांक 22 अगस्त 1978

सूचना

सं० स्थापना/अनुभाग 1/अनुशासन/8ब 232/78-79—इस कार्यालय के अस्थायी लिपिक श्री अफजल मियां (सुपुत्र श्री महबूब अली) को केन्द्रीय सिविल सेवाएं (अस्थायी सेवाएं) नियम 1965 के नियम 1 के उपनियम 5 के अनुसरण में, मैं इसके द्वारा यह सूचित करता हूं कि इस सूचना के प्रकाशन से एक महीने की अवधि समाप्त होते तक या यथास्थिति में उनकी सेवाएं समाप्त की जायेगी।

एस० आर० मुखर्जी,
वरिष्ठ उपमहालेखाकार (प्रसासन)
नियुक्ति प्राधिकारी

कार्यालय, निदेशक लेखा परीक्षा, रक्षा सेवाएं
नई दिल्ली, दिनांक 23 अगस्त 1978

सं० 2594/स० ए० प्रशासन/130/75-78—वस्त्र उद्योग समिति, भारत सरकार, वाणिज्य मंत्रालय में स्थाई रूप से अन्तर्लयन के परिणामस्वरूप श्री ए० रामचन्द्रन स्थाई लेखा परीक्षा अधिकारी, का ग्रहणाधिकार अवसान इस विभाग में मूल नियम 14-ए(डी) के अधीन दिनांक 31-12-77 (पूर्वाह्न) से हो गया है।

के० बी० दास भौमिक,
वरिष्ठ उपनिदेशक

रक्षा मंत्रालय

महानिदेशालय, आर्डनेन्स फैक्टरियां

भारतीय आर्डनेन्स फैक्टरियां सेवा

कलकत्ता, दिनांक 9 अगस्त 1978

सं० 35/जी/78—राष्ट्रपतिजी, निम्नलिखित अधिकारियों को स्थानापन्न उप-प्रबन्धक/डी ए डी जी ओ एफ के पद पर, प्रत्येक के सामने दर्शायी गई तारीख से आगामी आदेश न होने तक, नियुक्त करते हैं :—

(1) श्री एस० परमस्वामी, स्थायी सहायक प्रबन्धक —22वीं अप्रैल, 1978।

(2) श्री बी० विजयादूराइ, स्थायी सहायक प्रबन्धक— 22वी अप्रैल, 1978।

(3) श्री सी० एल० शर्मा, स्थायी सहायक प्रबन्धक— 22वीं अप्रैल, 1978।

(4) श्री एस० के० सिन्हा, स्थायी सहायक प्रबन्धक— 22वीं अप्रैल, 1978।

(5) श्री वी० के० भसीन, स्थायी सहायक प्रबन्धक— 22वीं अप्रैल, 1978।

(6) श्री एस० के० दुआ, स्थायी सहायक प्रबन्धक— 22वीं अप्रैल, 1978।

(7) श्री रामावतार अगरवाल, स्थायी सहायक प्रबन्धक —22वीं अप्रैल, 1978

(8) श्री यू० डी० प्रभू, स्थायी सहायक प्रबन्धक— 22वीं अप्रैल, 1978।

(9) श्री एस० के० साहु, स्थायी सहायक प्रबन्धक—22वीं अप्रैल, 1978।

(10) श्री हेम राज नाहर, स्थायी सहायक प्रबन्धक—22वीं अप्रैल, 1978।

(11) श्री राम किशन, स्थायी सहायक प्रबन्धक—22वीं अप्रैल, 1978।

(12) श्री एम० जी० कण्डवाल, स्थायी सहायक प्रबन्धक— 22वीं अप्रैल, 1978।

(13) श्री वी० एच० आयर, स्थायी सहायक प्रबन्धक— 22वीं अप्रैल, 1978।

(14) श्री जयतिलक विश्वास, सहायक प्रबन्धक (परखावधि) —22वीं अप्रैल, 1978।

(15) श्री टी० एफ० डंकुन्हा, स्थानापन्न सहायक प्रबन्धक— 22वी अप्रैल, 1978।

(16) श्री ए० के० सिंह, सहायक प्रबन्धक (परखावधि)— 22वीं अप्रैल, 1978।

(17) श्री टी० के० विजयराघवन, सहायक प्रबन्धक (परखावधि)—16वीं जून, 1978।

(18) श्री डा० बी० एन० सिंह, स्थायी सहायक प्रबन्धक—22वीं अप्रैल, 1978 ।

(19) श्री डा० डी० आर० मिश्रा, स्थायी सहायक प्रबन्धक——22वीं अप्रैल, 1978 ।

(20) श्री ए० के० बंगा, स्थायी सहायक प्रबन्धक—22वीं अप्रैल, 1978 ।

(21) श्री तापस कुमार बासु, स्थायी सहायक प्रबन्धक—22वीं अप्रैल, 1978 ।

(22) श्री ओ० पी० चुग, स्थायी सहायक प्रबन्धक—22वीं अप्रैल, 1978 ।

(23) श्री तपन कुमार बसु, स्थायी सहायक प्रबन्धक—22वीं अप्रैल, 1978 ।

(24) श्री एच० बी० सिंह, स्थायी सहायक प्रबन्धक—22वीं अप्रैल, 1978 ।

(25) श्री जे० सी० साहा, स्थायी सहायक प्रबन्धक—22वीं अप्रैल, 1978 ।

(26) श्री वी० बी० सिंह, स्थायी सहायक प्रबन्धक—22वीं अप्रैल, 1978 ।

(27) श्री एस० एस० सक्सेना, स्थायी सहायक प्रबन्धक—22वी अप्रैल, 1978

(28) श्री रतन प्रकाश, स्थायी सहायक प्रबन्धक—22वी अप्रैल, 1978 ।

(29) श्री एम० एन० पी० रावला, स्थानापन्न सहायक प्रबन्धक—22वीं अप्रैल, 1978 ।

(30) श्री आर० के० मितल, स्थानापन्न सहायक प्रबन्धक—22वीं अप्रैल, 1978 ।

वी० के० मेहता,
सहायक महानिदेशक

कलकत्ता-16 दिनांक 23 अगस्त 1978

सं० 37/78/जी—58 वर्ष की आयु प्राप्त कर श्री जी० एन० रहूलकर, स्थानापन्न सहायक प्रबन्धक [मौलिक एवं स्थायी सहायक स्टोर होल्डर (एन० टी०)] 31-5-78 (अपराह्न) से सेवा निवृत्त हुए ।

वी० के० मेहता,
सहायक महानिदेशक,
आर्डनेन्स फैक्टरियां

वाणिज्य, नागरिक आपूर्ति एवं सहकारिता मंत्रालय

मुख्य, नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 19 अगस्त, 1978

आयात तथा निर्यात व्यापार नियंत्रक

स्थापना

सं० 6/320/55-प्रशासन (राज)/5998—सेवा निवृत्ति की आयु होने पर, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी वर्ग में स्थायी अधिकारी, श्री के० नागराजा राव ने 31 जुलाई, 1978 के अपराह्न से संयुक्त मुख्य नियंत्रक आयात निर्यात के कार्यालय, मद्रास में नियंत्रक आयात-निर्यात के पद का कार्य भार छोड़ दिया ।

दिनांक 26 अगस्त, 1978

सं० 6161/54-प्रशासन (राज)/5988—सेवा निवृत्ति की आयु होने पर, श्री पी० सी० नन्दा ने 31 जुलाई, 1978 के दोपहरबाद से इस कार्यालय में संयुक्त मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात के पद का कार्यभार छोड़ दिया ।

का० वें० शेषाद्रि,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय

(प्रशासन अनुभाग-6)

नई दिल्ली, दिनांक 21 अगस्त 1978

सं० प्र०-6/247(92)/58—उपमहानिदेशक (निरीक्षण) के पद से अवनति होने पर श्री सी० आर० सरकार ने दिनांक 29-7-78 के अपराह्न से पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय के मुख्यालय में निरीक्षण निदेशक का पदभार सम्भाल लिया ।

सूर्य प्रकाश,
उप निदेशक (प्रशासन)
कृते महानिदेशक, पूर्ति तथा निपटान

इस्पात और खान मंत्रालय

(खान विभाग)

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण

कलकत्ता-700016, दिनांक 25 अगस्त 1978

सं० 5588/बी/4/72/19ए—भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के भंडार अधीक्षक (तकनीकी) श्री बी० एस० सूद को सहायक भंडार अधिकारी के रूप में उसी विभाग, में वेतन नियमानुसार 650—30—740—35—810—द० रो०—35—880—40—1000—द० रो०—40—1200 रु० के वेततमान में, अस्थाई क्षमता में, आगामी आदेश होने तक 26-6-1978 के पूर्वाह्न से पदोन्नति पर नियुक्त किया जा रहा है ।

वी० एस० कृष्णस्वामी,
महानिदेशक

भारतीय खान ब्यूरो

नागपुर, दिनांक 22 अगस्त 1978

स० ए-19012(39)/71/स्था० ए०—राष्ट्रपति, भारतीय खान ब्यूरो के उप खनिज अर्थशास्त्री श्री जी० डी० कालरा जो नेशनल कौंसिल आफ अपलाईड इकानामिक्स रिसर्च में मीनरालाजीस्ट के पद पर प्रतिनियुक्ति पर हैं, को 19-12-1977 से आगामी आदेश होने तक भारतीय खान ब्यूरो में खनिज अर्थशास्त्री (आसूचना) के रूप में प्रोफार्मा पदोन्नति का अनुमोदन करते हैं ।

दिनांक 28 अगस्त 1978

सं० ए-19011/58/78-स्था० ए०—राष्ट्रपति श्री एस० एन० चटोपाध्याय को 20 मार्च, 1978 के पूर्वाह्न से स्थानापन्न रूप से भारतीय खान ब्यूरो में अधीक्षक अधिकारी (अयस्क प्रसाधन) के पद पर सहर्ष नियुक्ति प्रदान करते हैं ।

सं० ए-19011/80/78-स्था० ए०—राष्ट्रपति श्री डी० वी० कुलकर्णी, स्थायी उप अयस्क प्रसाधन अधिकारी को 20 मार्च, 1978 के पूर्वाह्न से स्थानापन्न रूप में भारतीय खान ब्यूरो में अधीक्षक अधिकारी (अयस्क प्रसाधन) के पद पर सहर्ष नियुक्ति प्रदान करते हैं ।

सं० ए-19011/228/78-स्था० ए०—राष्ट्रपति श्री पी० आर० बावने को 24 जुलाई, 1978 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश होने तक भारतीय खान ब्यूरो में कनिष्ठ खनन भूवैज्ञानी के पद पर स्थानापन्न रूप में नियुक्ति प्रदान करते है ।

एस० बालगोपाल,
कार्यालय अध्यक्ष

नागपुर, दिनांक 28 अगस्त 1978

सं० ए-19011(14)/76-स्था० ए०—राष्ट्रपति द्वारा श्री बी० के० अन्टीया क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो का त्यागपत्र स्वीकार कर लिए जाने पर उनका नाम दिनाक 6-12-1969 से इस विभाग से निकाल दिया जाता है ।

आशाराम कश्यव,
प्रशासन अधिकारी,
कृते नियंत्रक

भारतीय सर्वेक्षण विभाग

देहरादून, दिनांक 17 अगस्त 1978

स० सी० 5403/707—निम्नलिखित अधिकारियों को भारतीय सर्वेक्षण विभाग में 650–30–740–35–810–द० रो०-35–800–40–1000–द० रो०–40–1200 रु० के वेतनमान में अधिकारी सर्वेक्षक (ग्रुप बी) के पद पर प्रत्येक के नाम के सामने दी गई तारीख से तदर्थ आधार पर पूर्णतया अनन्तिम रूप से स्थानापन्न रूप में नियुक्त किया जाता है :—

क्रम सं०	नाम तथा पदनाम	यूनिट/कार्यालय	नियुक्ति की तारीख
1	2	3	4
1.	श्री शशिन्द्रा कुमार सर्वेक्षक, सलेक्शन ग्रेड	सं० 25 पार्टी (पश्चिमी स०) मसूरी ।	31-5-78
2.	श्री खुशी राम, सर्वेक्षक, सलेक्शन ग्रेड	सं० 44 पार्टी (म० स०) इन्दौर	26-6-78
3.	श्री निर्मल सिंह, सर्वेक्षक, सलेक्शन ग्रेड	सं० 79 (फोटो) पार्टी (पश्चिमी स०) देहरादून ।	28-2-78
4.	श्री तिलक राज, सर्वेक्षक, सलेक्शन ग्रेड	सं० 79 (फोटो) पार्टी (पश्चिमी स०) देहरादून ।	8-3-78
5.	श्री एन० श्रीनिवासन, सर्वेक्षक, सलेक्शन ग्रेड	सं० एवं वि० हैदराबाद	25-3-78
6	श्री डी० के० लाल, सर्वेक्षक, सलेक्शन ग्रेड	सं० 55 पार्टी (पश्चिमी स०) चण्डीगढ़ ।	6-3-78
7.	श्री खुसाल मणि, सर्वेक्षण सहायक, सलेक्शन ग्रेड	सं० 42 पार्टी (पश्चिमी स०) अम्बाला ।	28-2-78
8.	श्री जे० एन० अनेजा, सर्वेक्षक, सलेक्शन ग्रेड	सं० 79 (फोटो) पार्टी (पश्चिमी स०) देहरादून ।	28-2-78
9.	श्री आर० के० ठाकुर, सर्वेक्षक सलेक्शन ग्रेड	सं० 56 पार्टी (पश्चिमी स०) चण्डीगढ़ ।	28-2-78
10.	श्री एन० सी० बलहार, सर्वेक्षक, सलेक्शन ग्रेड	सं० 52 पार्टी (द० म० स०) हैदराबाद ।	31-3-78
11.	श्री आर० पी० हीरा, सर्वेक्षक, सलेक्शन ग्रेड	सं० 57 पार्टी (पश्चिमी स०) चण्डीगढ़	9-3-78
12.	श्री करता राम, सर्वेक्षक, सलेक्शन ग्रेड	स० 79 (फोटो) (पश्चिमी स०) देहरादून ।	28-2-78
13.	श्री पी० एन० कौल, ज्योडेटिक कमप्यूटर, आर्डिनरी ग्रेड	सं० 68(ज्वार, भाटा) पार्टी (ज्यो० एवं भा०) देहरादून ।	12-5-78

के० एल० खोसला,
मेजर जनरल,
भारत के महासर्वेक्षक
(नियुक्ति प्राधिकारी)

आकाशवाणी महानिदेशालय

(सिविल निर्माण स्कंध)

नई दिल्ली, दिनांक 23 अगस्त 1978

स० ए-19012/3/74-सी० डब्ल्यू०-I—श्री काहन लाल, सहायक इंजीनियर (सिविल), केन्द्रीय लोकनिर्माण विभाग, जो आकाशवाणी महानिदेशालय, नई दिल्ली के सिविल निर्माण स्कन्ध में प्रतिनियुक्ति पर सहायक कार्य सर्वेक्षक (सिविल) के पद पर प्रतिनियुक्ति थे, वार्धक्य निवर्तन की आयु प्राप्त करने पर सरकारी सेवा से जुलाई, 31, 78 को अपराह्न में सेवा से निवृत्त हो गये ।

एस० रामास्वामी,
अपर मुख्य इंजीनियर (सिविल) के
इंजीनियरी अधिकारी
कृते महानिदेशक

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

प्रकाशन विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 5 जुलाई 1978

सं० ए 12026/6/78-प्र०—निदेशक, प्रकाशन विभाग श्री के० सी० सिंघल लेखा अधिकारी को 3 जुलाई, 1978 से 11 अगस्त, 1978 तक 40 दिन का अवैकाश प्रदान किए जाने के परिणामस्वरूप, इस विभाग के स्थायी वरिष्ठ लेखाकार श्री जी० डी० मदान को स्थानापन्न रूप से तदर्थ आधार पर लेखा अधिकारी नियुक्त करते हैं ।

यह तदर्थ नियुक्ति श्री मदान को लेखा अधिकारी के ग्रेड में नियमित नियुक्ति का दावा प्रदान नहीं करेगी । यह सेवा के ग्रेड में वरिष्ठता के मामले में भी नहीं जोड़ी जायेगी ।

दिनांक 26 अगस्त, 1978

सं० ए-12025/6/77-प्र०—निदेशक, प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली, श्री सागर चन्द जैन को 18-7-1978 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश मिलने तक नियमित आधार पर सहायक व्यापार व्यवस्थापक नियुक्त करते हैं ।

इन्द्रराज सिंह,
उप-निदेशक (प्रशासन)
कृते निदेशक

फिल्म प्रभाग

बम्बई-26, दिनांक 22 अगस्त 1978

सं० 40/पीएफ-II/48-सिब्वन्दी I—श्री महेन्द्र कुमार जैन, सहायक प्रशासकीय अधिकारी, फिल्म प्रभाग, बम्बई की छुट्टी समाप्त होने पर, श्री व्ही० आर० पेसवानी स्थानापन्न सहायक प्रशासकीय अधिकारी, को दिनांक 11 अगस्त, 1978 के दोपहराह्न से उनके अधीक्षक के मूल पद पर प्रत्यावर्तित किया ।

एम० चन्द्रन नायर,
प्रशासकीय अधिकारी,
कृते प्रमुख निर्माता

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 18 अगस्त 1978

सं० ए० 19020/57/77-प्रशासन I—ईराक सरकार से विदेश सेवा से लौटने पर डा० एन० सी० संगल को 31 मई, 1978 के पूर्वाह्न से डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल तथा नर्सिंग होम, नई दिल्ली में उनके मूल पद पर दन्त चिकित्सक के पद पर तैनात किया गया । उनको उसी दिन से छुट्टी पर जाने की अनुमति दे दी गई । छुट्टी समाप्त होने पर डा० एन० सी० संगल ने 28 जून, 1978 के पूर्वाह्न से डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल तथा नर्सिंग होम में दन्त चिकित्सक के पद का कार्यभार संभाल लिया है ।

दिनांक 22 अगस्त 1978

सं० ए० 32014/2/78(जे० आई० पी०)/प्रशा० I—स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने श्री एल० नयनीथाकृष्णनन को 26 अप्रैल, 1978 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान, पांडिचेरी में सहायक लेखा अधिकारी के पद पर पूर्णतया तदर्थ आधार पर नियुक्त किया है ।

दिनांक 24 अगस्त 1978

सं० 17-35/71-प्रशासन I—अपने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश के चिकित्सा निदेशालय में खाद्य एवं औषध नियंत्रक के पद पर नियुक्त हो जाने के फलस्वरूप डा० एस० सी० श्रीवास्तव ने 8 अगस्त, 1978 अपराह्न से स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, नई दिल्ली में जीव रसायन शास्त्री के पद का कार्यभार छोड़ दिया है ।

सं० ए० 12026/16/78-(एच०ओ०)/प्रशासन I—राष्ट्रपति ने स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो के सहायक संपादक (हिन्दी तथा अंग्रेजी), श्री एन० जी० श्रीवास्तव को 10 जुलाई, 1978 (पूर्वाह्न) से 8 सितम्बर, 1978 तक श्री टी० के० पार्थासार्थी के छुट्टी पर उसी ब्यूरो में तदर्थ आधार पर संपादक के पद पर नियुक्त किया है ।

2. ए०संपादक के पद पर अपनी नियुक्ति हो जाने के फलस्वरूप श्री एन० जी० श्रीवास्तव ने 10 जुलाई, 1978 पूर्वाह्न से केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में सहायक संपादक (हिन्दी तथा अंग्रेजी) के पद का कार्यभार छोड़ दिया है ।

शामलाल कुठियाला,
उपनिदेशक प्रशासन (सं० य प०)

नई दिल्ली, दिनांक 23 अगस्त 1978

सं० ए० 22012/1/78-स्टोर-I—स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय से अपनी बदली हो जाने के फलस्वरूप श्री डी० एल० देसीकन ने 29 जून, 1978 पूर्वाह्न से सरकारी चिकित्सा भण्डार डीपू, मद्रास में उप सहायक महानिदेशक (चिकित्सा भण्डार) के पद का कार्यभार संभाल लिया है ।

2. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में बदली हो जाने के फलस्वरूप श्री आई० के० अग्रवाल ने 12 जून, 1978 पूर्वाह्न से सरकारी

चिकित्सा भण्डार डीपू गोहाटी से उप सहायक महानिदेशक (एम० एस०) के पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

संगत सिंह,
उपनिदेशक प्रशासन (स्टोर)

कृषि एवं सिंचाई मंत्रालय

(ग्रामीण विकास विभाग)

विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय

फरीदाबाद, दिनांक 23 अगस्त, 1978

सं० ए० 19023/21/78-प्र०-III—विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, नागपुर में विपणन अधिकारी श्री ज० एन० राव का दिनांक 10 अगस्त, 1978 को निधन हो गया है।

दिनांक 24 अगस्त 1978

सं० ए० 19025/10/78-प्र०-III—सहायक विपणन अधिकारी (वर्ग I) के पद पर निम्नलिखित अधिकारियों को अल्पकालीन नियुक्ति को 31 अक्तूबर, 1978 तक या जब तक कोई नियमित प्रबंध होते हैं, दोनों में से जो भी पहले घटित हो, बढ़ाया गया है :—

1. श्री एस० बी० सक्सेना
2. श्री आर० सी० सिंघल
3. श्री एन० जी० शुक्ला
4. श्री एच० एन० शुक्ला

बी० एल० मनिहार,
निदेशक प्रशासन,
कृते कृषि विपणन सलाहकार

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र

(कार्मिक प्रभाग)

बम्बई-400085, दिनांक 26 जुलाई 1978

संदर्भ 5/1/78-स्थापना-II/2726—नियंत्रक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नामों के आगे लिखी अवधि के लिए तदर्थ आधार पर स्थानापन्न प्रशासनिक अधिकारी II/सहायक कार्मिक अधिकारी नियुक्त करते हैं :—

क्रम सं०	नाम तथा पद	स्थानापन्न नियुक्ति	अवधि	
			से	तक
1	2	3	4	5
			पूर्वाह्न	अपराह्न
1.	श्री एम०एस० गोगिया सहायक अधिकारी II कार्मिक अधिकारी	प्रशासनिक	24-4-78	9-6-78
2.	श्री बी० के० स्वामी सहायक कार्मिक अधिकारी	,,	5-6-78	21-7-78
3.	श्री पी० बी० करंदीकर सहायक	सहायक कार्मिक अधिकारी	24-4-78	9-6-78
4.	श्री के० आर० सी० पिल्लै सहायक	सहायक कार्मिक अधिकारी।	5-6-78	21-7-78

दिनांक अगस्त 1978

संदर्भ: के/302/लेखा/स्थापना II/2955—सेवा निवृत्ति अवस्था के होने पर श्री डी० बी० कामत, एक स्थाई लेखापाल तथा स्थानापन्न लेखा अधिकारी II दिनांक 31 जुलाई, 1978 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए।

दिनांक 1 अगस्त 1978

संदर्भ 5/1/ 8-स्थापना 11/2817—नियंत्रक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नामों के आगे लिखी अवधि के लिए तदर्थ आधार पर स्थानापन्न सहायक लेखा अधिकारी नियुक्त करते हैं :—

क्रम सं०	नाम तथा पद	स्थानापन्न नियुक्ति	अवधि	
			से	तक
			पूर्वाह्न	अपराह्न
1.	श्रीमती एच० एच० कपाडिया, सहायक लेखापाल	सहायक अधिकारी	1-5-78	30-6-78
2.	श्री टी० के० राममूर्ति, सहायक लेखापाल	सहायक लेखा अधिकारी	8-5-78	17-6-78

दिनांक 5 अगस्त 1978

संदर्भ 5/1/78-स्थापना II/2850—नियंत्रक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नामों के आगे लिखी अवधि के लिए तदर्थ आधार पर स्थानापन्न प्रशासनिक अधिकारी II/सहायक कार्मिक अधिकारी नियुक्त करते हैं :

क्रम सं०	नाम तथा पद	स्थानापन्न नियुक्ति	अवधि	
			से	तक
1	2	3	4	5
			पूर्वाह्न	अपराह्न
1.	श्री एस० के० कपूर, सहायक कार्मिक अधिकारी।	प्रशासनिक अधिकारी II	14-6-78	15-7-78

1	2	3	4	5
2.	श्री पी० बी० करंदीकर	सहायक कार्मिक अधिकारी	14-6-78	15-7-78

पी० एस० वेंकटसुब्रमण्यम,
उप स्थापना अधिकारी

परमाणु ऊर्जा विभाग

विद्युत परियोजना इंजीनियरी प्रभाग

मुम्बई-5, दिनांक 31 जलाई 1978

सं० पीपीईडी/3(262)/76-प्रशा०-9420—निदेशक, विद्युत परियोजना इंजीनियरी प्रभाग, बम्बई इस प्रभाग के स्थायी उच्च श्रेणी लिपिक और स्थानापन्न प्रवरण कोटि लिपिक श्री एच० एच० शाह को, 17 जुलाई, 1978 के पूर्वाह्न से 29 अगस्त, 1978 के अपराह्न तक के लिए, एतद्द्वारा, उसी प्रभाग में सहायक कार्मिक अधिकारी के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त करते हैं। यह नियुक्ति सहायक कार्मिक अधिकारी श्री टी० एस० असवाल के स्थान पर की जा रही है, जिन्हें प्रशिक्षण के लिए भेज दिया गया है।

बी० वी० थाट्टे,
प्रशासनिक अधिकारी

नरोरा परमाणु विद्युत परियोजना

नरोरा, दिनांक 2 अगस्त, 1978

सं० एनएपीपी/प्रशासन/4(2)/78/एस/7971—नरोरा परमाणु विद्युत परियोजना के मुख्य परियोजना अभियन्ता ने, विद्युत परियोजना इंजीनियरी प्रभाग पूल के स्थायी उच्च श्रेणी लिपिक एवं इस परियोजना के प्रवरण कोटि लिपिक श्री एम० ए० रज्जन की उसी प्रभाग में 650—30—740—35—880—द० रो०—40—960 के वेतनमान में सहायक कार्मिक अधिकारी के पद पर अस्थायी रूप से तदर्थ आधार पर, 24 मई, 1978 के पूर्वाह्न से 17 जुलाई, 1978 के अपराह्न तक के लिये की गई नियुक्ति की मंजूरी दे दी है। यह नियुक्ति श्री पी० वेणुगोपालन, सहायक कार्मिक अधिकारी के स्थान पर की जा रही है जिन्हें इस परियोजना में उक्त अवधि के लिये प्रशासनिक अधिकारी-I के पद पर पदोन्नत एवं नियुक्त किया गया है।

एस० कृष्णन,
प्रशासनिक अधिकारी

क्रय और भंडार निदेशालय

बम्बई-400001, दिनांक 19 अगस्त 1978

सं० क्र० भ० नि०/2/1(5)/77-प्रशासन/21708—निदेशक क्रय और भंडार, परमाणु ऊर्जा विभाग, श्री एम० के० जान, सहायक भंडार अधिकारी को अवकाश स्वीकृत होने पर, श्री एस० आर० बैंघ, भंडारी को सहायक भंडार अधिकारी के पद पर स्थानापन्न रूप में, रु० 650—30—750—35—810—द० रो०—35—880—40—1000—द० रो०—40—1200 के वेतन क्रम में, दिनांक 12-5-78 पूर्वाह्न से 17-6-78 अपराह्न तक नियुक्त करते है।

बी० जी० कुलकर्णी,
सहायक कार्मिक अधिकारी

नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र

हैदराबाद-500762, दिनांक 20 अगस्त 1978

सं० पी ए आर/0705/1644—मुख्य कार्यपालक, नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र, श्री टी० लक्ष्मीनरसैया, सहायक लेखाकार, को 15-7-78 से 13-8-1978 तक की अवधि के लिए नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र, हैदराबाद में तदर्थ रूप से सहायक लेखा अधिकारी नियुक्त करते हैं।

यू० वासुदेव राव,
प्रशासन अधिकारी

भारी पानी परियोजनाएं

बम्बई-400008, दिनांक 28 अगस्त 1978

सं० भापाप/स्था/1/न-22/3819—भारी पानी परियोजना के विशेष कार्य अधिकारी, श्री वासुदेवन गोपालकृष्णन नायर, अर्ध स्थायी सहायक सुरक्षा अधिकारी, भारी पानी परियोजना (तूतीकोरिन) को उसी परियोजना में 2-5-1978 (पूर्वाह्न) से 3-6-1978 (अपराह्न) तक के लिए श्री एच० बी० प्रिंस, सुरक्षा अधिकारी, जो छुट्टी पर हैं, के स्थान पर अस्थायी रूप से सुरक्षा अधिकारी नियुक्त करते हैं।

के० शंकरनारायणन,
वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी

तारापुर परमाणु बिजलीघर

टीएपीपी(थाना—401504), दिनांक 8 अगस्त 1978

आदेश

सं० टी ए पी एस/प्रशासन/ओ० एण्ड एम०/59(45)/78—चूंकि इस बिजलीघर के ट्रेड्समैन 'क' श्री आई० एच० शेख 23 दिसम्बर, 1977 से ड्यूटी से अप्राधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं;

चूंकि श्री शेख के खिलाफ उपर्युक्त कदाचार के लिये अनुशासनात्मक कार्रवाई आरम्भ की गई थी और तदनुसार एक आरोप-पत्र उनके घर के स्थानीय पते पर और मूल निवास-स्थान के पते पर, दोनों ही जगह, भेजा गया था;

चूंकि श्री शेख के उपर्युक्त पतों पर न मिलने के कारण दोनों पत्र वितरण हुए बिना लौटा दिये गये;

चूंकि गुजरात के 'गुजरात मित्र' और महाराष्ट्र के 'लोक-सत्ता' में एक नोटिस प्रकाशित करके श्री शेख को उनके खिलाफ की जा रही अनुशासनात्मक कार्रवाई की सूचना दी गई थी और उनसे कहा गया था कि वे उक्त नोटिस के प्रकाशित होने की तारीख के 30 दिन के भीतर मेरे सम्मुख स्वयं हाजिर हों;

चूंकि श्री शेख उक्त नोटिस के प्रकाशित होने की तारीख के 20 दिन बाद भी मेरे सामने हाजिर नहीं हुए;

और चूंकि ऊपर दिये गये तथ्यों को देखते हुए विचार है कि श्री शेख के खिलाफ जांच करना समुचितरूपेण व्यावहारिक नहीं है ;

अतः अब मैं एतद्द्वारा आदेश देता हूं कि श्री आई० एच० शेख को इस आदेश के प्रकाशित होने की तारीख से नौकरी से हटा दिया जाये ।

के० पी० राव,
मुख्य अधीक्षक

रिएक्टर अनुसंधान केन्द्र

कलपक्कम, दिनांक 29 जुलाई 1978

सं० ए० 32023/1/77-आर०-14305—रिऐक्टर अनुसंधान केन्द्र के परियोजना निदेशक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के स्थायी आशुलिपिक तथा इस केन्द्र के स्थानापन्न प्रवरण कोटि आशुलिपिक श्री एम० कृष्णामूर्ति को, एतद्द्वारा 17 जुलाई, 1978 से 30 अगस्त, 1978 तक की अवधि के लिए तदर्थ आधार पर सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

आर० एच० षण्मुखम,
प्रशासनिक अधिकारी
कृते परियोजना निदेशक

अन्तरिक्ष विभाग

सिविल इंजीनियरी प्रभाग

बंगलौर-560025, दिनांक 28 जुलाई 1978

शुद्धिपत्र

सं० 10/5(28)/76-सि० इं० प्र० (एच०)—सिविल इंजीनियरी प्रभाग, अन्तरिक्ष विभाग की दिनांक 6 दिसम्बर, 1976 की अधिसूचना सं० 10/5(28)/76-सि० इं० प्र० (एच०) निम्न प्रकार ठीक मानी जायेगी :—

1. क्रम संख्या 1 और 4 में सर्वश्री एच० राजासिम्हा और पी० राजा रेड्डी के नामों को निकाला जायेगा और क्रम संख्या 2 और 3 को क्रमशः क्रम संख्या 1 और 2 के रूप में पुनः संख्या दी जायगी।

2. उक्त अधिसूचना में निम्न पैरा जोड़ा जायेगा:—

2. अन्तरिक्ष विभाग के सिविल इंजीनियरी प्रभाग, बंगलौर के मुख्य अभियंता अन्तरिक्ष विभाग के सिविल इंजीनियरी प्रभाग में निम्नलिखित अधिकारियों की भी इसी प्रभाग में इंजीनियर एस० बी० के पद पर स्थानापन्न रूप में उनके नामों के सामने दी गई तारीखों से आगामी आदेश तक नियुक्ति करते हैं:—

क्रम संख्या	नाम	वर्तमान स्थानापन्न पद	इंजीनियर एस० बी० के पद पर नियुक्ति की तारीख
1.	श्री एच० राजासिम्हा	पर्यवेक्षक (तकनीकी सहायक 'सी०')	1-7-1976
2.	श्री पी० राजा रेड्डी	पर्यवेक्षक (तकनीकी सहायक 'सी०')	1-7-1976

पी० आई० यू० नम्बियार,
प्रशासन अधिकारी-II
कृते मुख्य अभियंता

पर्यटन तथा नागर विमानन मंत्रालय

भारत मौसम विज्ञान विभाग

नई दिल्ली-3, दिनांक 26 अगस्त 1978

सं० ई०(I) 00920—निदेशक, प्रादेशिक मौसम केन्द्र, बम्बई, भारत मौसम विज्ञान विभाग में अस्थाई सहायक मौसम विज्ञानी डा० के० के० सी० गर्ग का त्यागपत्र 1 अगस्त 1978 के पूर्वाह्न से स्वीकार कर लिया गया है।

सं० ई०(I) 07062—वेधशालाओं के महानिदेशक के मुख्य कार्यालय, नई दिल्ली भारत मौसम विभाग में स्थानापन्न सहायक मौसम विज्ञानी श्री जे० एल० चुग का त्यागपत्र 16-3-1978 के पूर्वाह्न से स्वीकार कर लिया गया है।

गुरुमुखराम गुप्ता,
मौसम विज्ञानी
कृते वेधशालाओं के महानिदेशक

महानिदेशक नागर विमानन का कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 23 अगस्त 1978

सं० ए० 32013/6/76-ई० एस०—इस कार्यालय की दिनांक 3-3-1978 की अधिसूचना सं० ए० 32013/6/76-ई०एस० के क्रम में राष्ट्रपति ने निम्नलिखित अधिकारियों की विमान निरीक्षक के ग्रेड में हुई तदर्थ नियुक्ति की अवधि उनके नाम के सामने दी गई तारीखों तक अथवा पदों के नियमित आधार पर भरे जाने तक जो भी पहले हो, बढ़ा दी है :—

1. श्री अनुपम बागची . . 31-12-1978
2. श्री एस० मजुमदार . . 31-12-1978
3. श्री एच० एम० फूल . 31-12-1978

4.	श्री एच० एल० महालिंग्म	31-12-1978
5.	श्री ए० के० राय	31-12-1978
6.	श्री एस० पी० सिंह	31-12-1978
7.	श्री डी० पी० घोष	31-12-1978
8	श्री एल० एम० माथुर	30-9-1978
9.	श्री हरिहर प्रसाद	30-9-1978
10.	श्री आर० एन० शास्त्री	30-9-1978

दिनांक 26 अगस्त 1978

सं० ए०-32013/8/77-ई० सी०—इस विभाग की दिनांक 4 मई 1978 की अधिसूचना सं० ए०-32013/8/77-ई० सी० के क्रम में राष्ट्रपति ने नागर विमानन विभाग के निम्नलिखित उपनिदेशकों/नियंत्रकों, संचार की तदर्थ नियुक्ति की अवधि 31-12-78 तक अथवा ग्रेड में नियमित नियुक्ति होने तक जो भी पहले पड़े, बढ़ा दी है :—

1. श्री एम० एस० कृष्णन
2. श्री एस० के० नाथ
3. श्री ए० एन० नाथ
4. श्री वी० के० कालड़ा
5. श्री बी० एस० ग्रेवाल

सुरजीत लाल खंडपुर,
सहायक निदेशक प्रशासन

विदेश संचार सेवा

बम्बई, दिनांक 26 अगस्त 1978

सं० 1/407/78-स्था०—विदेश संचार सेवा के महानिदेशक एतद्द्वारा कलकत्ता शाखा के ज्येष्ठ फोरमैन, श्री ए० के० साहा को अल्पकालीन रिक्त स्थान पर 10-4-78 से 21-7-78 (दोनों दिन समेत) तक की अवधि के लिए उसी शाखा में स्थानापन्न रूप से मुख्य मेकेनिशीयन नियुक्त करते हैं।

एच० एल० मलहोत्रा,
उप-निदेशक (प्रशा०)
कृते महानिदेशक

बम्बई, दिनांक 26 अगस्त 1978

सं० 1/458/78-स्था०—विदेश संचार सेवा के महानिदेशक एतद्द्वारा श्री वी० अंलगारसामी को 1 जुलाई 1978 के पूर्वाह्न से और आगामी आदेशों तक स्विचींग काम्पलेक्स, बम्बई में अस्थायी तौर पर सहायक अभियंता नियुक्त किया जाता है।

पा० की० मो० नायर,
निदेशक (प्रशा०)
कृते महानिदेशक

वन अनुसंधान संस्थान एवं महाविद्यालय

देहरादून, दिनांक 28 अगस्त 1978

सं० 16/296/77-स्थापना-I—अध्यक्ष, वन अनुसंधान संस्थान एवं महाविद्यालय, देहरादून श्री तपस चन्द्रमैटी, को, वन अनुसंधान सस्थान एवं महाविद्यालय, देहरादून के अधीन, पाचवीं पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत 'वन मृदा प्रयोगशालाये (वन मृदा व वनस्पति सर्वेक्षण)' के क्षेत्रीय केन्द्र मिदनापुर मे, दिनांक 11 मई, 1978 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक सहर्ष अनुसंधान अधिकारी नियुक्त करते है।

गुरदयाल मोहन,
कुल सचिव,
वन अनुसधान संस्थान एवं महाविद्यालय

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क समाहर्तालय

बम्बई, दिनांक 22 अगस्त 1978

सं० II/3ई० (ए०) 2/78—बम्बई के० उ० शु० समाहर्तालय के निम्नलिखित समूह 'ख' के अधिकारी (अधीक्षक/-प्रशासनिक अधिकारी/सहा० मुख्य लेखा अधिकारी) अधिवार्षिकी पर अपने नामों के आगे अंकित तिथियों को अपराह्न में सेवा- निवृत्त हो गए है।

क्रमांक	नाम एवं पदनाम	सेवा निवृत्ति की तिथि
1	2	3
1.	श्री ए० पी० डिसोजा (प्रशासनिक अधिकारी)	31-1-1977
2.	श्री ए० एम० पार्यतोंडे (अधीक्षक)	31-1-1977
3.	श्री आर० आर० दांडीवाला (स० मु०ले० अ०)	28-2-1977
4.	श्री डी० एल० दिवेकर (अधीक्षक)	28-2-1977
5.	श्री आर० डी० नार्वेकर (अधीक्षक)	31-5-1977
6.	श्री जी० एस० बर्वे (अधीक्षक)	30-6-1977
7.	श्री वि० जी० कर्णिक (स० मु० ले० अ०)	30-6-1977
8.	श्री के० एम० तलाठी (अधीक्षक)	31-7-1977
9.	श्री आर० जे० फर्नांडीस (अधीक्षक)	31-8-1977
10.	श्री ए० वी० क्षीरसागर (अधीक्षक)	31-8-1977
11.	श्री एस० एफ० एक्स० डिसोजा (स० मु० ले० अ०)	30-9-1977
12.	श्री वी० एस० भडगांवकर (अधीक्षक)	31-10-1977
13.	श्री ए० डी० शुक्ला (अधीक्षक)	31-10-1977
14.	श्री बी० एस० प्रधान (अधीक्षक)	30-11-1977
15.	श्री जे० एन० केन्डल (अधीक्षक)	30-11-1977
16.	श्री वी० एस० डोले (अधीक्षक)	31-12-1977

1	2	3
17.	श्री बी० एस० अजिक्य (अधीक्षक) .	31-12-1977
18.	श्री आर० एम० शेलार (अधीक्षक) .	31-12-1977
19.	श्री जे० आर० वी० रोड्रिग्स (अधीक्षक)	31-12-1977
20.	श्री ए० एम० एच० फसाटे (अधीक्षक)	28-2-1978
21.	श्री एम० एस० सेंजीत (अधीक्षक) .	31-3-1978
22.	श्री एन० डी० हीरे (अधीक्षक) .	30-4-1978
23.	श्री आर० आर० रायकर (अधीक्षक)	30-4-1978
24.	श्री बी० डी० पटेल (अधीक्षक) .	30-4-1978
25.	श्री एन० जी० नाबर (अधीक्षक) .	30-6-1978
26.	श्री के० एच० अलमोला (अधीक्षक) .	30-6-1978
27.	श्री जी० आई० बसन्तानी (अधीक्षक)	30-6-1978

सं० II/3ई (ए) 2/78—बम्बई केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाहर्तालय समूह 'ख' के निम्न अधीक्षकों का अपने नामों के आगे अंकित तिथियों को देहावसान हो गया :—

क्रमांक	नाम	मृत्यु की तिथि
1.	श्री जी० आर० आहूजा . .	31-5-1977
2.	श्री बी० टी० रावूल . .	14-7-1977
3.	श्री डी० ओ० फीशर . .	5-8-1977

सं० II/3ई(ए) 2/78—निम्नलिखित वरित श्रेणी निरीक्षकों ने प्रोन्नति पर के० उ० शु० समाहर्तालय बम्बई में स्थानापन्न अधीक्षक के० उ० शु० समूह 'ख' के रूप में अपने नामों के आगे अंकित तिथियों से कार्यभार सम्भाल लिया है :—

क्रमांक	नाम	कार्यभार सम्भालने की तिथि
1.	श्री वी० जी० कुमार .	1-12-1977 (पूर्वा०)
2.	श्री ए० एच० एम० काझीम	31-12-77 (अप०)
3.	श्री जी० डबल्यू० जोशी	31-12-77 (अप०)
4.	श्री एस० वी० पाजणकर	31-12-77 (अप०)
5.	श्री वी० ए० व्यंकटाचलन	23-1-1978 (पूर्वा०)
6.	श्री ए० के० राजहंस .	31-12-1977 (अप०)
7.	श्री जी० डी० आठलेकर	21-12-1977(अप०)
8.	श्री एस० ई० कपूर .	वही
9.	श्री टी० जी० नागपाल	वही
10.	श्री ए० यू० गडवे	वही
11.	श्री बी० एच० जोशी	वही
12.	श्री जेड० डी० पिरेल	वही
13.	श्री एस० एन० सेजपाल	वही

सं० II/3ई० (ए०) 2/78 —निम्नलिखित कार्यालय अधीक्षकों ने प्रोन्नति पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाहर्तालय बम्बई में प्रशासनिक अधिकारी/सहायक मुख्य लेखा अधिकारी, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समूह 'ख' के रूप में अपने नामों के आगे अंकित तिथियों से कार्यभार सम्भाल लिया है:—

क्रमांक	नाम	कार्यभार सम्भालने की तिथि
1.	श्री वी० के० वैद्य प्रशासनिक अधिकारी . .	10-2-1977(पूर्वा०)
2.	श्री एम० आर० किर्तिकर प्रशासनिक अधिकारी .	9-2-1977 (पूर्वा०)
3.	श्री वी० वी० गोगटे, प्रशासनिक अधिकारी .	28-2-1977 (पूर्वा०)
4.	श्री एल० एच० धारक, स० मु० ले० अ० . .	7-2-1977 (पूर्वा०)
5.	श्री आर० जी० मेमाने, प्रशा० अधिकारी . .	25-2-1977 (पूर्वा०)
6.	श्री एम० के० पगारे प्रशा० अधिकारी .	9-2-1977 (पूर्वा०)
7.	श्री एस० एच० आलवणकर, स० मु० ले० अ० .	1-3-1977 (पूर्वा०)
8.	श्री एस० एफ० एक्स० डिसोजा स० मु० ले० अ० .	16-5-1977(पूर्वा०)
9.	श्री जी० एम० पिन्जानी, प्रशासनिक अधिकारी .	4-2-1978(अप०)
10.	श्री वी० वी० जोगलेकर, स० मु० ले० अ० .	17-1-1978 (पूर्वा०)
11.	श्री ए० एच० आई० शेख स० मु० ले० अ० .	18-1-1978(पूर्वा०)
12.	श्री डी० बी० जोशी, स० मु० ले० अ० .	18-1-1978(पूर्वा०)
13.	श्री जी० के० ताम्बे प्रशासनिक अधिकारी . .	18-1-1978 (पूर्वा०)

ई० आर० श्रीकण्ठय्या
समाहर्ता, के० उ० शु० बम्बई

कानपुर, दिनांक 26 अप्रैल, 1978

सं० 12/78—श्री पी० एन० आर्या निरीक्षक (प्रवरण कोटि) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ने, अधीक्षक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क वर्ग 'ख' वेतनमान रु० 650-30-740-35-810 द० रो० 35-880-40-1000 द० रो० 40-1200 के पद पर अपनी पदोन्नति के फलस्वरूप देखिए इस कार्यालय स्थापना आदेश सं० 11-22-ई० दिनांक 9-1-78 के अन्तर्गत निर्गत

कार्यालय स्थापना आदेश सं० 1/ए०/78 दिनांक 9-1-78 अधीक्षक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एम० ओ० आर० मथुरा के पद का कार्यभार दिनांक 17-1-78 पूर्वाह्न को ग्रहण किया।

सं० 13/78—श्री पी० एस० व्यास निरीक्षक (प्रवरण कोटि) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ने अधीक्षक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क वर्ग 'ख' वेतनमान रु० 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000-द० रो०-40-1200, के पद पर अपनी पदोन्नति के फलस्वरूप—देखिए इस कार्यालय के पृष्ठांकन प० सं० 11-22/ई० टी०/78/44 दिनांक 9-1-78 के अन्तर्गत निर्गत कार्यालय स्थापना आदेश सं० 1/ए०/4/-1978 दिनांक 9-1-78 अधीक्षक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक (ख) एम० ओ० आर० हाथरस के पद का कार्यभार दिनांक 16-1-78 को ग्रहण किया।

सं० 14/78—श्री एस० वी० शर्मा निरीक्षक, "प्रवरण कोटि" केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ने अधीक्षक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क वर्ग 'ख' वेतनमान रु० 650-30-740-35-810-द० रो० 35-880-40-1000 द० रो०-40- 1200 के पद पर अपनी पदोन्नति के फलस्वरूप—देखिए इस कार्यालय के पृष्ठांकन प० सं० 11-22-ई० टी०/78/44 दिनांक 9-1-78 के अन्तर्गत निर्गत कार्यालय स्थापना आदेश सं० 1/ए०/4/1978 दिनांक 9-1-78 अधीक्षक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मुख्यालय कानपुर के पद का कार्यभार दिनांक ग्रहण किया।

सं० 18/78—श्री एच० एस० मित्रा निरीक्षक (प्रवरण कोटि) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ने, अधीक्षक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क वर्ग 'ख' वेतनमान रु० 650-30-740-35-810 द० रो० 35-880-40-1000-द० रो० 40-1200 के पद पर अपनी पदोन्नति के फलस्वरूप देखिए इस कार्यालय के पृष्ठांकन प० सं० 11-22-ई० टी०/78/44 दिनांक 9-1-78 के अन्तर्गत निर्गत कार्यालय स्थापना आदेश सं० 1/ए०/4/1978 दिनांक 9-1-78 अधीक्षक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक मुख्यालय कानपुर (मु०) के पद का कार्यभार दिनांक 176-7-78 पूर्वाह्न ग्रहण किया।

सं० 23/78—श्री वीरेन्द्र स्वरूप निरीक्षक "प्रवरण कोटि" केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ने अधीक्षक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क वर्ग 'ख' वेतनमान रु० 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000-द० रो०-40-1200 के पद पर अपनी पदोन्नति के फलस्वरूप देखिए समाहर्ता के० उ० शु० इलाहाबाद के पृष्ठांकन संख्या 11 "39" 24-ई० 7487 दिनांक 10-1-78 के अन्तर्गत निर्गत आदेश सं० 5/78 दिनांक 10-1-78 स्था० के उ० शुल्क कानपुर एम० ओ० आर० III के पद का कार्यभार दिनांक 25-2-78 ग्रहण किया।

के० प्रकाश आनन्द
समाहर्ता

पटना, दिनांक 28 अगस्त 1978

सं० 11(7)2/स्था०/78/8453—इस कार्यालय के स्थापना आदेश संख्या 204/78 दिनांक 15-7-78 के अनुसार निम्नलिखित कार्यालय अधीक्षकों को स्थानापन्न प्रशासन अधिकारी/सहायक मुख्य लेखा पदाधिकारी, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क ग्रुप 'बी' के रूप में पदोन्नत किया गया तथा उन लोगों ने प्रशासन पदाधिकारी/सहायक मुख्य लेखा पदाधिकारी के रूप में वेतनमान रु० 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000-द० रो०-40-1200/- तथा नियमान्तर्गत देय सामान्य भत्तों के सहित वेतनमान पर उनके नाम के सामने दिखाए गए स्थान, तिथि और समयानुसार कार्यभार ग्रहण किया। श्री योगन्द्र प्रसाद की नियुक्ति ग्रुप 'बी' में पर्णतः तदर्थ आधार पर किया गया है।

पदाधिकारी का नाम	पदस्थापन के स्थान	कार्य-ग्रहण तिथि
1. श्री गौरी शंकर सिंह	सहायक मुख्य लेखा अधिकारी (लेखा) केन्द्रीय उत्पाद, पटना	15-7-78 (अपराह्न)
2. श्री एस० एन० बनर्जी	प्रशासन पदाधिकारी केन्द्रीय उत्पाद, धनबाद	29-7-78 (पूर्वाह्न)
3. श्री योगन्द्र प्रसाद	सहायक मुख्य लेखा अधिकारी (राजस्व) (लेखा परीक्षा) केन्द्रीय उत्पाद, पटना	15-7-78 (अपराह्न)

ए० एम० सिन्हा
समाहर्ता
केन्द्रीय उत्पाद, पटना

नौवहन एवं परिवहन मंत्रालय

नौवहन महानिदेशालय

बम्बई-400001, दिनांक 25 अगस्त 1978

सं० 11टी०आर०(2)/78—राष्ट्रपति श्री जियाउद्दीन को मरीन इंजीनियरी प्रशिक्षण निदेशालय, कलकत्ता में व्यावहारिक विज्ञान के प्राध्यापक के रूप में तारीख 5 जुलाई 1978 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक नियुक्त करते हैं

के० एस० सिंधू
नौवहन उप महानिदेशक

केन्द्रीय जल आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 18 अगस्त, 1978

सं० ए०-32014/1/77-प्रशासन-पांच (खण्ड-II) — विभागीय पदोन्नति समिति (ग्रुप बी०) की सिफारिश पर

अध्यक्ष , केन्द्रीय जल आयोग, श्री ए० जे० थोमस, अशिकल्प सहायक को, जिन्होंने नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लि० में संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियक्ति में रहते हुए "आसन्न कनिष्ठ नियम" की सभी शर्तें पूरी की है, अनुपस्थिति में, स्थानापन्न रूप में अतिरिक्त सहायक निदेशक/सहायक अभियंता की श्रेणी में रु० 650-30-740-35-810 द० रो०-35-880-40-1000-द० रो०-40-1200 के वेतनमान में 3 जून, 1977 की पूर्वाह्न से अगले आदेश होने तक नियुक्त करते हैं।

2. श्री ए० जे० थोमस 5 मार्च, 1978 से, अर्थात् जिस तारीख को उन्होंने नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लि० से वापस लौटकर पद का कार्यभार ग्रहण किया, दो वर्ष पर्यन्त परिवीक्षा पर रहेंगे।

सं० ए०-19012/705/78-प्रशासन-पांच—अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग, निम्नलिखित अधिकारियों को अतिरिक्त सहायक निदेशक/सहायक अभियंता की श्रेणी में स्थानापन्न रूप में रु०-650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000 द० रो०-40-1200 के वेतनमान में उनके सामने दी गई तिथियों से छः मास पर्यन्त नियुक्त करते हैं।

उन्होंने अपने नामों के सामने दिये गए कार्यालयों में कार्यभार ग्रहण कर लिया है :—

क्र० सं०	अधिकारी का नाम व पदनाम	पदोन्नति कि तारीख	कार्यालय का नाम जहां पदस्थापित किए गए
1.	श्री बी० आर० रेड्डी पर्यवेक्षक	22-6-78 (पूर्वाह्न)	तिपाई मुख अन्वेषण प्रभाग-2, इम्फाल
2.	श्री के० कुन्हीरामन, पर्यवेक्षक	22-6 78 (पूर्वाह्न)	मिराज गैजिंग, उप-प्रभाग, मिराज
3.	श्री ई० करुणाकरण, पर्यवेक्षक	29-6-78 (अपराह्न)	केन्द्रीय बाढ़ पूर्वानुमान प्रभाग, हैदराबाद

जे० के० साहा,
अवर सचिव,
केन्द्रीय जल आयोग

निर्माण महानिदेशक

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 23 अगस्त 1978

सं० 33/12/73-ई० सी०-9(भाग-6)—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नामित श्री ए० के० कनसल की केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में 1100-50-1600 रुपए के वेतनमान में 1100/- रुपए प्रतिमास पर सामान्य शर्तों पर 24-7-78 (पूर्वाह्न) से वास्तुक के अस्थायी पद पर (सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह-ए) नियुक्त करते हैं।

2. श्री कन्सल 24-7-78 पूर्वाह्न से दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखे जाते हैं।

3. 14-8-78 (अपराह्न) से श्री कन्सल की श्री ए० के० पाठक वास्तुक जिनकी पदोन्नति वरिष्ठ वास्तुक के रूप में हो गई है के एवज में मुख्य इन्जीनियर (सी० डी० ओ०) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, नई दिल्ली के अधीन, वरिष्ठ वास्तुक (कन्सल्टेंसी) एकक में तैनाती की जाती है।

कृष्ण कान्त,
प्रशासन उपनिदेशक

उत्तर रेलवे

नई दिल्ली-1, दिनांक 15 जुलाई 1978

सं० 27—भारतीय रेल अभियांत्रिकी विभाग के श्री जे० के० माथुर स्थानापन्न मुख्य ब्रिज अभियंता उत्तर रेलवे प्रधान कार्यालय 30 जून, 1978 के अपराह्न से आयु अधीन सेवा निवृत्त हो गए हैं।

आर० श्रीनिवासन,
महाप्रबन्धक

पूर्वोत्तर सीमा रेलवे

पाण्डु, दिनांक 21 अगस्त 1978

सं० ई०/55/III/91/भाग-III ओ०—श्री ए० के० विश्वास जो यातायात परिचालन और वाणिज्य विभाग में अवर वेतन-मान अधिकारी हैं, अभी पूर्व रेलवे में अवर प्रशासन ग्रेड में उप मुख्य परिचालन अधीक्षक सर्वेक्षण के पद पर स्थानापन्न कर रहे हैं, को दिनांक 10-3-76 से प्रवर वेतन-मान में स्थायी किया जाता है।

एम० आर० एन० मूर्ति,
महाप्रबन्धक

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय

(पूर्ति विभाग)

राष्ट्रीय परीक्षण गृह अलीपुर

कलकत्ता, दिनांक 24 अगस्त 1978

सं० जी०-318/ए०/—निदेशक, राष्ट्रीय परीक्षण गृह कलकत्ता, श्री पी० के० चक्रवर्ती को 20 मार्च, 1978 (पूर्वाह्न) से आगामी आदेशों तक राष्ट्रीय परीक्षण गृह, बम्बई शाखा, बम्बई में सहायक निदेशक (प्रशासन) ग्रेड-II के रूप में नियुक्त करते हैं।

ए० के० मजूमदार,
उप निदेशक (प्रशासन)
राष्ट्रीय परीक्षण गृह, अलीपुर
कलकत्ता

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय
(कम्पनी कार्य विभाग)
कम्पनी विधि बोर्ड
कम्पनियों के रजिस्ट्रार का कार्यालय

कम्पनी अधिनियम, 1956 और राय साहब एस० अरोरा एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड के विषय में
पटना, दिनांक 21 अगस्त 1978

सं० (268)-3/560/78-79-3128—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उप धारा (3) के अनुसार एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर राय साहब एस० अरोरा एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एस० बनर्जी,
कम्पनी रजिस्ट्रार, बिहार

कम्पनी अधिनियम 1956 और लुधियाना हाईवेज प्राइवेट लिमिटेड के विषय में
जालंधर, दिनांक 24 अगस्त 1978

सं० 9/)एस० डब्ल्यू०/3110—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर लुधियाना हाईवेज प्राइवेट लिमिटेड का नाम, इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

सत्य प्रकाश तायल
कम्पनी रजिस्ट्रार
पंजाब एवं चन्दीगढ़ हिमाचल प्रदेश

भारतीय कम्पनी अधिनियम 1913
अहमदाबाद, दिनांक 28 अगस्त 1978

सं० 355/लाक्वीडेशन—कम्पनी अधिनियम 1913 और श्री सिध्यापुर टैक्सटाइलस प्राइवेट लिमिटेड के विषय में 1913 की धारा 247 की उपधारा (5) के अनुसण में एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि मेसर्स श्री सिध्धपुर टैक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

जे० गो० गाथा,
कम्पनियों का रजिस्ट्रार
गुजरात

आयकर अपील अधिकरण
बम्बई-400020, दिनांक 22 अगस्त 1978

सं० एफ०-48ए०डी० (ए०टी०)/78 भाग-II—श्री आर० के० घोष, स्थानापन्न सहायक अधीक्षक, आयकर अपील अधिकरण बम्बई न्यायापीठ, बम्बई को आयकर अपील अधिकरण, जयपुर न्यायापीठ, जयपुर में तदर्थ आधार पर अस्थायी क्षमता में सहायक पंजीकार के पद पर 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000-द० रो०-40-1200 के वेतनमान पर दिनांक 18 अगस्त, 1978 (पूर्वाह्न) से तीन महीने के लिए या तब तक जब तक उक्त पद हेतु संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नियमित नियुक्ति नहीं हो जाती जो भी शीघ्रतर हो, स्थानापन्न रूप से नियुक्त किया जाता है।

उपर्युक्त नियुक्ति तदर्थ आधार पर है और यह श्री आर० के घोष को उसी श्रेणी में नियमित नियुक्ति के लिए कोई दावा प्रदान नहीं करेगी और उनके द्वारा तदर्थ आधार पर प्रदत्त सेवाएं उसी श्रेणी में न तो वरीयता के अभिप्राय से परिगणित की जाएगी और न उससे निकटतम उच्चतर श्रेणी में पदोन्नति किए जाने की पात्रता ही प्रदान करेगी।

डी० रंगास्वामी
अध्यक्ष

कार्यालय, आयकर आयुक्त
पटना, दिनांक 26 अगस्त 1978

सं० जी० सी०-3/XV-1/77-78/31876—केन्द्रीय सरकार की राय में यह जनहित की दृष्टि से आवश्यक एवं समीचीन है कि उन निर्धारितियों के नाम तथा उनसे संबंधित अन्य ब्यौरे प्रकाशित कर दिए जाएं जिन पर कम से कम 5000/- रुपए या उससे अधिक अर्थदण्ड लगाया गया था। मैं एतद्द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की 287 के अधीन बिहार आयकर प्रभार के उन निर्धारितियों के नाम तथा अन्य ब्यौरे प्रकाशन के लिए अधिसूचित करता हूं जिन पर वित्तीय वर्ष 1976 77 के दौरान कम से कम 5000/- रुपए या अधिक का अर्थदण्ड लगाया था। प्रविष्टियों का क्रम इस प्रकार है :—

(क) हैसियत निर्देश व्यक्ति के लिए 'व्यष्ठि' हिन्दी अविभक्त परिवार के लिए (हि० अ० प०), फर्म के लिए 'फर्म' (ख) निर्धारण वर्ष (ग) अर्थदण्ड की राशि।

(1) श्री तेजा सिंह, रातु रोड, रांची (क) व्यष्टि (ख) 1972-73 (ग) 12000/- रु० (2) मैसर्स/गजानन्द छोटे लाल, रांची (क) हि० अ० प० (ख) 1972-73 (ग) 5335/- रु० (3) मैसर्स लक्ष्मी नारायण एण्ड सन्स, लालपुर (क) फर्म (ख) 1972-73 (ग) 5655/- रु०।

दिनांक 17 अगस्त 1978

सं० जी० सी०-3/ -1/77-78/3/1869—केन्द्रीय सरकार की राय में यह जनहित की दृष्टि से आवश्यक एवं समीचीन है कि उन निर्धारितियों के नाम तथा उनसे सम्बन्धित अन्य ब्यौरे प्रकाशित कर दिए जाएं जिनके ऊपर एक लाख रु० से अधिक की आयकर की राशि बकाया है। मैं, एतद्द्वारा, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 287 के अधीन बिहार आयकर प्रभारों के उन निर्धारितियों के नाम

तथा अन्य ब्यौरे प्रकाशन के लिए अधिसूचित करता हूं जिनके पास (वित्तीय वर्ष 1976-77 के अन्त तक) दो वर्ष से या उससे अधिक अवधि से कर बकाया है।

क्र० सं०	नाम तथा पता	राशि
1.	मैसर्स प्रभु दयाल मोह लाल, कीरकेन्द, धनबाद।	1,15,000/- रुपए
2.	कृपा शंकर जायसवाल, लालपुर, रांची।	1,79,925/- रुपए (1,30,000/- प्रकाशन की तिथि तक)
3.	गिरिजा शंकर जायसवाल, लालपुर, रांची।	1,52, 196/- रुपए
4.	देवनारायण जायसवाल, लालपुर, रांची।	2,48,631/- रुपए (2,43,000/- रुपए प्रकाशन की तिथि तक)
5.	मैसर्स जगन्नाथ नन्दलाल, रांची।	1,06,159/- रुपए

सं० जी० सी०-3(-I/77-78/31873—केन्द्रीय सरकार की राय में यह जनहित की दृष्टि से आवश्यक एवं समीचीन है कि उन सभी व्यक्तियों तथा हिन्दू अविभक्त परिवारों, जिनका निर्धारण 2 लाख रुपए से अधिक की आय पर हुआ था तथा उन फर्मों, व्यक्ति संघों एवं कम्पनियों जिनका निर्धारण 10 लाख रुपए अधिक की आय पर हुआ था, के नाम तथा अन्य ब्यौरे प्रकाशित किए जाएं। मैं, एतद्द्वारा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 287 के अधीन आयकर प्रभार बिहार-I तथा-II के निम्नलिखित निर्धारितियों के नाम तथा अन्य ब्यौरे प्रकाशन के लिए अधिसूचित करता हूं जिनका वित्तीय वर्ष 1976-77 के मध्य इस प्रकार का निर्धार हुआ है। प्रविष्टिक्रम इस प्रकार है:—

(क) हैसियत निर्देश व्यक्तिगत के लिए 'व्यष्टि' हिन्दु अविभक्त परिवारों के लिए 'हि० अ० पु०' फर्म के लिए 'फर्म', कम्पनी के लिए 'कं' (ख) निर्धारण वर्ष (ग) विवरणी में बताई गई आय (घ) निर्धारित आय (च) निर्धारिती द्वारा देय कर तथा (छ) निर्धारिती द्वारा चुकाया गया कर।

(1) श्री मिश्री लाल जैन, चाईबासा (क) व्यष्टि (ख) 1976-77 (ग) 1,44,74,480- रु० (घ) 1,45,40,720/- रु० (च) 1,11,72,915/- रु० (छ) 1,11,72,915/- रु० (2) मैसर्स यादोगोड़ा स्टील वर्क्स लि० (जापान), जमशेदपुर (क) कं० (ख) 1976-77 (ग) 25,37,840/- रु० (घ) 25,37,840/- रु० (च) 13,32,366/- रु० (छ) 13,32,366 /- रु० (3) मैसर्स रतन जर्दा सप्लाई कम्पनी, मुज्जफ्फरपुर, (क) फर्म (ख) 1975-76 (ग) 23,87,600/- रु० (घ) 24,32,530/- रु० (च) 6,26,788/- रु० (छ) 6,26,788/- रु० (4) रुकमणि देवी द्वारा मेसर्स/- रतन जर्दा सप्लाई कं० मुजफ्फरपुर (क) व्यष्टि (ख) 1975-76 (ग) 2,64,677/- रु० (घ) 2,69,640/- रु० (च) 1,84,226/- रु० (छ) 1,84,226/- रु० (5) अवन्ती लाल द्वारा मैसर्स रतन जर्दा सप्लाई कं०, मुजफ्फरपुर (क) व्यष्टि (ख) 1975-76 (ग) 2,96,430/- रु० (घ) 3,02,050/- रु० (च) 2,09,182/- रु० (छ) 2,09,182/- रु०।

अरुण कुमार दास गुप्ता,
आयकर आयुक्त, बिहार-1, पटना

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, निरीक्षी सहायक आयकर आयुक्त

अर्जन परिक्षेत्र, बिहार, पटना

पटना, दिनांक 5 जुलाई 1978

निर्देश सं० 111-271/अर्जन/78-79/422—अतः मुझे, मुरारी नन्द तीवारी

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी संख्या जे० न० 986/1158 वार्ड नं० हिस्सा जो एम० एस० प्लांट नं० 808, रांची में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय रांची (बिहार) में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन

31-12-1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है

और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखत में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसा किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) मैसर्स दी इन्डस्ट्रीयल गैस (बिहार) लि० जिसका रजिस्टर्ड आफिस नं० बी०-6/14, सफदर जंग इनकलीम बंसल नई दिल्ली-110016, द्वारा एक्जेयुटीव डाइरेक्टर श्री ललीत बिहारी बंसल, ग्रा० सीदरौल० खीजारी पो० भयान जामकुमा जिला रांची (बिहार)।
(अन्तरक)

(2) मैसर्स योगदा सतसंग सोसाइटी औफ इन्डीया मुख्यालय:—21, उपेन्द्रनाथ मुखर्जी रोड़, दक्षिणेश्वर, कलकत्ता-700076। (पश्चिमी बंगाल)।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन का रकबा:—1 बिघा 1 कठ्ठा 5½ छटांक जमीन में बना हुआ मकान जो हाल्डींग नं० 986/1158, एम० एस० प्लाट नं० 808, वार्ड नं० VI और रांची शहर में स्थित है। जिसका पूर्ण विवरण दस्तावेज सं० 8981 दिनांक 31-12-77 में पूर्ण वर्णित है।

मुरारी नन्द तीवारी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन परिक्षेत्र, बिहार, पटना

तारीख 5-7-78
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एम०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, धारवाड़ का कार्यालय

धारवाड़-580004, दिनांक 21 जुलाई 1978

निर्देश सं० 218/78-79/अर्जन—यतः मुझे डी० सी० राजगोपालन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम', कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है,

और जिसकी सं० 20 है, जो गोगीला, मारगांव, गाँव में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय, मारगांव (अंडर डाकुमेंट नं० 11/77-78) दिनांक 3-1-78 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. मैसर्स अलकन कनस्टक्शन एजेनसीस और बिल्डरर्स वेलवो बिल्डींग, पनंजीम (गोवा)।

(अन्तरक)

2. श्री भूपेडा जीवनलाल कानजी,

(2) श्री किरन जीवनलाल कानजी एच० नं० 35, जेनरल मरचंट मारगांव (गोवा)।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नं० 20 गोगीला के यहां है। एकत्र स्थान 827 मीटर्स है। मारगांव (गोवा)।

डी० सी० राजागोपालन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, धारवाड

तारीख : 21-7-78
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा

269-ध (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज II, मद्रास

मद्रास, दिनांक 29 अगस्त 1978

निर्देश सं० 5998/दिसम्बर/77—यतः के० पोन्नन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० प्लाट सं० 24 चौदीरी कालोनी, मद्रास में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, टी० नगर, मद्रास (डाकुमेण्ट 962/77) में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख दिसम्बर 1977 को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ध की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) श्री कोशिश वर्गीस।

(अन्तरक)

(2) श्री ए० एन० गोपाल कृष्णन।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मद्रास, डाक्टर हेज रोड, चौदीरी कालोनी, प्लाट सं० 24 में भूमि और मकान।

के० पोन्नन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, II मद्रास

तारीख : 29-8-78
मोहर

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज II, मद्रास

काकीनाडा, दिनांक 29 अगस्त 1978

निर्देश सं० 5980/दिसम्बर/77—यत: मुझे, के० पोन्नन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० मद्रास, मैलापूर, बालकृष्णा रोड, डोर सं० 10ए में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जे० एस० आर० II मद्रास नाथ '(डाकुमेंण्ट 3630) में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) श्री जी० जी० राम अय्यर।

(अन्तरक)

(2) श्री ए० मोहमद मोहैदीन।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें संयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मद्रास, मैलापूर बालकृष्णा रोड, डोर सं० 10 ए० में 2 ग्राउण्ड और 97 स्कुयर फीट मकान के साथ)।

के० पोन्नन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज II, मद्रास

तारीख: 29-8-78
मोहर:

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज II, मद्रास

मद्रास, दिनांक 29 अगस्त 1978

निर्देश सं० 5953/दिसम्बर/77—यतः, मुझे, के० पोन्नन, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० मद्रास, मन्दवेली, सौत केनाल बैंक रोड, डोर सं० 1/21 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, मैलापूर, मद्रास (डाकुमेण्ट 1062/77) में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 1-12-1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमती के० पदमावती अम्माल।

(अन्तरक)

2. श्री हाजी ई० ए० अब्दुल कादर (आर० अब्दूल मजिद के द्वारा)।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मद्रास-28, मन्दवेली, सौत केनाल बैंक रोड में डोर सं० 1/21। (ले आउट सं० 11/69 में प्लाट सं० 2 (भाग)।

के० पोन्नन
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज II, मद्रास

दिनांक : 29 अगस्त 1978
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, मद्रास

मद्रास, दिनांक 29 अगस्त 1978

निर्देश सं० 5955/दिसम्बर/77——यतः, मुझे, के० पोक्षन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट सं० ए० 2, डोर सं० 1, डाक्टर सी० पी० रामसामि अय्यर रोड, मद्रास-18 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, मैलापूर, मद्रास (डाकुमेण्ट 1077/77) में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख दिसम्बर 1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :——

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों, को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात :—

1. हरि ट्रस्ट (के० रामकृष्णन, ट्रस्टी के द्वारा)।

(अन्तरक)

2. मैसर्स डेना विशन लिमिटेड।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :——

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :——इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20—क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मद्रास-18, आलवारपेट, डाक्टर सी० पी० रामस्वामी अय्यर रोड, डोर सं० 1 में फ्लैट सं० ए 2 और 5 ग्राउण्ड और 262 स्क्वयर फीट में 1/18 अभिन्न भाग (डाकुमेण्ट 1077/77)।

के० पोक्षन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-, मद्रास

तारीख : 29-8-78
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एम०----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज-II, मद्रास

मद्रास, दिनांक 29 अगस्त, 1978

निर्देश सं० 5955/दिसम्बर/77—यतः मुझे के० पोन्नन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट सं० ए1, डोर सं० 1, डाक्टर सी० पी० रामस्वामी अय्यर रोड, मद्रास-18 मे स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, मैलापूर, मद्रास ('डाकुमेण्ट 1076/77) में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिसम्बर 1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है ।

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हे भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने मे सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती उषा ट्रस्ट (के० रामकृष्णन, ट्रस्टी के द्वारा) ।

(अन्तरक)

(2) मैसर्स डैना विशन लिमिटेड ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

मद्रास-18, आलवारपेट, डाक्टर सी० पी० रामस्वामी अय्यर रोड, डोर सं० 1 में फ्लैट सं० ए1 और 5 ग्राउण्ड और 262 स्कुयर फीट में 1/18 अभिन्न भाग । (डाकुमेण्ट 1076/77) ।

के० पोन्नन
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, मद्रास

तारीख : 29-8-1978
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एम०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 ख(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, मद्रास

मद्रास, दिनांक 29 अगस्त, 1978

निर्देश सं० 4553/दिसम्बर/77—यतः मुझे, के० पोन्नन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० कोयम्बतूर, रेस कोर्स रोड, डोर सं० 6/64 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, कोयम्बतूर (डाकुमेण्ट 2544/77) में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख दिसम्बर 1977 को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :

(1) श्री टी० जेयदेव, श्रीमती वसन्ता श्रीमती पावालम्माल, सोमसुन्द्रम और आर० टी० सत्यदेव।

(अन्तरक)

2. (1) श्री एम० बी० बोजन ।
(2) श्री एम० बी० सुब्रमनि।
(3) श्री एम० बी० राजेन्द्रन।
(4) श्री एम० बी० पार्तिपन और
(5) श्री एम० बी० सुरेश (4 और 5 एम० एम० बेल्लि के द्वारा)।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कोयम्बतूर, रेस कोर्स रोड, डोर सं० 6/64 में भूमि और मकान।

के० पोन्नन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, मद्रास

तारीख : 29-8-1978
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एस० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज II, मद्रास

मद्रास, दिनांक 29 अगस्त, 1978

निर्देश सं० 8083/दिसम्बर/77—यतः मुझे के०, पोन्नन, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० कारैकाल, मारी अम्मन कोयिल स्ट्रीट डोर सं० 28 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, कारैकाल (डाकुमेण्ट 558/77) में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 15-12-77 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती जयलक्ष्मी (अन्तरक)

(2) श्री मोहम्मद सुल्तान हारिफ और श्रीमती एम० एच० हबूसा उम्माल।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कारैकाल, मारीअम्मन कोयिल स्ट्रीट, डोर सं० 28 क में भूमि और मकान।

के० पोन्नन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त, (निरीक्षण)
अर्जन रेंज II, मद्रास

तारीख : 29-8-78

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एम०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज II, मद्रास कार्यालय

मद्रास, दिनांक 29 अगस्त 1978

निर्देश सं० 5951/दिसम्बर/77—यतः मुझे के० पोन्नन, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० प्लाट सं० 3362, ए० ए० नगर, मद्रास में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, में कोडम्बाक्कम, मद्रास (डाकुमेण्ट 1832/77) में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख दिसम्बर 1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री जी० रामचन्द्रन।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती सुगन राय ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

मद्रास, ए० ए० नगर, प्लाट सं० 3362 में भूमि और मकान (डाकुमेण्ट 1832/77) ।

के० पोन्नन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, मद्रास

तारीख : 29-8-78
मोहर :

प्ररूप आई०टी०एन०एम०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269 ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज II, मद्रास कार्यालय
मद्रास, दिनांक 29 अगस्त 1978

निर्देश सं० 4572/दिसम्बर/77—यतः मुझे, के० पोन्नन, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० 2/5 और 18, बालाजी नगर, कोयम्बतूर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, कोयम्बतूर डाकुमेण्ट 2676/77) में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 19-12-1977 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री जी० आर० देवराज।

(अन्तरक)

(2) इक्विपमन्टस इन्डिया।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कोयम्बतूर, बालाजी नगर, सैट सं० 5 और 18 में भूमि और मकान 1 (डोर सं० 2/5 और 18) (टी० एस० सं० 10/159/2।

के० पोन्नन,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज II, मद्रास

तारीख : 29-8-1978
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज 1, दिल्ली-1

4/14 क, आसफ अली मार्ग, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 22 अगस्त 1978

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यु०I/एस० आर०-III/349/मार्च–20/77-78/2378—अतः मुझे, जे० एस० गिल, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु० से अधिक है

और जिसकी सं० एस०-437 है तथा जो ग्रेटर कैलाश-II, नई दिल्ली में स्थित है और (इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नई दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 6-3-1978

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. श्री वीरेन्द्रा सारूप सक्सैना तथा राजीन्द्रा सारूप सक्सैना, सुपुत्र स्वर्गीय श्री मदन मोहन लाल, द्वारा श्री आर० एस० सक्सैना, नैशनल स्पोर्टस क्लब आफ इन्डिया, मथुरा रोड, नई दिल्ली । (अन्तरक)
2. श्री चांद नारायण, सुपुत्र श्री पुषकर नाथ, द्वारा श्री जे० एन० लंगर (वकील), सैकिन्ड ब्रीज, शालोंगर, हाब्बाकदाल, श्रीनगर, काश्मीर I लेकिन अब डी-26, गुलमोहर पार्क, नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक फ्रीहोल्ड निवासी प्लाट जिसका क्षेत्रफल 294 वर्ग गज है और नं० 437, ब्लाक नं० 'एस' है, ग्रेटर कैलाश-II नई दिल्ली, दिल्ली नगर निगम की सीमा के अन्तर्गत, बाहपुर गांव, दिल्ली की यूनियन टैरीटरी में निम्न प्रकार से स्थित है।

पूर्व : रोड़।
पश्चिम : सर्विस लेन।
उत्तर : मकान नं० एस-435।
दक्षिण : मकान नं० एस-439।

जे० एस० गिल,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-I, दिल्ली, नई दिल्ली-1

तारीख : 22-8-78
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस ०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, नई दिल्ली-1

4/14 क, आसफ अली मार्ग, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 22 अगस्त 1978

निर्देश सं० आई० ए० सी० /एक्यु०/1/एस० आर०-III/-259/दिसम्बर-58/77-78/2379—अतः मुझे, जे० एस० गिल, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है,

और जिसकी सं० एस०-355 है तथा जो ग्रेटर कैलाश-II, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नई दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 30-12-1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में; मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन; निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री अनिल खोसला, सुपुत्र दिवान बाल कृष्ण, लेकिन अब एस० बेदी, 311 सीलवर वैली ड्राईव एन० डब्ल्यू० कालगरी, अलबर्टस, कनाडा टी-38, 4-बी० सी०। इनके अटारनी श्री फकीर चन्द बेदी के द्वारा तथा श्रीमती शुक्ला बेदी।

(अन्तरक)

2. श्री हरीश चन्द्र, मेहता, छत्तर पाल मेहता, भीषम देव मेहता तथा लव देव मेहता, सुपुत्र श्री राधा वल्लभ मेहता, निवासी डी-179, विवेक बिहार, दिल्ली-32।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक प्लाट जिसका नं० 541, ब्लाक नं० 'ई' है और क्षेत्रफल 400 वर्ग गज है, निवासी कालौनी ग्रेटर कैलाश-II, नई दिल्ली के बाहापुर गांव, नई दिल्ली में निम्न प्रकार से स्थित है :—

पूर्व : रोड़
पश्चिम : सर्विस लेन
उत्तर : प्लाट नं० ई०-543
दक्षिण : प्लाट नं० ई०-539।

जे० एस० गिल,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, दिल्ली, नई दिल्ली-1

तारीख : 22-8-1978
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०--------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज I, दिल्ली-1

नई दिल्ली, दिनांक 22 अगस्त 1978

निर्देश सं० आई० ए० सी० /एक्यू/1/238 /दिसम्बर-22/77-78/2378—यतः मुझे, जे० एस० गिल, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० एस-281 है तथा जो ग्रेटर कैलाश-II, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय, दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 13-12-1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व मे कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :--

1. श्री मदन लाल मलहोत्रा, सुपुत्र स्वर्गीय श्री लाल चन्द मलहोत्रा, निवासी 21, बैंटिंक स्ट्रीट, कलकत्ता-1 इनके अटारनी श्री विनोद कुमार कपूर, सुपुत्र श्री अमर नाथ कपूर निवासी बी-29, निजामुद्दीन ईस्ट, नई दिल्ली। (अन्तरक)

2. श्रीमती शोभा कोहली, पत्नी श्री आर० के० कोहली, निवासी 1911, चूना मण्डी, पहाड़गंज, नई दिल्ली। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक फ्रीहोल्ड प्लाट जिसका क्षेत्रफल 300 वर्ग गज है, और नं० एस-281 है, ग्रेटर कैलाश-II, नई दिल्ली के बाहपुर गांव, दिल्ली की यूनियन टैरीटरी, में निम्न प्रकार से स्थित है :--

पूर्व : रोड़
पश्चिम : सर्विस लेन
उत्तर : एस-279
दक्षिण : एस-283

जी० एस० गिल,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, दिल्ली, नई दिल्ली-1

तारीख : 22-8-1978
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार
कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज 1, दिल्ली-1
नई दिल्ली, दिनांक 24 अगस्त 1978

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/1/एस० आर०-/III 343/मार्च-10/77-78/2378—अतः मुझे, जे० एस० गिल आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 5 ब्लाक नं० 15 है तथा जो अकबर रोड, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे पूर्ण, रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख मार्च, 1978

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरको) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हे भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. पं० लक्ष्मीकान्त झा, सुपुत्र स्वर्गीय पं० अजयब झा बालिया गाव, पी० एस० मधुबनी, जिला मधुबनी बिहार। जोकि स्वर्गीय महाराजाधीराज डा० सर कामेश्वर सिंह, दरभंगे, बिहार के राजस्व के एकजीक्यूटर है।

(अन्तरक)

2. मरानीधीरानी, कामसुन्दरी साहिबा, पत्नी स्वर्गीय माहराजाधीराजा डा० सर कामेश्वर सिह निवासी कल्याणी हाऊस, 7-मान सिंह रोड़ के सामने, नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियो में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदो का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

खाली प्लाट जिसका क्षेत्रफल 1.14 एकड़ है, और नं० 5, ब्लाक नं० 15 है, अकबर रोड, नई दिल्ली में निम्न प्रकार से स्थित है.—

पूर्व : डालमिया हाउस
पश्चिम : सरकारी भूमि
उत्तर : अकबर रोड़
दक्षिण . सर्विस लेन

जे० एस० गिल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज 1, दिल्ली, नई दिल्ली-1।

तारीख : 24-8-1978
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज I, दिल्ली-1

नई दिल्ली-1, दिनांक 22 अगस्त 1978

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यु०/1/एस० आर०-/III 315/फरवरी-50/77-78/2378—अतः मुझे, जे० एस० गिल, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० बी-42 है तथा जो महाराणी बाग, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 18-2-1978 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिये था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269 घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री आर० डी० नरगोलवा सुपुत्र श्री डी० एम० नरगोलवा, निवासी 113-09,95, एवैन्यु, रिचमांड हिल : न्यूयार्क, यू० एस० ए०।

(अन्तरक)

2. श्रीमती गुनमाला राजगरहिया पत्नी श्री पी० डी० राजगरहिया, निवासी बी-42, महारानी बाग, नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जायदाद जिसका नं० बी-42 है और क्षेत्रफल 1150 वर्ग गज है, महारानी बाग, नई दिल्ली में निम्न प्रकार से स्थित है:—

पूर्व : 80 फुट की सड़क
पश्चिम : 30 फुट की सड़क
उत्तर : प्लाट नं० बी०-41
दक्षिण : प्लाट नं० बी-43

जे० एस० गिल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, दिल्ली,
नई दिल्ली-1

तारीख : 22-8-1978
मोहर :

प्ररूप आई॰ टी॰ एन॰ एस॰——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, दिल्ली-1

निर्देश सं॰ आई॰ ए॰ सी॰/एक्यू॰/1/एस॰ आर॰-III/309/फरवरी 33/77–78/2378—अतः मुझ, जे॰ एस॰ गिल आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी संख्या एफ-9 है तथा जो एन॰ डी॰ एस॰ ई॰ पार्ट-1, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 15-2-1978 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए, और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्रीमती दविन्द्र कौर, पत्नी श्री ग्ल चन्द्र, निवासी सी॰ 88, कीर्ती नगर, नई दिल्ली। इनके अटारनी श्री मथरा दास, निवासी-सी-88, कीर्तीनगर, नई दिल्ली। (अन्तरक)

(2) श्रीमती इन्द्रजीत कौर, पत्नी एस॰ अमरजीत सिंह, जोहर, निवासी, सी॰-139, डिफैंस कालौनी, नई दिल्ली 1।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

पट्टे दार भूमि जिसका प्लाट नं॰ एफ॰ 9 है और क्षेत्रफल 200 वर्ग गज है, नई दिल्ली साउथ एक्सटेंशन, पार्ट-1, नई दिल्ली में निम्न प्रकार से स्थित है :—

पूर्व : रोड़
पश्चिम : सर्विस लेन
उत्तर : जयदाद नं॰ एफ॰-10
दक्षिण : जयदाद नं॰ एफ॰-8

जे॰ एस॰ गिल,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, नई दिल्ली-1,

तारीख : 22 अगस्त 1978
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एम०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली-1

नई दिल्ली, दिनांक 22 अगस्त 1978

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/1/एस० आर०-/III 308/फरवरी-30/77-78/2378—अतः मुझे, जे० एस० गिल, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य, 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी संख्या ई०-278 है तथा जो ग्रटर कैलाश 11, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 14-2-1978

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल के, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिये; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था, या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिये।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती राज ध्वन, पत्नी श्री सत्या वन ध्वन, निवासी, फ्लेट नं० 31, 4-ए, आउकलैन्ड, स्क्वैयर, कलकत्ता-17, इनके अटारनी श्री कमल ध्वन, सपुत्र श्री सत्या वन ध्वन के द्वारा, निवासी एस०-196, ग्रेटर कैलाज-1, नई दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) श्री नारीन्द्र जीत सिंह, सुपुत्र श्री ईशर सिंह, मोंगा, निवासी 132, गुजरवाला टाउन, पार्ट-II दिल्ली-33।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथा-परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक फ्रीहोल्ड प्लाट जिसका क्षेत्रफल 250 वर्ग गज है, और नं० 278, ब्लाक नं० 'ई' है, ग्रेटर कैलाई-II, नई दिल्ली के बाहापुर गांव, दिल्ली नगर निगम की सीमा के अन्तर्गत, दिल्ली की यूनियन टैरीटरी में निम्न प्रकार से स्थित है :—

पूर्व : मकान नं० ई-276.
पश्चिम : प्लाट नं० ई-280.
उत्तर : रोड़
दक्षिण : सर्विस लेन

जे० एस० गिल,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, नई दिल्ली-1,

तारीख : 22 अगस्त 1978
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, 4/14क, आसफअली मार्ग
नई दिल्ली, दिल्ली-1

दिल्ली-1, दिनांक 26 अगस्त, 1978

सं० आई० ए० सी० /एक्यु०/1/एस० आर०/296/फरवरी/77–78/2401—अतः मुझे, जे० एस० गिल, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी संख्या एस० 454 है तथा जो ग्रेटर कैलाश-II, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 3-2-1978

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए या, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री धर्मवीर सिंह, सुपुत्र श्री हरी चन्द, निवासी 41, मस्जिद रोड, जंगपुरा, नई दिल्ली-1।
(अन्तरक)

(2) श्री जसबीर सिंह, मोदी, सुपुत्र श्री दयाल सिंह मोदी, निवासी एल-19, कालकाजी, नई दिल्ली।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक फ्रीहोल्ड प्लाट जिसका क्षेत्रफल 550 वर्ग गज है और नं० एस-454 है, ग्रैटर कैलाश-II, नई दिल्ली में निम्न प्रकार से स्थित है :—

पूर्व : एस-456
पश्चिम : एस-452
उत्तर : सर्विस लेन
दक्षिण : रोड

जे० एस० गिल,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, दिल्ली, नई दिल्ली-1,

तारीख : 26-8-1978.
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, दिल्ली-1

नई दिल्ली, दिनांक 26 अगस्त, 1978

सं० आई० ए० सी०/एक्यु०/1/एस० आर०-III/जनवरी/77/78/2401—अतः मुझे, जे० एस० गिल, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम अधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य, 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी संख्या 146 है तथा जो विनोबापुरी, लाजपत नगर, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 17-1-1978 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, 'उक्त अधिनियम' के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम', या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या या किया जाना चाहिए था, छिपाने म सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

(1) श्रीमती माया देवी, पत्नी श्री राम लाल, निवासी 146, विनोबापुरी, लाजपत नगर, नई दिल्ली। (अन्तरक)

(2) श्रीमती वेद सचदेवा, पत्नी श्री एस० एन० सचदेवा, श्रीमती उषा सचदेवा, पत्नी श्री डी० एल०, सचदेवा, निवासी 146, विनोबापुरी, लाजपत नगर, नई दिल्ली। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक मंजिला मकान जोकि 100 वर्ग गज क्षेत्रफल के प्लाट के ऊपर बना हुआ है, जिसका नं० 146 है, विनोबापुरी, लाजपत नगर, नई दिल्ली में है।

जे० एस० गिल,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, दिल्ली, नई दिल्ली

तारीख : 26-8-1978
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज 1, दिल्ली-1

नई दिल्ली-1, दिनांक 26 अगस्त, 1978

निर्देश सं० आई० ए० सी० /एक्यु०/1/एस० आर०-III जनवरी/77-78/2401—अतः मुझे जे० एस० गिल आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० के०-67 तथा 68 तथा जो अलीगंज, करबला, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 12-1-1978

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है, और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छुपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमती चन्द्रमान कौर, पत्नी श्री मनोहर सिंह अपने लिए तथा कुमारी सराविन्द्र कौर तथा अन्य के लिए जरनल अटारनी है, निवासी के-67-68, अलीगंज, करबला, नई दिल्ली।

(अन्तरक)

2. श्री सरदार बच्चन सिंह, सुपुत्र सरदार स्वर्ण सिंह, निवासी मकान नं० 802, सैक्टर-7, आर० के० पूरम, नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सरकारी बनी हुई जायदाद जिसका नं० के-67 तथा 68 है, अलीगंज, करबला, नई दिल्ली में है।

जे० एस० गिल
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज 1, दिल्ली, नई दिल्ली-1

तारीख : 26-8-1978
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज I, दिल्ली-1

4/14 क, आसफअली मार्ग, नई दिल्ली

नई दिल्ली-1, दिनांक 26 अगस्त 1978

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यु०/1/एस० आर०- III/फरवरी-57/77-78/2402—अतः मुझे, जे० एस० गिल आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट नं० 78 है तथा जो भगत सिंह मार्किट, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 20-2-1978

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री बृज मोहन सिंह/प्रेमी तथा इन्द्र मोहन सुपुत्र श्री बिहारी लाल तथा श्रीमती धर्म वती, पत्नी श्री बी० के० सचदेवा, राज रानी चावला, पत्नी श्री एम० एल० चावला, इनके जनरल अटारनी श्री एस० पी० चड्ढा के द्वारा, निवासी दुकान नं० 109, भगत सिंह मार्किट, नई दिल्ली।

(अन्तरक)

2. श्री मन मोहन सुपुत्र श्री बिहारी लाल जोकि स्वयं तथा श्रीमती जगदीश रानी चावला के जनरल अटारनी हैं, पत्नी श्री ओ० पी० चावला, निवासी फ्लैट नं० 78, भगत सिंह मार्किट, नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक सरकारी बनी बिल्डिंग जिसका फ्लैट नं० 78 है, और क्षेत्रफल 798 वर्ग फुट है, लीज होल्ड अधिकारियों सहित भगत सिंह मार्किट, नई दिल्ली में निम्न प्रकार से स्थित है :—

पूर्व : सरकारी बनी जायदाद

पश्चिम : सरकारी बनी जायदाद

उत्तर : खुला

दक्षिण : लेन।

जे० एस० गिल

सक्षम प्राधिकारी,

सहायक आयकर आयुक्त, (निरीक्षण),

अर्जन रेंज I, दिल्ली, नई दिल्ली-1

तारीख : 26-8-1978

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, दिल्ली-1, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 26 अगस्त 1978

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यु०/I/IV/जनवरी/43/77-78/2402—अतः मुझे जे० एस० गिल आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम', कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० सी-11 है तथा जो कालिंदी कौलानी, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 19-1-1978

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये, अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिति (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिये और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11), या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था, या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

1. श्री गोपाल दत्त शर्मा, सुपुत्र श्री अबी नारायण निवासी वारावली कोठी, नई सड़क, दिल्ली ।
(अन्तरक)

2. श्री वीरेन्द्र एम० तरेहन, सुपुत्र श्री फकीर चन्द, निवासी सी-37, ईस्टज निजामुद्दीन, नई दिल्ली ।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

एक अचल सम्पत्ति जोकि 458 वर्ग गज क्षेत्रफल के प्लाट के ऊपर बनी हुई है, जिसका नं० सी-11 (सी-11, कैटागरी 3, ग्रुप ए) है, कालिंदी कालौनी , नई दिल्ली में निम्न प्रकार से स्थित है:—

पूर्व : रोड़
पश्चिम : सर्विस लेन
उत्तर : जायदाद नं० सी-10
दक्षिण : रोड ।

जे० एस० गिल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज,-I दिल्ली, नई दिल्ली-1

तारीख : 26-8-1978
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269ख(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भटिन्डा

भटिंडा, दिनांक 24 जुलाई 1978

निदेश सं० ए० पी० 293/एस० पी० एल०/78-79—यतः मुझे, पी० एन० मलिक

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो कमालपुर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सुलतान पुर लोधी में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख दिसम्बर 1977

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269ख की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. (1) श्री बंता सिंह सुपुत्र हरनाम सिंह गांव अलीकिया
   (2) श्री सुरैन सिंह पुत्र रल्ला सिंह वासी रामपुर जगीर तहसील सुलतानपुर जिला कपूरथला।
   (अन्तरक)
2. सर्वश्री दलीप सिंह, सुरजीत सिंह, सुमित्तर सिंह और जुगिन्द्र सिंह पुत्रान, लाल सिंह सर्वश्री करतार सिंह, महिन्द्र सिंह, स्वर्ण सिंह पुत्रान अटहर सिंह गांव कलुरू।
   (अन्तरिती)
3. जैसा कि नं० 2 में है।
   (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)
4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुची रखता है।
   (वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कमालपुर गांव में 72 कनाल 18 मरले जमीन जैसा कि विलेख नं० 1447, दिसम्बर 1977 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी सुलतानपुर लोधी में लिखा है।

पी० एन० मलिक
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त, (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भटिंडा

तारीख : 24-7-78
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भटिंडा

भटिंडा, दिनांक 24 जुलाई 1978

निदेश सं० ए० पी० 294/एन०डब्ल्यू० एस०/78-79—अतः, मुझे, पी० एन० मलिक,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है। तथा जो राहों में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नवां शहर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख दिसम्बर 1977

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम' के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269 घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री निर्मल सिंह पुत्र नानक चन्द गांव नीलो खड़ी तहसील नवां शहर।

(अन्तरक)

2. सर्वश्री निर्मल सिंह, अवतार सिंह पुत्रान भगत सिंह गांव राहों तहसील नवां शहर।

(अन्तरिती)

3. जैसा कि नं० 2 में है।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुची रखता है।

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम' के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

राहों गांव में 49 कनाल 8 मरले जमीन जैसा कि विलेख नं० 3480 दिसम्बर 1977 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी नवां शहर में लिखा है।

पी० एन० मलिक
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, भटिंडा

तारीख : 24-7-1978

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भटिंडा कार्यालय

भटिंडा, दिनांक 24 जुलाई 1978

निर्देश सं० ए० पी० 295/एस०पी० एल०/78-79—अतः मुझे पी० एन० मलिक,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी स० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो गिल्ल में स्थित है (और इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सुलतानपुर लोधी में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख दिसम्बर 1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य में कमी के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है, और अन्तरक (अन्तरको) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री जीत सिंह उर्फ जीता सिंह पुत्र सुरैन सिंह पुत्र गहल सिंह गांव गिल्ल तहसील सुलतान पुर लोधी।

(अन्तरक)

2 संतोख सिंह पुत्र करतार सिंह गांव गिल्ल तहसील सुलतानपुर लोधी।

(अन्तरिती)

3. जैसा कि नं० 2 में है।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है।

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

गिल्ल गांव में 46 कनाल 17 मरले जमीन जैसा कि विलेख नं० 1432 दिसम्बर 1977 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी सुलतानपुर लोधी में लिखा है।

पी० एन० मलिक
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भटिंडा

तारीख : 24-7-1978

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भटिंडा

भटिंडा, दिनांक 24 जुलाई 1978

निर्देश सं० एपी० 296/एन० डब्ल्यू० एस०/78-79—अतः मुझे, पी० एन० मलिक
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है
और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है। तथा जो राहों में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नवां शहर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख दिसम्बर 1977
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री बख्शीश सिंह पुत्र गंडा सिंह गांव राहों तहसील नवां शहर।

(अन्तरक)

2. श्री मेजर सिंह पुत्र बाबु, गांव छियाला, तहसील नवां शहर।

(अन्तरिती)

3. जैसा कि नं० 2 में है।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुची रखता है।

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो; के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उक्त अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

राहों गांव में 31 कनाल 19 मरले जमीन जैसा कि विलेख नं० 3400 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी नवां शहर में लिखा है।

पी० एन० मलिक
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भटिंडा

तारीख: 24-7-78
मोहर:

प्ररूप आई० टी० एस० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भटिंडा

भटिंडा, दिनांक 24 जुलाई 1978

निदेश सं० ए० पी० 297/एस० पी० एल०/77-78—यतः मुझे, पी० एन० मलिक

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनसूची में लिखा है। तथा जो सुजोवाल में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सुलतानपुर लोधी में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख दिसम्बर 1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें, भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था; या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिये;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री जसवंत सिंह पुत्र बतन सिंह गांव महमदी मुख्यत्यारे ग्राम श्री दलजीत सिंह, हरी सिंह पुत्रान बतन सिंह गांव फरीद सुसिया तहसील सुलतानपुर लोधी।
(अन्तरक)
2. श्री दीप सिंह, जीत सिंह पुत्रान ठाकुर सिंह वासी सुजू कालिया तहसील सुलतानपुर लोधी।
(अन्तरिती)
3. जैसा कि नं० 2 में है।
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)
4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है।
(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सुजूवाल गांव में 50 कनाल 5 मरले जमीन जैसा कि विलेख में नं० 1440 दिसम्बर 1977 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी सुलतानपुर लोधी में लिखा है।

पी० एन० मलिक
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भटिंडा

तारीख : 24-7-1978
मोहर :

प्ररूप आई॰ टी॰ एन॰ एस॰———————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भटिंडा

भटिंडा, दिनांक 24 जुलाई 1978

निर्देश सं॰ ए॰पी॰/298/एन॰के॰डी॰/78-79—यतः मुझे पी॰ एन॰ मलिक,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं॰ जैसा कि अनुसूची में लिखा है। तथा जो नकोदर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध में अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नकोदर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख दिसम्बर 1977 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमती रजिन्द्र कौर विधवा जगीर सिंह पुत्र नत्था सिंह मोहल्ला शेर पुरा, नकोदर।
(अन्तरक)

2. श्री वरिन्द्र सिंह पुत्र जसवंत सिंह पुत्र सुरिन्द्र सिंह मोहल्ला शेर पुरा, नकोदर।
(अन्तरिती)

3. जैसा कि अनुसूची में लिखा है।
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुची रखता है।
(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेपः—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरणः—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

नकोदर में 18 कनाल 10 मरले जमीन जैसा कि विलेख नं॰ 2160 दिसम्बर 1977 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी नकोदर में लिखा है।

पी॰ एन॰ मलिक
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज भटिंडा

तारीख : 24-7-1978
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भटिंडा

भटिंडा, दिनांक 24 जुलाई 1978

निर्देश सं० ए०पी०-299/एमकेएस/78-79—यतः मुझे, पी० एन० मलिक,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है। तथा जो रुपाना में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय मुक्तसर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख दिसम्बर 1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझ यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरण के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री जोगिन्द्र सिंह पुत्र और शाम कौर विधवा श्री लाल सिंह पुत्र अमर सिंह वासी रुपाना तहसील मुक्तसर।

(अन्तरक)

2. श्री सुखमिन्द्र सिंह पुत्र श्री दर्शन सिंह वासी रुपाना तहसील मुक्तसर।

(अन्तरिती)

3. जैसा कि ऊपर नं० 2 में है।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुची रखता है।

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जनता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

रुपाना गांव में 37 कनाल 16 मरले जमीन जैसा कि विलेख नं० 1751 दिसम्बर 1977 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी मुक्तसर में लिखा है।

पी० एन० मलिक
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, भटिंडा

तारीख : 24-7-1978
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भटिंडा

भटिंडा, दिनांक 24 जुलाई 1978

निर्देश सं० ए०पी०-300/एफ० जेड० के०/78-79—यतः, मुझे, पी० एन० मलिक,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो बाहमनीवाला में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय फाजिल्का में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख दिसम्बर 1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय को बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. अविनाश चन्द्र पुत्र बहादर चन्द पुत्र दिवान चन्द खुद और मुख्त्यारे आम श्रीमती संतोष रानी पत्नी अविनाश चन्द्र पुत्र बहादर चन्द वासी अबोहर तहसील फाजिल्का।

(अन्तरक)

2. श्री नियामत राए पुत्र गोविन्दा राम पुत्र जैमल राम वासी बहामनीवाला तहसील फाजिल्का।

(अन्तरिती)

3. जैसा कि ऊपर नं० 2 में है।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुची रखता है।

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

बाहमनीवाला गांव में 39 कनाल 8 मरले जमीन जैसा कि विलेख नं० 2598 दिसम्बर 1977 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी फाजिल्का में लिखा है।

पी० एन० मलिक
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भटिंडा

तारीख : 24-7-1978
मोहर :

प्रारूप आई० टी० एन० एम०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भटिंडा

भटिंडा, दिनांक 24 जुलाई 1978

निर्देश सं० ए०पी० 301/के० पी०आर०/78-79—यतः

मुझे पी० एन० मलिक

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु० से अधिक है,

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो बागोवाल में स्थित है (और इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय भलत्थ में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख दिसम्बर 1977

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात :—

1. बलवन्त सिंह, राधा सिंह, अवतार सिंह पुत्रान बिन्दा सिंह वासी पंडोरी खेवट दर बेगोवाल जिला कपूरथला।

(अन्तरक)

2. श्री चर्णा सिंह पुत्र बघावा सिंह

(2) श्री करतार सिंह पुत्र गहना सिंह, मक्खन सिंह पुत्र श्री भगत सिंह, माया कौर पत्नी करतार सिंह और सुरिन्द्र कौर पत्नी शिंगारा सिंह गांव भडास।

(अन्तरिती)

3. जैसा कि नं० 2 में है।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुची रखता है।

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो, उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

बागोवाल गांव में 38 कनाल जमीन जैसा कि विलेख नं० 1609 दिसम्बर 1977 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी भलत्थ में लिखा है।

पी० एन० मलिक
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भटिंडा

तारीख : 24-7-1978
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भटिंडा

भटिंडा, दिनांक 24 जुलाई 1978

निर्देश सं० ए०पी०-302/एम०जी०ए०/78-79—यत; मुझे पी० एन० मलिक

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है। तथा धराज में स्थित है (और इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय मोगा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख दिसम्बर 1977 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है, और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या गया किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269 घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री मुख्तयार कौर पत्नी गुरवचन सिंह वासी धराज तहसील मोगा।
(अन्तरक)
2. श्री गुरदयाल सिंह पुत्र बूड़ सिंह गांव धराज तहसील मोगा। (अन्तरिती)
3. जैसा की सं० 2 में है।
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)
4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुची रखता है।
(व व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

धराज गांव में 47 कनाल 17 मरले जीन जैसा कि विलेख नं० 5632 दिसम्बर 1977 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी मोगा में लिखा है।

पी० एन० मलिक
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भटिंडा

तारीख : 24-7-78
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज भटिंडा

भटिंडा दिनांक 24 जुलाई 1978

निर्देश सं० ए० पी० 303/बीटीआई/78-79:—यतः मुझे पी० एन० मलिक

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है। तथा जो भटिंडा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय भटिंडा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1909 का 16) के अधीन, तारीख दिसम्बर 1977

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था; या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री इन्द्र सैन पुत्र श्री गनपत राए, पोस्ट आफिस बजार भटिंडा।

(अन्तरक)

2. श्रीमती सुरजीत कौर पत्नी कर्नवीर सिंह 183-ए/51 शांत नगर भटिंडा।

(अन्तरिती)

3. जैसा कि नं० 2 में लिखा है।

(वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुची रखता है।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भागु, रोड भटिंडा में सम्पत्ति नं० 183-ए/51 जैसा की विलेख नं० 4504 दिसम्बर 1977 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी भटिंडा में लिखा है।

पी० एन० मलिक
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भटिंडा

तारीख : 24-7-1978
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भटिंडा

भटिंडा, दिनांक 24 जुलाई 1978

निर्देश सं० ए० पी० 304/बीटीआई०/78-79:—यतः मुझे पी० एन० मलिक,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनसूची में लिखा है तथा जो भटिंडा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय भटिंडा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख दिसम्बर 1977

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री कलवन्त सिंह पुत्र नत्था सिंह पुत्र लक्खा सिंह भटिंडा।

(अन्तरक)

2. श्री दीवान चन्द पुत्र वासु राम

(2) श्रीमती प्रकाश रानी पत्नी दीवान चन्द

(3) श्री अमृत लाल, मनोहर लाल, मन्केश कुमार पुत्रान दीवान चन्द भटिंडा।

(अन्तरिती)

3. श्री/श्रीमती/कमारी जैसा कि नं० 2 में है।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. श्री/श्रीमती/कमारी जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुची रखता है।

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनसूची

कोर्ट रोड भटिंडा में एक सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं० 4513 दिसम्बर 1977 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी भटिंडा में लिखा है।

पी० एन० मलिक
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भटिंडा

तारीख: 24-7-78
मोहर:

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भटिंडा

भटिंडा, दिनांक 24 जुलाई 1978

निर्देश सं० ए० पी०-305/एफ डी के०/78-79—यत: मुझे, पी० एन० मलिक,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनसूची में लिखा है तथा जो कोटकपूरा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय फरीदकोट में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख दिसम्बर 1977 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए, अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए,

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

1. श्री तोता सिंह पुत्र किशन सिंह पुत्र जीवन सिंह वासी कोट कपूरा।

(अन्तरक)

2. श्रीमती सुरजीत कौर पत्नी चन्द सिंह पुत्र वरियाम सिंह वासी कोट कपूरा।

(अन्तरिती)

3. जैसा कि नं० 2 में है।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुची रखता है।

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कोटकपूरा में 24 कनाल जमीन जैसा कि विलेख नं० 2676 दिसम्बर 1977, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी फरीदकोट में लिखा है।

पी० एन० मलिक
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भटिंडा

तारीख: 24-7-1978
मोहर .

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भटिंडा

भटिंडा, दिनांक 24 जुलाई 1978

निर्देश सं० ए०पी०/306/पी०एच०एल०/78-79—यतः मुझे पी० एन० मलिक

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो लिदर कलां में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय में फिलौर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम (1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख दिसम्बर 1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

1. श्रीमती रुकमन कौर विधवा मुखत्यार सिंह उर्फ पाखर सिंह वासी लखपुर तहसील फगवाड़ा मुखत्यारे आम जरनैल सिंह, बलदेव सिंह, जगजीत सिंह वगैरा, गांव लखपुर।

(अन्तरक)

2. नीतो, बंसो, छिन्दर पुत्रान धन्ना सिंह पुत्र अच्छर सिंह गांव तगड़, तहसील फिलौर।

(अन्तरिती)

3. जैसा कि नं० 2 में है।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है।

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

95 कनाल 15 मरले जमीन जो कि लिदड़ कलां में स्थित है जैसा कि विलेख नं० 3467 दिसम्बर 1977 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी फिलौर में लिखा है।

पी० एन० मलिक,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, भटिंडा।

तारीख: 24-7-1978

मोहर:

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भटिंडा

भटिंडा, दिनांक 24 जुलाई 1978

निर्देश सं० ए०पी०-307/एम०जी०ए०/78-79—यतः मुझे, पी० एन० मलिक

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो रेशमशाह वाला में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जीरा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख दिसम्बर 1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय का बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. श्री सुखपाल सिंह पुत्र मुला सिंह पुत्र जवाहर सिंह गांव रेशम शाह वाला।

(अन्तरक)

2. श्री सूरत सिंह पुत्र त्रिलोक सिंह पुत्र टाहला सिंह वासी रेशन शाह वाला।

(अन्तरिती)

3. जैसा कि ऊपर नं० 2 में है।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है ।

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्मपत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि, या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना का तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

रेशन शाह वाला गांव में 43 कनाल 8 मरले जमीन जैसा कि विलेख में नं० 4627 दिसम्बर 1977 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जीरा में लिखा है। ।

पी० एन० मलिक,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, भटिंडा।

तारीख : 24-7-1978
मोहर

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भटिंडा

भटिंडा, दिनांक 24 जुलाई 1978

निर्देश सं० ए०पी०-308/एन०आर०डी०/78-79—यतः मुझे, पी० एन० मलिक

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो उग्गी में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नकोदर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख दिसम्बर 1977 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण में हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री सुन्दर सिंह पुत्र लाल सिंह पुत्र सदा सिंह गांव उग्गी तहसील नकोदर।

(अन्तरक)

2. श्री पाल सिंह, ज्ञान सिंह, लम्बर सिंह पुत्रान मोता सिंह पुत्र बसन्त सिंह वासी रहीमपुर तहसील नकोदर।

(अन्तरिती)

3. जैसा कि नं० 2 में है।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है।

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

उग्गी गांव में 34 कनाल 13 मरले जमीन जैसा कि विलेख नं० 2293 दिसम्बर 1977 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी नकोदर में लिखा है।

पी० एन० मलिक,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, भटिंडा।

तारीख : 24-7-1978
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भटिंडा

भटिंडा, दिनांक 24 जुलाई 1978

निर्देश सं० ए०पी०-309/पी० एच० जी०/78-79—यतः मुझे, पी० एन० मलिक

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो महेरू में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय फगवाड़ा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिसम्बर, 1977

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय को बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269 ख की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. श्री जगजीत सिंह पुत्र कैप्टन गोबिन्द सिंह वासी महेरू।
(अन्तरक)
2. श्री आसा सिंह, जगीर सिंह पुत्रान हरनाम सिंह वासी गांव महेरू।
(अन्तरिती)
3. जैसा कि नं० 2 में है।
(वह व्यक्ति, जिसके अधोभाग में सम्पत्ति है)
4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है।
(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

महेरू गांव में 80 कनाल जमीन जैसा कि विलेख नं० 1572 दिसम्बर 1977 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी फगवाड़ा में लिखा है।

पी० एन० मलिक
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भटिंडा

तारीख : 24-7-1978
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भटिंडा

भटिंडा, दिनांक 24 जुलाई 1978

निर्देश सं० ए०पी०/310/एम० जी० प०/78-79—यतः मुझे, पी० एन० मलिक

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो मल्लांवाला में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जीरा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख दिसम्बर 1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है ।

(क) अन्तरण में हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धनकर अधिनियम 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री फुमन सिंह पुत्र बग्गा सिंह पुत्र गुलाब सिंह गांव मल्लां वाला तहसील जीरा।
(अन्तरक)

2. श्री जगदीश प्रसाद पुत्र जगन नाथ पुत्र उत्तम चन्द वासी मिक्खी पिंड तहसील पट्टी जिला अमृतसर।
(अन्तरिती)

3. जैसा कि नं० 2 में है।
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है।
(यह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथा-परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

मल्लां वाला गांव में 40 कनाल कृषि जमीन भमि जैसा कि विलेख नं० 4723 दिसम्बर 1977 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जीरा में लिखा है ।

पी० एन० मलिक
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भटिंडा

तारीख : 24-7-1978

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ध (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भटिंडा

भटिंडा, दिनांक 24 जुलाई 1978

निर्देश सं० ए०पी०-311/एम०जी० ए०/78-79—यतः मुझे पी० एन० मलिक,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो मल्लां वाला में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जीरा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख दिसम्बर 1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ध की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री फुमन सिंह पुत्र वग्गा सिंह पुत्र गुलाब सिंह गांव बहादर के तहसील जगराओं अन गांव मल्लां वाला तहसील जीरा।

(अन्तरक)

2. श्री जगदीश प्रसाद पुत्र जगन नाथ पुत्र उत्तम चन्द वासी भिखी पिंड तहसील पट्टी जिला अमृतसर।

(अन्तरिती)

3. जैसा कि नं० 2 में है।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुची रखता है ।

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

मल्लां वाला गांव में 41 कनाल 6 मरले कृषि भूमि जैसा कि विलेख नं० 4804 दिसम्बर 1977 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जीरा में लिखा है।

पी० एन० मलिक,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, भटिंडा ।

तारीख : 24-7-1978

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भटिंडा

भटिंडा, दिनांक 24 जुलाई 1978

निर्देश सं० ए०पी०/312/एम०जी०ए०/78-79—यतः मुझे, पी० एन० मलिक,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो जलालाबाद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जीरा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख दिसम्बर 1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है, और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री महिन्द्र सिंह पुत्र प्रताप सिंह पुत्र मैहना सिंह गांव राजपुरा।

(अंतरक)

2. श्री गुरदर्शन सिंह, पलविन्द्र सिंह, अवतार सिंह पुत्रान साधु सिंह गांव चुगवां तहसील अजनाला।

(अंतरिती)

3. जैसा की नं० 2 में लिखा है।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है।

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जलालाबाद गांव में 55 कनाल 16 मरले जमीन जैसा की विलेख नं० 4489 दिसम्बर 1977 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जीरा में लिखा है।

पी० एन० मलिक
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भटिंडा

तारीख: 24-7-1978
मोहर :

प्रकप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भटिंडा

भटिंडा, दिनांक 24 जुलाई 1978

निर्देश सं० ए० पी०/313/एम० जी० ए०/78-79——यतः मुझे, पी० एन० मलिक,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो छियां पारी में स्थित है (और इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जीरा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख दिसम्बर 1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :——

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिये था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) निम्नलिखित व्यक्तियों, के अधीन अर्थात :——

1. श्रीमती छिन्दो पुत्री उजागर सिंह पुत्र चन्दा सिंह गांव छियां पारी तहसील जीरा।

(अन्तरक)

2. श्री जगतार सिंह पुत्र हजारा सिंह पुत्र चन्दा सिंह गांव छियां पारी तहसील जीरा।

(अन्तरिती)

3. जैसा कि नं० 2 में लिखा है।
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुची रखता है।
(वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:——

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:——इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है

अनुसूची

छीयां पारी गाँव में 49 कनाल 17 मरले जमीन जैसा कि विलेख नं० 4805 दिसम्बर 1977 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जीरा में लिखा है।

पी० एन० मलिक,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, भटिंडा।

तारीख : 24-7-1978
मोहर :

प्ररूप आई०टी०एन०एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भटिंडा

भटिंडा, दिनांक 24 जुलाई 1978

निर्देश सं० ए०पी०/314/एफ० डी० के०/78-79—यतः मुझे पी० एन० मलिक

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो कोटकपुरा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय फरीदकोट में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक दिसम्बर 1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री सोहना सिंह पुत्र भगवान सिंह पुत्र प्रेम सिंह वासी कोटकपूरा।

(अन्तरक)

2. श्री सुखदेव सिंह, दर्शन सिंह, सुखमिन्द्र सिंह पुत्रान दलीप सिंह पुत्र प्रेम सिंह वासी कोटकपूरा।

(अन्तरिती)

3. जैसा कि नं० 2 में है।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुची रखता है।

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कोटकपूरा में 28 कनाल 12 मरले जमीन जैसा कि विलेख नं० 2758 दिसम्बर 1977 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी फरीदकोट में लिखा है।

पी० एन० मलिक

सक्षम प्राधिकारी,

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),

अर्जन रेंज, भटिंडा

तारीख : 24-7-1978

मोहर :

प्ररूप आई॰ टी॰ एन॰ एस॰————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भटिंडा

भटिंडा, दिनांक 24 जुलाई 1978

निर्देश सं० एम०पी०/313/पी०एम०जी०/78-79—यत: मुझे पी० एन० मलिक
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है
और जिसकी सं० जैसा की अनुसूची में लिखा है तथा जो भगाना में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्व रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, फगवाड़ा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिसम्बर 1977 को
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री संता सिंह पुत्र किटू पुत्र बुरा गांव नरूर। (अन्तरक)
2. श्री कर्म सिंह पुत्र निरंजन सिंह गांव नरूर तहसील फगवाड़ा। (अन्तरिती)
3. श्री/श्रीमती/कुमारी जैसा कि नं० 2 में है। (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)
4. श्री/श्रीमती/कुमारी जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुची रखता है।

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20क में यथा-परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भगाना गांव मे 34 कनाल 19 मरले जमीन जैसा कि विलेख नं० 1568 दिसम्बर 1977 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी फगवाड़ा में लिखा है।

पी० एन० मलिक
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भटिंडा

तारीख : 24-7-1978
मोहर :

प्ररूप आई॰ टी॰एन॰ एस ————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भटिंडा

भटिंडा, दिनांक 24 जुलाई 1978

निर्देश सं० ए०पी०/316/पी०एम०एल०/78-79—यतः मुझे पी० एन० मलिक
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है
और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो तलवन में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, फलौर में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिसम्बर 1977
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

1. श्री दौलती पुत्र भाग राम पुत्र बाबु राम बासी गरसियां निहाल तहसील फिलौर।

(अन्तरक)

2. श्री राम सिंह पुत्र जवाला सिंह (2) तरसेम सिंह, जसवंत सिंह सुचा सिंह, गरदीप सिंह, गुरचरण सिंह पुत्रान राम सिंह गांव कुकड़ तहसील जलन्धर।

(अन्तरिती)

3. श्री/श्रीमती/कुमारी जैसा कि नं० 2 में है।
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. श्री/श्रीमती/कुमारी जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुची रखता है।
(वह व्यक्ति जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

तलवन में 44 कनाल 10 मरले जमीन जैसा कि विलेख नं० 3453 दिसम्बर 1977 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी फिलौर में लिखा है।

पी० एन० मलिक
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, भटिंडा

तारीख: 24-7-1978

मोहर:

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भटिंडा

भटिंडा, दिनांक 24 जुलाई, 1978

निदेश सं० ए० पी० 317/एस०पी०एल०/78-79—यतः मुझे, पी० एन० मलिक

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनसूची में लिखा है, तथा डडबन्डी में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सुलतानपुर लोधी में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख दिसम्बर, 1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 15 प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय को बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य अस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

1. श्री एच० के० लाल पुत्र श्री गुरां दित्ता मल कमालपुर वासी, 3/9, रूप नगर, देहली।
(अन्तरक)

2. महिन्द्र सिंह, मोहन सिंह पुत्रान, अर्जन सिंह वासी दुर्गापुर, तहसील सुलतान पुर लोधी।
(अन्तरिती)

3. जैसा कि नं० 2 में लिखा है ।
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. जो व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो ।
(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

डडबंडी गांव में 40 कनाल जमीन जैसा कि विलेख नं० 1308 दिसम्बर, 1977 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी सुलतान पुर लोधी में लिखा है।

पी० एन० मलिक
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भटिंडा

तारीख : 24-7-78
मोहर:

प्ररूप आई० टी० एन० एस०------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा

269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भटिंडा

भटिंडा, दिनांक 24 जुलाई, 1978

निदेश सं० ए० पी० 318/एस०पी० सी०/78-79—यतः मुझे पी० एन० मलिक

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है,

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो डडबंडी में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सुलतानपुर लोधी में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिसम्बर, 1977 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण विलेख में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व मे कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री एच० के० लाल पुत्र गुरां दित्ता मल, (कमालपुर) वासी, 3/9. रूप नगर।
(अन्तरक)

2. गुलजार सिंह, दिलदार सिंह, पुत्रान कैप्टन प्रीतम सिंह पुत्र ईशर सिंह गांव, डडबंडी।
(अन्तरिती)

3. जैसा कि अनुसूची में लिखा है।
(वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है।
(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

डडबंडी गांव में 51 कनाल जमीन जैसा कि विलेख नं० 1307 दिसम्बर 1977 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी सुलतानपुर लोधी में लिखा है।

पी० एन० मलिक
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भटिंडा

तारीख 24-7-78

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भटिंडा

भटिंडा, दिनांक 24 जुलाई, 1978

निदेश सं० ए० पी० 319/एफ० डी०के०/78-79—यतः मुझे पी० एन० मलिक

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है और जो दिलवां कला में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय फरीदकोट में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिसम्बर, 1977 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है, और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्यों से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों की जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. श्री पुर्णापन्द्र सिंह बेटा, बाबा शेर सिंह बेटा, बाबा गंगाराम बेदी, वासी फिरोजपुर।

(अन्तरक)

2. श्री हरबंस सिंह बेटा निक्का सिंह बेटा वधावा सिंह वासी दिलवां कला।

(अन्तरिती)

3. जैसा कि नं० 2 में है।

(वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है।

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

दिलवां कलां में 32 कनाल 4 मरले जमीन जैसा कि विलेख नं० 2819 दिसम्बर 1977 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी फरीदकोट में लिखा है।

पी० एन० मलिक
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भटिंडा

तारीख 24-7-78
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भटिंडा

भटिंडा, दिनांक 24 जुलाई 1978

निदेश सं० ए० पी० 320/एस०पी०एल०/78-79——यतः मुझे, पी० एन० मलिक,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो साबुवाल में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सुलतानपुर लोधी में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख दिसम्बर, 1977

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण में हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हे भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरितो द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

1. श्री गुरदीप सिंह, सुचा सिंह, रजवंत कौर पुत्री तेजा सिंह, खेम कौर, बहादर सिंह, शान सिंह, मंगल सिंह, महिन्द्र सिंह मनजीत सिंह, कुलविन्द्र कौर, गांव दोराहा, तहसील पायल, जिला लुधियाना।

(अन्तरक)

2. (1) कुलवंत सिंह,
   (2) तेज पाल
   (3) जीत सिंह, बलकार सिंह, महिन्द्र सिंह, पुत्तान फकीर सिंह, गाव साबुवाल, तहसील सुलतानपुर लोधी। (अन्तरिती)

3. जैसा कि नं० 2 में है।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है।

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध मे कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

साबुवाल गांव में 54 कनाल 8 मरले जमीन जैसा कि विलेख नं० 1273 दिसम्बर, 1977 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी सुलतानपुर लोधी में लिखा है।

पी० एन० मलिक
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भटिंडा

तारीख : 24-7-78

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भटिंडा

भटिंडा, दिनांक 24 जुलाई 1978

निदेश सं० ए० पी० 321/एस०पी०एल०/78-79—यतः मुझे, पी० एन० मलिक,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची मे लिखा है तथा जो मेवा सिंह वाला में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सुलतानपुर लोधी में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिसम्बर, 1977

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण विलेख में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम, की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. श्री स्वर्ण सिंह, सुरिन्द्र सिंह पुत्रान अमर सिंह, वासी सुल्तानपुर लोधी।
(अन्तरक)
2. जरनैल सिंह, करनैल सिंह पुत्रान बंता सिंह, वासी मेवा सिंह वाला, तहसील सुलतानपुर लोधी।
(अन्तरिती)
3. जैसा कि नं० 2 में लिखा है।
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)
4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है।
(वह व्यक्ति जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मेवा सिंह वाला गांव में 56 कनाल जमीन जैसा कि विलेख नं० 1349, दिसम्बर, 1977 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी सुलतानपुर लोधी में लिखा है।

पी० एन० मलिक
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भटिंडा

दिनांक : 24-7-78
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269 घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार
कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, काकीनाडा

काकीनाडा, दिनांक 19 अगस्त 1978

सं० 760—यतः मुझे एन० के० नागराजन,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमे इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है
और जिसकी सं० 154/2 और 154/1 है, जो बेतावोलु में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय गुडिवाडा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 1977 और 1978
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. (1) वि० रामब्रहमम
(2) वि० रामचन्द्रराव
(3) वि० कृष्ण किशोर
(4) वि० सिव राम कृष्ण मूर्ति
(5) वि० वेंकटारामाराव
(6) वि० राकेष
(7) वि० कुचेला
(8) वि० नागभूशनम
(9) वि० रंगाराव
(10) वि० वेंकटेस्वरराव
(11) वि० सतीश
(12) वि० श्रीरामुलु
(13) वि० नागभूषन चौदरी
(14) सि० एच० सीतारामय्या, वेंट्राप्रगडा।

(अन्तरक)

2. श्री थुम्मला हरिश्चन्द्रा प्रसाद, गुडिवाडा।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

गुडिवाडा रजिस्ट्री अधिकारी से पंजीकृत दस्तावेज नं० 3882/77, 11/78 और 121/78 में निगमित अनुसूची सम्पत्ति।

एन० के० नागराजन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, काकीनाडा

तारीख : 19-8-78

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, काकीनाडा

काकीनाडा, दिनांक 19 अगस्त 1978

सं० 761—यत: मुझे, एन० के० नागराजन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 154/2 और 155/1 है जो बेतावोलु में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय गुडिवाडा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 1977 और 1978

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और (अन्तरिती) (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. (1) बि० पापाराव
   (2) श्रीमती के० हैमावति
   (3) डी० सिवनारायण
   (4) डि० गंगाधर राव
   (5) डि० श्रीनिवास, गुडिवाडा।

(अन्तरक)

2. श्री थुम्मला सीतारामाप्रसाद, गुडिवाडा।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

गुडिवाडा रजिस्ट्री अधिकारी से पंजीकृत दस्तावेज नं० 3875/77, 1033/78 और 157/78 में निगमित अनुसूची सम्पत्ति।

एन० के० नागराजन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, काकीनाडा

तारीख : 19-8-78
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एस० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, काकीनाडा

काकीनाडा, दिनांक 19 अगस्त 1978

सं० 762—यतः मुझे एन० के० नागराजन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम', कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 154/28/ 155/1 है, जो बेताबोलु, में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय गेडिवाडा मे भारजीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 1977 तथा 1978

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल

का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने की सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. (1) पि० सत्यनारायण
   (2) पि० प्रकाशराव पेद्दापरूपूडि
   (3) पि० वेंकटेश्वर राव मुटलूर
   (4) एस० वेंकटार गादासु
   (5) एस० किशोर
   (6) एस० शशी
   (7) एस० तिरुपलेसम
   (8) एस० अनीकबाबु पोतुकुमाडु
   (9) डि० रामाभदय्या
   (10) ड० भवानी शंकरराव
   (11) डि० वेंकटराबापिनीडु आमुदाकपल्ली।

(अन्तरक)

2. श्री तुम्मला नारायण प्रसाद,
   गुडिवाडा।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

गुडिवाडा, रजिस्ट्री अधिकारी से पंजीकृत दस्तावेज नं० 3876/77, 1438/78, 470/78, तथा 10/78 में निगमित अनुसूची सम्पत्ति।

एन० के० नागराजन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, काकीनाडा

तारीख : 19-8-78
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, धारवाड

धारवाड़-580004, दिनांक 18 अगस्त 1978

निर्देश सं० 224/78-79/अर्जन—यतः मुझे, डी० सी० राजागोपालन सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण), अर्जन रेंज, धारवाड़,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 1, 2, 3, 4, 37, 9, 8, 38, 13, 23, 24, 25 और 37 है, तथा जो हंडुबुब्लिहारा, हिपला और मेलगिरि गांव, चिकमगलूर जिला में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नरसिम्हाराजपुरा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अंडर डाकुमेंट नं० 105 दिनांक 18 जनवरी 1978

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ध की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. दि मैसूर कॉफ़ी एस्टेस्ट लिमिटेड 28, किरण राजेंद्रा रोड, बसवनगुडि, बंगलूर-4

(अन्तरक)

2. (1) श्री ई०सी० वाइट एम० ट्रस्टी फॉर (अ) मास्टर रोहन पेलहम वाइट (ब) कुमारी रिमा अनोस्का वाइट (क) मास्टर राऊल गारेंटे डोमेंग (द) मिस लुसिंदा जानेवाइर और (ई) मास्टर स्टेफन जि० वाइट कॉफी प्लाटर, कुर्गु हुल्लि एस्टेट सुंहिकोफा पोस्ट,
(2) श्री आर० सज्जन आर० राव, पिता एस० एम० रामाकृष्ण राव, लक्ष्मी निवास, फोर्ट, बंगलूर-2,
(3) श्रीमती मालिनी वाइट श्री ई० सी० वाइर का पत्नी फुरगुहल्लि एस्टेट, सुंहिकोफा-पोस्ट
(4) श्रीमती अम्बिनने एस० रुइया साम एम० रूया का पत्नी है । लक्ष्मी निवास, फोर्ट बंगलर-2,
(5) श्रीमती मृदुला देसाई आर० के० देसाई का पत्नी नं० 450, राजमहल विलास पोसन, बंगलूर-2, जी० पी० ए० होलटर श्री ई० सी० वाइर

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

स्थिर आस्ति कॉफी एस्टेटस हंडुबब्लिहारा, हिफला और मेलगिरि गांवों के यहां है । जिला चिकमगलूर सर्वे नं०, 1, 2, 3, 4, 37, 9, 8, बी-8, 13, 23, 24, 25 और 37 एकत्र स्थान 654 एकर्स और 28 गुंटास है ।

डी० सी० राजगोपालन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेज, धारवाड

तारीख : 18-8-1978
मोहर :

प्रकप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अजन रेंज, अमृतसर

अमृतसर, दिनांक 7 अगस्त 1978

निदेश सं० अमृतसर/78/79/37—यतः मुझे, एस० के० गोयल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० जमीन का टुकड़ा, नं० 322 खसरा नं० 616/9 लारेंस रोड, अमृतसर (सकीम नं० 62) है तथा जो अमृतसर शहर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अमृतसर शहर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिसम्बर, 1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है —

(क) अन्तरण से हुई किसी आय को बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री मदन लाल सुपुत्र सिधी राम वासी लोहगढ़गेट, अमृतसर ।

(अन्तरक)

2. श्री विलायती राम सुपुत्र श्री दौलत राम वासी कटरा भाग सिंह, अमृतसर ।

(अन्तरिती)

3. जैसा ऊपर नं० 2 में और यदि कोई किरायेदार हो तो (वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. और आदमी कोई भी जो इससे रुचि रखता हो ।

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

जमीन का टुकड़ा नं० 322, जिसका रकबा 5091/6 रकबा यदि कि 605 मुरबा गज, जोकि लारेंस रोड, अमृतसर में स्थित है, जैसा कि रजिस्ट्रेड डीड नं० 3001/दिसम्बर, 1977 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, अमृतसर में लिखा है ।

एस० के० गोयल
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अजन रेंज, अमृतसर

तारीख : 7-8-1978
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, अमृतसर

अमृतसर, दिनांक 8 अगस्त 1978

निदेश सं० अमृतसर/78-79/38—यतः मुझे, एस० के० गोयल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० कृषि भूमि, गांव जेठू नंगल है तथा तहसील अमृतसर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अमृतसर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) तहसील के अधीन फरवरी, 1978

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों, को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. श्री गुरदियाल सिंह सर्वदयाल सिंह, गुलजार सिंह पुत्रान उजागर सिंह गांव, मजीठा, तहसील अमृतसर।

(अन्तरक)

2. श्री बलवंत सिंह, सुपुत्र जीवन सिंह वासी शुकरपूरा, तहसील बटाला।

(अन्तरिती)

3. जैसा कि ऊपर नं० 2 में और यदि कोई किरायेदार हो तो (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. और कोई व्यक्ति जो इससे रुचि रखता हो। (वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कृषि भूमि जिसका रकबा 88 कनाल 10 मरले है गांव जेठू नंगल, जैसाकि रजिस्ट्री डीड नं० 5365, फरवरी, 1978 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी अमृतसर में लिखा है।

एस० के० गोयल
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त निरीक्षण
अर्जन रेंज, अमृतसर

तारीख : 8-8-78
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, अमृतसर

अमृतसर, दिनांक 9 अगस्त 1978

निदेश सं० ए० एस० आर०/78-79/39—यतः मुझे, एस० के० गोयल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है,

और जिसकी सं० कोठी नं० 5 ए है, तथा जो दुनी चांद रोड अमृतसर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अमृतसर शहर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1998 का 16) के अधीन दिसम्बर, 1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार

मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण में मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा, (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. गोपाल पुत्र श्री करम चन्द
निवासी राय बहादुर दुनी चन्द रोड,
अमृतसर ।

(अन्तरक)

2. श्रीमती जसवन्त कौर पत्नी श्री अजीत सिंह,
38, लारेंस रोड, अमृतसहर।

(अन्तरिती)

3. जैसा कि ऊपर नं० 2, पर और कोई किरायेदार यदि हो तो
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. और कोई व्यक्ति इस जायदाद में रुचि रखता हो।
(वह व्यक्ति जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता हैकि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद मे समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

जायदाद नं० 5 ए, जोकि दुनीचन्द रोड, अमृतसर पर है जैसा कि रजिस्टर्ड डीड नं० 2321 दिसम्बर, 1977 रजिस्ट्रीकर्ता अथारटी अमृतसर शहर में है।

एस० के० गोयल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, अमृतसर

तारीख : 9-8-1978.
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, अमृतसर

अमृतहर, दिनांक 9 अगस्त 1978

निदेश सं० ए०एस०आर०/78-79/40—यतः मुझे, एस० के० गोयल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० मकान नं० 2853 और नया नं० 3327, प्रताप बाजार, अमृतसर में स्थित है और और इससे उपाबद्ध अनसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अमृतसर शहर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिसम्बर, 1977 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन; निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. श्री कान्ता रानी, पत्नी श्री गुरदास राम अग्रवाल ग्रीन एवेन्यू, अमृतसर। (अन्तरक)
2. श्री तारा चन्द राम दयाल, पुत्रान जगत राम कटरा अघीया, अमृतसर। (अन्तरिती)
3. जैसा कि ऊपरोक्त नं० 2 में और कोई किरायदार यदि हो तो (वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति हो)
4. और कोई व्यक्ति इस जायदाद में रुचि रखता हो। (वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरणः—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जायदाद मकान नं० 2853 और नया नं० 3327 प्रताप बाजार, अमृतसर में है जैसा कि रजिस्ट्रर्ड डीड नं० 3117, दिसम्बर, 1977 रजिस्ट्रीकर्ता अथारटी अमृतहर शहर में लिखा है।

एस० के० गोयल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, अमृतसर

तारीख 9 अगस्त 1978
मोहरः

संघ लोक सेवा आयोग

नोटिस

आशुलिपिक परीक्षा, 1979

नई दिल्ली, दिनांक 16 सितम्बर 1978

सं० एफ० 11/7/78-प०I(ख)—भारत के राजपत्र, दिनांक 16 सितम्बर, 1978 में गृह मंत्रालय (कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग) द्वारा प्रकाशित नियमों के अनुसार नीचे दिये गये पैरा 2 में उल्लिखित अस्थाई सेवाओं और पदों पर भर्ती के लिये संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अहमदाबाद, इलाहाबाद, बंगलौर, भोपाल, बम्बई, कलकत्ता, चण्डीगढ़, कोचीन, कटक, दिल्ली, डिसपुर (गौहाटी), हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, लखनऊ, मद्रास, नागपुर, पणजी (गोवा), पटियाला, पटना, शिलांग, शिमला, श्रीनगर, त्रिवेन्द्रम तथा विदेश स्थित कुछ चुने हुए भारतीय मिशनों में 30 जनवरी, 1979 से एक प्रतियोगिता परीक्षा ली जाएगी:—

आयोग यदि चाहे तो, परीक्षा के उपर्युक्त केन्द्रों तथा उसके प्रारम्भ होने की तारीख में परिवर्तन कर सकता है। परीक्षा में प्रविष्ट उम्मीदवारों को परीक्षा की समय सारणी तथा स्थान अथवा स्थान के बारे में सूचित किया जाएगा। (देखिये उपाबन्ध, पैरा 11)

2. इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर जिन सेवाओं और पदों पर भर्ती की जाती है, उनके नाम और विभिन्न सेवाओं और पदों से संबद्ध रिक्तियों की अनुमानित संख्या निम्नलिखित है:—

(i) भारतीय विदेश सेवा (ख)— (आशुलिपिक उप-संवर्ग का ग्रेड II)	10**
(ii) रेल बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा—ग्रेड ग (इस ग्रेड को चयन सूची में सम्मिलित करने के लिये)	*
(iii) केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा—ग्रेड ग (इस ग्रेड की चयन सूची में सम्मिलित करने के लिये)	*
(iv) सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा—ग्रेड ग	*
(v) भारत सरकार के कुछ अन्य विभागों/संगठनों तथा संबद्ध कार्यालयों में आशुलिपिकों के पद जो भारतीय विदेश सेवा (ख) रेल बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा/केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा में सम्मिलित नहीं है।	*

*रिक्तियां सरकार द्वारा सूचित नहीं की गई।

**अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिये आरक्षित रिक्तियों की संख्या, यदि कोई है, तो सरकार द्वारा निर्धारित की जायेगी।

3. यदि उम्मीदवार उपर्युक्त पैरा 2 में उल्लिखित किसी एक या एक से अधिक सेवाओं/पदों के सम्बन्ध में परीक्षा में प्रवेश के लिये आवेदन कर सकता है।

यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक सेवाओं/पदों के लिये परीक्षा में प्रवेश पाना चाहता हो तो भी उसे एक ही आवेदन-पत्र भेजने की आवश्यकता है। नीचे पैरा 7 में उल्लिखित शुल्क भी उसे केवल एक ही बार देना होगा, उस प्रत्येक सेवा/पद के लिये अलग-अलग नहीं, जिसके लिये वह आवेदन कर रहा है।

नोट:—इस परीक्षा के माध्यम से भर्ती करने वाले कुछ विभागों/कार्यालयों को केवल अंग्रेजी आशुलिपिक की ही आवश्यकता होगी, और इस परीक्षा के परिणामों के आधार पर नियुक्ति केवल उन्हीं उम्मीदवारों में से की जायेगी जिन्हें लिखित परीक्षा तथा अंग्रेजी के आशुलिपिक परीक्षण के आधार पर आयोग द्वारा अनुशंसित किया जाता है (द्रष्टव्य: नियमावली के परिशिष्ट I का पैरा 4)

4. उम्मीदवार को अपने आवेदन-पत्र में यह स्पष्ट रूप से बतलाना होगा कि वह किन सेवाओं/पदों के लिये विचार किये जाने का इच्छुक है। उसे सलाह दी जाती है कि वह अपनी इच्छानुसार एक से अधिक वरीयताओं का उल्लेख करे ताकि योग्यता क्रम में उसके स्थान को ध्यान में रखते हुए, नियुक्ति करते समय उसकी वरीयताओं पर भली भांति विचार किया जा सके।

उम्मीदवार द्वारा अपने आवेदन-पत्र में सेवाओं/पदों के लिये मूलत: उल्लिखित वरीयता क्रम में परिवर्तन से संबद्ध किसी भी अनुरोध पर तब तक विचार नहीं किया जायेगा जब तक कि ऐसा करने का अनुरोध आयोग द्वारा निर्धारित आवेदन-पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख को या उसके पूर्व संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में प्राप्त न हो जाये।

5. परीक्षा में प्रवेश चाहने वाले उम्मीदवार को निर्धारित आवेदन प्रपत्र पर सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, नई दिल्ली-110011 को आवेदन करना चाहिये। निर्धारित आवेदन-पत्र तथा परीक्षा से संबद्ध पूर्ण विवरण दो रुपये भेज कर आयोग से डाक द्वारा प्राप्त किये जा सकते हैं। यह राशि सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, नई दिल्ली-110011, को मनीआर्डर या सचिव संघ लोक सेवा आयोग को नई दिल्ली जनरल डाकघर पर देय भारतीय पोस्टल आर्डर द्वारा भेजी जानी चाहिये। मनीआर्डर/पोस्टल आर्डर के स्थान पर चैक या करेंसी नोट स्वीकार नहीं किये जायेंगे। ये आवेदन-पत्र आयोग के काउंटर पर नकद भगतान द्वारा भी प्राप्त किये जा सकते हैं। दो रुपये की यह राशि किसी भी हालत में वापस नहीं की जायेगी।

नोट:—उम्मीदवारों को चेतावनी दी जाती है कि वे अपने आवेदन-पत्र आशुलिपिक परीक्षा, 1979 के लिये निर्धारित मुद्रित प्रपत्र में ही प्रस्तुत करें। आशुलिपिक परीक्षा, 1979 के लिये निर्धारित प्रपत्रों से इतर प्रपत्रों पर भरे हुए आवेदन-पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

6. भरा हुआ आवेदन-पत्र आवश्यक प्रलेखों के साथ सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, नई दिल्ली-110011 के पास 30 अक्तूबर, 1978 को या उससे पहले (13 नवम्बर, 1978 से पहले की तारीख से विदेशों में या अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में या लक्षद्वीप में रहने वाले उम्मीदवारों के मामले में 30 अक्तूबर, 1978 तक) अवश्य पहुंच जाना चाहिये। निर्धारित तारीख के बाद प्राप्त होने वाले किसी भी आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।

विदेशों में या अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह में या लक्षद्वीप में रहने वाले उम्मीदवार से, आयोग यदि चाहे तो, इस बात का लिखित प्रमाण प्रस्तुत करने के लिये कह सकता है कि वह 30 अक्तूबर, 1978 से पहले की किसी तारीख से विदेशों में या अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह में या लक्षद्वीप में रह रहा था।

7. परीक्षा में प्रवेश चाहने वाले उम्मीदवारों को भरे हुए आवेदन-पत्र के साथ आयोग को रु० 12.00 (अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के मामले में रु० 3.00) का शुल्क भेजना होगा जो कि सचिव, संघ लोक सेवा आयोग को नई दिल्ली के प्रधान डाक घर पर देय रेखांकित भारतीय पोस्टल आर्डर या सचिव, संघ लोक सेवा

आयोग को नई दिल्ली में स्टेट बैंक आफ इण्डिया की मुख्य शाखा पर देय स्टेट बैंक आफ इंडिया की किसी भी शाखा से जारी किये गये रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के रूप में हो)।

विदेश में रहने वाले उम्मीदवारों को निर्धारित शुल्क भारत के उच्च आयुक्त, राजदूत या विदेश स्थित प्रतिनिधि के कार्यालय में जमा करना होगा ताकि वह "051 लोक सेवा आयोग परीक्षा शुल्क" के लेखाशीर्ष में जमा हो जाये और आवेदन पत्र के साथ उसकी रसीद लगाकर भेजनी चाहिये ।

जिन आवेदन पत्रों में यह अपेक्षा पूरी नही होगी उन्हें एकदम अस्वीकार कर दिया जायेगा। यह उन उम्मीदवारों पर लागू नहीं होता जो नीचे के पैरा 8 के अन्तर्गत निर्धारित शुल्क से छूट चाहते हैं ।

8. आयोग यदि चाहे तो, उस स्थिति में निर्धारित शुल्क से छूट दे सकता है जब वह इस बात से सन्तुष्ट हो कि आवेदक या तो 1 जनवरी 1964 और 25 मार्च, 1971 के बीच की अवधि में भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान (अब बंगला देश) से भारत आया हुआ वास्तविक विस्थापित व्यक्ति है, या बर्मा से वास्तविक रूप में प्रत्यावर्तित मूलतः भारतीय व्यक्ति है और 1 जून, 1963 को या उसके बाद भारत आया है या वह श्रीलंका से वास्तविक रूप में प्रत्यावर्तित मूलतः भारतीय व्यक्ति है और निर्धारित शुल्क दे सकने की स्थिति मे नहीं है या वह नीचे की परिभाषा के अनुसार भूतपूर्व सैनिक है ।

"भूतपूर्व सैनिक" का अभिप्राय उस व्यक्ति से है जिसने भूतपूर्व भारतीय रियासतों की सशस्त्र सेना सहित संघ की सशस्त्र सेना (अर्थात् संघ की थल, जल और वायु सेना) में किसी भी रैंक में (चाहे सामरिक हो या असामरिक) 2 जनवरी, 1979 के अभिप्रमाणन के बाद कम से कम छह मास की अवधि तक निरन्तर सेवा की हो। किन्तु इसमें असम राइफल्स, डिफेन्स सैक्यूरिटी कोर, जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स, जम्मू व कश्मीर मिलीशिया, लोक सहायक सेना और सीमांत सेना शामिल नही है, और—

(i) जो निर्मुक्त हुआ हो बशर्ते कि ऐसी निर्मुक्ति दुराचार या अक्षमता के कारण पदच्युति या सेवा मुक्ति के रूप में न हो या ऐसी निर्मुक्ति के आशय से रिजर्व में स्थानांतरित न हुआ हो; अथवा

(ii) जिसको उपर्युक्त निर्मुक्ति या रिजर्व में स्थानांतरण का पात्र बनने के लिये 2 जनवरी, 1979 को आवश्यक सेवावधि को समाप्त करने में अभी छह मास से कम सेवा करनी हो ।

9. जिस उम्मीदवार ने निर्धारित शुल्क का भुगतान कर दिया हो किन्तु उसे आयोग द्वारा परीक्षा में प्रवेश नही दिया गया तो उसे रु० 3.00 (अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के मामले में रु० 1.00) की राशि वापस कर दी जायेगी ।

उपर्युक्त या नीचे पैरा 10 मे उपबन्धित व्यवस्था को छोड़कर अन्य किसी भी स्थिति मे आयोग को भुगतान किये गये शुल्क की वापसी के किसी दावे पर न तो विचार किया जायेगा और न ही शुल्क को किसी अन्य परीक्षा या चयन के लिये आरक्षित रखा जा सकेगा ।

10. यदि कोई उम्मीदवार 1978 में ली गई आशुलिपिक परीक्षा में बैठा हो और अब इस परीक्षा मे प्रवेश पाने के लिये आवेदन करना चाहता हो तो उसे परीक्षा फल या नियुक्ति प्रस्ताव की प्रतीक्षा किये बिना ही अपना आवेदन पत्र अवश्य भेज देना चाहिये ताकि वह निर्धारित तारीख तक आयोग के कार्यालय में पहुच जाये। यदि वह 1978 के परीक्षा-फल के आधार पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित कर दिया जाता है तो उसके अनुरोध पर 1979 की परीक्षा के लिये उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी और उसको उसी प्रकार शुल्क लौटा दिया जायेगा जिस प्रकार नीचे पैरा 9 के अनुसार उस उम्मीदवार को लौटा दिया जाता है जिसे परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाता बशर्ते कि उम्मीदवारी रद्द कराने और शुल्क को वापस करने का अनुरोध आयोग के कार्यालय में 30 दिसम्बर 1978 को या इससे पूर्व प्राप्त हो जाये ।

11. आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के बाद उम्मीदवारी की वापसी के लिये उम्मीदवार के किसी प्रकार के अनुरोध पर किसी भी परिस्थिति में विचार नही किया जायेगा ।

आर० एस० अहलुवालिया
उप सचिव
संघ लोक सेवा आयोग

उपाबन्ध

उम्मीदवारों को अनुदेश

1. उम्मीदवारों को चाहिये कि वे आवेदन-प्रपत्र भरने से पहले नोटिस और नियमावली को ध्यान से पढ़ कर यह देख लें कि वे परीक्षा में बैठ सके के पात्र हैं भी या नही। निर्धारित शर्तों में छूट नहीं दी जा सकती है ।

आवेदन-पत्र भेजने से पहले उम्मीदवार को नोटिस के पैरा 1 में दिये गये केन्द्रों में से किसी एक को, जहां वह परीक्षा देने का इच्छुक है, अन्तिम रूप से चुन लेना चाहिये। सामान्यतः चुने हुए स्थान में परिवर्तन से सम्बद्ध किसी अनुरोध पर विचार नही किया जायेगा।

जो उम्मीदवार किसी विदेश स्थित भारतीय मिशन में परीक्षा देना चाहता हो तथा नियमावली के परिशिष्ट I के पैरा 4 के अनुसार प्रश्न-पत्र (ii) निबन्ध तथा प्रश्न-पत्र (iii) सामान्य ज्ञान का उत्तर हिन्दी में लिखने तथा आशुलिपि परीक्षण हिन्दी में ही देने का विकल्प देता है तो उससे आशुलिपि परीक्षणों के लिये अपने ही खर्चे पर विदेश स्थित किसी भी ऐसे भारतीय मिशन में बैठने के लिये कहा जा सकता है जहां इस प्रकार का परीक्षण आयोजित करने के लिये आवश्यक प्रबन्ध उपलब्ध हों।

2. उम्मीदवार को आवेदन-प्रपत्र तथा पावती कार्ड अपने हाथ से ही भरने चाहिये । अधूरा या गलत भरा हुआ आवेदन-पत्र अस्वीकार किया जा सकता है।

नोट:—उम्मीदवारों को उक्त परीक्षा की नियमावली के परिशिष्ट 1 के पैरा 4 के अनुसार अपने आवेदन-पत्र के कालम 19 में स्पष्ट रूप से उस भाषा का उल्लेख कर देना चाहिये, जिसमें वे निबन्ध तथा सामान्य ज्ञान के प्रश्न पत्रों का उत्तर देने के इच्छुक हैं तथा आशुलिपि परीक्षण देना चाहते हैं। एक बार दिया गया विकल्प अन्तिम माना जायेगा और उक्त कालम में परिवर्तन करने से सम्बद्ध किसी भी अनुरोध को स्वीकार नही किया जायेगा। यदि उक्त कालम में कोई भी प्रविष्टि नहीं की गई होगी तो यह मान लिया जाएगा कि उक्त प्रश्न पत्र का उत्तर तथा आशुलिपि का परीक्षण अंग्रेजी में दिया जायेगा ।

सभी उम्मीदवारों को, चाहे वे पहले से सरकारी नौकरी में हों या सरकारी औद्योगिक उपक्रमों में या इसी प्रकार के अन्य संगठनों में हों या गैर सरकारी संस्थाओं में नियुक्त हों, अपने आवेदन-पत्र आयोग को सीधे भेजने चाहिये। अगर किसी उम्मीदवार ने अपना आवेदन-पत्र अपने नियोक्ता के द्वारा भेजा हो और वह संघ लोक सेवा आयोग में देर से पहुंचा हो तो

उस आवेदन-पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा, भले ही वह नियोक्ता को आखिरी तारीख के पहले प्रस्तुत किया गया हो ।

जो व्यक्ति पहले से सरकारी नौकरी में, स्थाई या अस्थाई हैसियत से काम कर रहे हों या किसी काम के लिये विशिष्ट रूप से नियुक्त कर्मचारी हों जिसमें आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त व्यक्ति शामिल नहीं है, उनको इस परीक्षा में अंतिम रूप में प्रवेश पाने के पहले अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष की अनुमति प्राप्त करनी चाहिये । उनको चाहिये कि वह अपने आवेदन-पत्र को, उसके अन्त में संलग्न प्रमाण-पत्र की दो प्रतियां निकाल कर, आयोग में सीधे भेज दें और प्रमाण-पत्र की उन प्रतियों को तत्काल अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को इस अनुरोध के साथ प्रस्तुत करें कि उक्त प्रमाण-पत्र की एक प्रति विधिवत् भर कर सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली को जल्दी से जल्दी और किसी भी हालत में प्रमाण-पत्र के फार्म में निर्दिष्ट तारीख से पहले भेज दी जाये ।

3. उम्मीदवार को अपने आवेदन-पत्र के साथ निम्नलिखित प्रलेख अवश्य भेजने चाहियें:—

(i) निर्धारित शुल्क के लिये रेखांकित किये भारतीय पोस्टल आर्डर या बैंक ड्राफ्ट अथवा शुल्क में छूट का दावा करने के समर्थन में प्राप्त प्रमाण-पत्र की प्रमाणित/अभिप्रमाणित प्रतिलिपि (देखिये नोटिस के पैरा 7 और 8 और नीचे पैरा 6)।

(ii) आयु के प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि ।

(iii) शैक्षिक योग्यता के प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि ।

(iv) उम्मीदवार के हाल ही के पासपोर्ट आकार (लगभग 5 सें० मी० 7 सें० मी०) के फोटो की दो एक जैसी प्रतियां) ।

(v) जहां लागू हो वहां अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति का होने के दावे के समर्थन में प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि (देखिये नीचे पैरा 4) ।

(vi) जहां लागू हो वहां आयु में छूट के दावे के समर्थन में प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि (देखिये नीचे पैरा 5) ।

नोट:—उम्मीदवारों को अपने आवेदन-पत्रों के साथ उपर्युक्त मद (ii), (iii), (iv) तथा (vi) पर उल्लिखित प्रमाण-पत्रों की केवल प्रतिलिपियां ही प्रस्तुत करनी है जो सरकार के किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित हों अथवा स्वयं उम्मीदवारों द्वारा सही प्रमाणित हों । जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर आशुलिपिक परीक्षण के लिये अर्हता प्राप्त कर लेते हैं तो उन्हें लिखित परीक्षा के परिणाम घोषित किये जाने के तुरन्त बाद उपर्युक्त प्रमाण-पत्रों की मूल प्रतियां प्रस्तुत करनी होंगी । परिणामों के 1979 के मई मास में घोषित किये जाने की संभावना है । उम्मीदवारों को उस इन प्रमाण-पत्रों को उस समय तैयार रखना चाहिये तथा लिखित परीक्षा के परिणाम की घोषणा के तुरन्त बाद उन्हें आयोग को प्रस्तुत कर देना चाहिये । जो उम्मीदवार उस समय अपेक्षित प्रमाण-पत्रों को मूल रूप में प्रस्तुत नहीं करते हैं उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी और ये उम्मीदवार पुनः विचार किये जाने का दावा नहीं कर सकेंगे।

मद (i) से (iv) में उल्लिखित प्रलेखों के विवरण नीचे दिये गये हैं और मद (v) और (vi) में उल्लिखित प्रलेखों के विवरण पैरा 4, 5 और 6 में दिये गये हैं:—

(i)(क) निर्धारित शुल्क के लिये रेखांकित किये गये भारतीय पोस्टल आर्डर:—

प्रत्येक पोस्टल आर्डर अनिवार्यतः रेखांकित किया जाये तथा उस पर 'सचिव, संघ लोक सेवा आयोग को नई दिल्ली के प्रधान डाकघर पर देय" लिखा जाना चाहिये ।

किसी अन्य डाक घर पर देय पोस्टल आर्डर किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किये जायेंगे । विरुपित या कटे फटे पोस्टल आर्डर भी स्वीकार नहीं किये जायेंगे ।

सभी पोस्टल आर्डरों पर जारी करने वाले पोस्टमास्टर के हस्ताक्षर और जारी करने वाले डाकघर की स्पष्ट मुहर होनी चाहिये ।

उम्मीदवारों को अवश्य ध्यान रखना चाहिये कि जो पोस्टल आर्डर न तो रेखांकित किये गये हों और न ही सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, को नई दिल्ली अनरल डाकघर पर देय किये गये हों, उन्हें भेजना सुरक्षित नहीं है ।

(ख) निर्धारित शुल्क के लिये रेखांकित बैंक ड्राफ्ट:—

बैंक ड्राफ्ट स्टेट बैंक आफ इंडिया की किसी शाखा से लिया जाना चाहिये और सचिव संघ लोक सेवा आयोग को स्टेट बैंक आफ इंडिया, की मुख्य शाखा, नई दिल्ली में देय होना चाहिये तथा विधिवत् रेखांकित होना चाहिये ।

किसी अन्य बैंक के नाम देय किये गये बैंक ड्राफ्ट किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किये जायेंगे । विरूपित या कटे फटे बैंक ड्राफ्ट भी स्वीकार नहीं किये जायेंगे ।

(ii) आयु का प्रमाण-पत्र:—आयोग सामान्यतः जन्म की वह तारीख स्वीकार करता है जो मैट्रिकुलेशन के प्रमाण-पत्र या माध्यमिक विद्यालय छोड़ने के प्रमाण-पत्र या किसी भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा मैट्रिकुलेशन के समकक्ष माने गये प्रमाण पत्र या किसी विश्वविद्यालय के यहां से मैट्रिकुलेट्री के रजिस्टर में दर्ज की गई हो और वह उद्धरण विश्वविद्यालय के समुचित प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित हो । जो उम्मीदवार उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या उसके समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण हो वह उच्चतर माध्यमिक परीक्षा के प्रमाण-पत्र या समकक्ष प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत कर सकता है ।

अनुदेशों के इस भाग में आये मैट्रिकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाण-पत्र के अन्तर्गत उपर्युक्त वैकल्पिक प्रमाण-पत्र सम्मिलित हैं ।

कभी कभी मैट्रिकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाण-पत्र में जन्म की तारीख नहीं होती या आयु के केवल पूरे वर्ष या पूरे वर्ष और महीने ही दिये होते हैं । ऐसे मामलों में उम्मीदवारों को मैट्रिकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित प्रमाणित प्रतिलिपि के अतिरिक्त उस संस्था के हैडमास्टर/प्रिंसिपल से लिये गये प्रमाण-पत्र की एक अभिप्रमाणित प्रमाणित प्रतिलिपि भेजनी चाहिये जहां से वह मैट्रिकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ है । इस प्रमाण पत्र में उस संस्था के दाखिला रजिस्टर में दर्ज की गई उसकी जन्म की तारीख या वास्तविक आयु लिखी होनी चाहिये ।

उम्मीदवारों को चेतावनी दी जाती है कि यदि आवेदन-पत्र के साथ इन अनुदेशों में यथा निर्धारित आयु का पूरा प्रमाण नहीं भेजा गया तो आवेदन-पत्र अस्वीकार किया जा सकता है । उन्हें यह भी चेतावनी दी जाती है कि यदि आवेदन-पत्र में लिखी जन्म की तारीख मैट्रिकुलेशन प्रमाण-पत्र उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाण-पत्र में दी गई जन्म की तारीख

से भिन्न है और इसके लिये कोई स्पष्टीकरण न दिया गया हो तो आवेदन पत्र रद्द किया जा सकता है।

नोट 1:—जिस उम्मीदवार के पास पढ़ाई पूरी करने के बाद माध्यमिक विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र हो, उसे केवल आयु से सम्बद्ध प्रविष्टि वाले पृष्ठ की अभि-प्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि भेजनी चाहिये

नोट 2:—उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिये कि उनके द्वारा किसी परीक्षा में प्रवेश के लिये जन्म की तारीख एक बार लिख भेजने और आयोग द्वारा उसके स्वीकृत हो जाने के बाद किसी बाद की परीक्षा में उसमें कोई परिवर्तन करने की अनुमति सामान्यतः नहीं दी जायेगी।

नोट 3:—जो उम्मीदवार (i) किसी मान्यताप्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (ii) इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन के लिये विद्यार्थियों को तैयार करने वाले किसी मान्यताप्राप्त स्कूल (iii) श्री अरविन्द अन्तर राष्ट्रीय शिक्षा केन्द्र, पांडिचेरी, का हायर सेकेन्डरी कोर्स या (iv) दिल्ली पालीटेकनीक के तकनीकी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की दसवीं कक्षा में उत्तीर्ण हो, उसे सम्बद्ध स्कूल के प्रिंसिपल से पैरा 3(iii) के नीचे नोट 3 के बाद निर्धारित प्रपत्र पर लिया गया आयु का प्रमाण-पत्र अवश्य भेजना चाहिये और उसके अतिरिक्त आयु के प्रमाण के रूप में कोई अन्य प्रमाण-पत्र अपेक्षित नहीं होगा।

नोट 4:—जो उम्मीदवार पहले से ही स्थाई सरकारी सेवा में हो, उनकी सेवा पुस्तिका की प्रविष्टियों को जन्म की तारीख और शैक्षिक योग्यताओं के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जा सकता है।

(iii) शैक्षिक योग्यता का प्रमाण-पत्र:—उम्मीदवार को एक ऐसे प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि अवश्य भेजनी चाहिये जिससे इस बात का प्रमाण मिल सके कि नियम 7 में निर्धारित योग्यताओं में से कोई एक योग्यता उसके पास है। भेजा गया प्रमाण पत्र उस प्राधिकारी (अर्थात् विश्वविद्यालय या किसी अन्य परीक्षा निकाय) का होना चाहिये जिसने उसे योग्यता विशेष प्रदान की हो। यदि ऐसे प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि न भेजी जाये तो उम्मीदवार को उसे न भेजने का कारण अवश्य बताना चाहिये और अपेक्षित योग्यता से सम्बद्ध अपने दावे के समर्थन में किसी अन्य प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि भेजनी चाहिये आयोग इस साक्ष्य पर उसकी गुणवत्ता के आधार पर विचार करेगा, किन्तु वह उसे पर्याप्त मानने के लिये बाध्य नहीं होगा।

नोट 1:—जो उम्मीदवार किसी ऐसी परीक्षा में बैठ चुका हो जिसमें उत्तीर्ण होने पर वह आयोग की इस परीक्षा में बैठने के लिये शैक्षिक रूप से योग्य हो जाता है किन्तु उन्हें परिणाम की सूचना नहीं मिली है और वह ऐसी अर्हक परीक्षा में बैठने का इरादा रखता है तो वह आयोग की इस परीक्षा में प्रवेश पाने के पात्र नहीं होगा।

नोट 2:—जिस उम्मीदवार के पास पढ़ाई पूरी करके माध्यमिक विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र हो, उसे उस प्रमाणपत्र की अभिप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ केवल एस० एस० एल० सी० परीक्षा परिणाम की प्रविष्टियों वाले पृष्ठ की प्रतिलिपि भेजनी चाहिये।

नोट 3:—जो उम्मीदवार (i) किसी समान्यताप्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, (ii) इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन के लिये विद्यार्थियों को तैयार करने वाले किसी मान्यताप्राप्त स्कूल, (iii) श्री अरविंद अन्तर राष्ट्रीय शिक्षा केन्द्र, पांडिचेरी का हायर सेकेन्डरी कोर्स या (iv) किसी पालीटेकनीक में तकनीकी माध्यमिक विद्यालय की दसवीं कक्षा में उत्तीर्ण हो उसे सम्बद्ध स्कूल के प्रिंसिपल/हैड-मास्टर से नीचे नोट में निर्धारित फार्म पर लिया गया शैक्षिक योग्यता का प्रमाण पत्र अवश्य भेजना चाहिये।

उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण पत्र का फार्म [द्रष्टव्य पैरा 3(ii) का नोट 3 और उपर्युक्त नोट 3]

प्रमाणित किया जाता है

(1) श्री/श्रीमती/कुमारी*———— सुपुत्र/सुपुत्री* श्री ———— इस विद्यालय की————कक्षा में जो कि हायर सेकेण्डरी इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन/श्री अरविंद अन्तर राष्ट्रीय शिक्षा केन्द्र, पांडिचेरी के हायर सेकेण्डरी पाठ्यक्रम/दिल्ली पालीटेकनीक तकनीकी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम* की उपांतिम कक्षा है, उत्तीर्ण है।

(2) इस विद्यालय के दाखिला रजिस्टर में दर्ज की गई उनकी जन्म की तारीख————है, इस तारीख की स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र/विद्यालय में विद्यार्थी के दाखिले के समय उसकी ओर से प्रस्तुत किये गये विवरण* से पुष्टि कर ली गई है।

तारीख:———— हैडमास्टर/प्रिंसिपल* के हस्ताक्षर
स्थान:———— (विद्यालय का नाम)

*जो शब्द लागू न हो, उन्हें काट दें।

(iv) फोटो की दो प्रतियां:—उम्मीदवार को अपने हाल ही के पासपोर्ट आकार (लगभग 5 सें० मी० × 7 सें० मी०) के फोटो दो एक जैसी प्रतियां अवश्य भेजनी चाहिये। इनमें से एक प्रति आवेदन-पत्र प्रपत्र के पहले पृष्ठ पर चिपका देनी चाहिये। और अन्य प्रति आवेदन-प्रपत्र के साथ अच्छी तरह नत्थी कर देनी चाहिये। फोटो की प्रत्येक प्रति के ऊपर उम्मीदवार को स्याही के हस्ताक्षर करने चाहिये।

ध्यान दें:—उम्मीदवारों को चेतावनी दी जाती है कि यदि आवेदन-पत्र के साथ ऊपर पैरा 3(ii), 3(iii) और 3(iv) में उल्लिखित प्रमाण-पत्र आदि में से कोई एक संलग्न न होगा और उसे न भेजने का उचित स्पष्टीकरण भी न दिया गया होगा तो आवेदनपत्र अस्वीकार किया जा सकता है और इस अस्वीकृति के विरुद्ध कोई अपील नहीं सुनी जायेगी। यदि कोई अपेक्षित आवेदन पत्र के साथ न भेजे गये हों तो उन्हें आवेदन-पत्र भेजने के बाद शीघ्र ही भेज देना चाहिये और वे हर हालत में आवेदन-पत्र स्वीकार करने की अन्तिम तारीख से एक महीने के भीतर आयोग के कार्यालय में पहुंच जाने चाहिये। यदि ऐसा न किया गया तो आवेदन-पत्र रद्द किया जा सकता है।

4. यदि कोई उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का होने का दावा करे तो उसे अपने दावे के समर्थन में उस जिले के, जिसमें उसके माता पिता (या जीवित माता या पिता) आमतौर से रहते हों, जिला अधिकारी] या उप मण्डल अधिकारी या नीचे उल्लिखित किसी अन्य अधिकारी से जिसे सम्बन्ध राज्य सरकार ने यह प्रमाण-पत्र जारी करने के लिये सक्षम प्राधिकारी के रूप में पद नामित किया हो, नीचे दिये गये फार्म में प्रमाण पत्र लेकर उसकी एक अभिप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करनी चाहिये। यदि उम्मीदवार के माता और पिता दोनों की मृत्यु हो गई हो तो वह प्रमाण पत्र उस जिले के अधिकारी से लिया जाना चाहिये जहां उम्मीदवार अपनी शिक्षा से भिन्न किसी अन्य प्रयोजन से आम तौर पर रहता है।

भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिये आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण पत्र का फार्म।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी*————— ——————————सुपुत्र/सुपुत्री* श्री—————————— ———— ———— ————जो गांव/कस्बा* ———————————— ———————————— जिला/मंडल*——— ——————————— राज्य/संघ* राज्य क्षेत्र————————————————————————के/की* निवासी है———————————————————————— ——————————————————जाति/जन जाति के/की* हैं जिसे निम्नलिखित के अधीन अनुसूचित जन* जाति के रूप में मान्यता दी गई है :—

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950*

संविधान (अनुसूचित जन जातियां) आदेश, 1950*

संविधान (अनुसूचित जातियां) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951*

संविधान (अनुसूचित जन जातियां) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951*

[अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जन जातियां सूची (आशोधन) आदेश, 1956, बम्बई, पुनर्गठन अधिनियम, 1950, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970, उत्तर पूर्वी-क्षेत्र (पुनर्गठन), अधिनियम, 1971 द्वारा यथा संशोधित और अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जन जातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976]

संविधान (जम्मू और काश्मीर) अनुसूचित जातियां आदेश 1956,*

संविधान (अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जन जातियां आदेश, 1959* अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जन जातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा यथा संशोधित

संविधान (दादरा और नागर हवेली) (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1962*

संविधान (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित जन जातियां आदेश, 1962*

संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जातियां आदेश, 1964*

संविधान (अनुसूचित जन जातियां) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967*

संविधान (गोवा, दमन और दियु) अनुसूचित जातियां आदेश, 1968*

संविधान (गोवा, दमन और दियु) अनुसूचित जन जातियां आदेश, 1968*

संविधान (नागालैण्ड) अनुसूचित जन जातियां आदेश, 1970*

2. श्री/श्रीमती/कुमारी*———————————————— और/या* उनका परिवार आमतौर से गांव/कस्बा*—————————— ——————————————————————————— जिला/मंडल*——————————————————————राज्य/संघ* राज्य क्षेत्र————————————————————————— में रहते/रहती* है ।

हस्ताक्षर——————

**पदनाम ——————

(कार्यालय की मोहर सहित)

स्थान——————

तारीख ——————

राज्य/संघ *राज्य क्षेत्र

*जो शब्द लागू न हों, उन्हें कृपया काट दें ।

नोट :—यहां आम तौर पर रहते/रहती* है" शब्दों का अर्थ वही होगा जो रिप्रेजेंटेशन आफ दि पीपुल एक्ट 1950 की धारा 20 में है ।

**अनुसूचित जाति/जनजाति—प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए सक्षम अधिकारी ।

(i) जिला मैजिस्ट्रेट/अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट/कलेक्टर/डिप्टी कमिश्नर/एडीशनल डिप्टी कमिश्नर/डिप्टी कलेक्टर/प्रथम श्रेणी का स्टाईपेंडरी मैजिस्ट्रेट/डिप्टी मैजिस्ट्रेट/†सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेट/तालुक मैजिस्ट्रेट/एक्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट/एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर ।

†(प्रथम श्रेणी के स्टाइपेंडरी मैजिस्ट्रेट के ओहदे से कम नहीं) ।

(ii) चीफ प्रैसिडेंसी मैजिस्ट्रेट/ऐडीशनल चीफ प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट/प्रैसिडेन्सी मैजिस्ट्रेट ।

(iii) रैवेन्यू अफसर जिसका ओहदा तहसीलदार से कम न हो ।

(iv) उस इलाके का सब डिवीजनल अफसर जहां उम्मीदवार और/या उसका परिवार आम तौर से रहता हो ।

(v) ऐडमिनिस्ट्रेट्रेटर/ऐडमिनिस्ट्रेटर का सचिव/डेवलपमेंट अफसर, लक्षद्वीप ।

5. (i) नियम 6(ग)(ii) या 6(ग)(iii) के अन्तर्गत निर्धारित आयु सीमा में छूट का और/या उक्त नोटिस के पैराग्राफ 8 के अधीन शुल्क में छूट का दावा करने वाले भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान (अब बंगला देश) से विस्थापित व्यक्ति को निम्नलिखित प्राधिकारियों में से किसी एक से लिए गए प्रमाण-पत्र की प्रतिलिपि यह दिखलाने के लिए प्रस्तुत करनी चाहिए कि वह भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान (अब बंगला देश) से आया हुआ वास्तविक विस्थापित है और 1 जनवरी, 1964 और 25 मार्च, 1971 के बीच की अवधि के दौरान प्रव्रजन कर भारत आया है :—

(1) दंडकारण्य परियोजना के ट्रांजिट केन्द्रों अथवा विभिन्न राज्यों में स्थित राहत शिविरों के कैम्प कमांडेंट ।

(2) उस क्षेत्र का जिला मैजिस्ट्रेट, जहां वह इस समय निवास कर रहा है ।

(3) अपने-अपने जिलों में शरणार्थी पुनर्वास के प्रभारी अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट ।

(4) स्वयं प्रभारित सब डिवीजन का सब डिवीजनल अफसर ।

(5) उप शरणार्थी पुनर्वास आयुक्त, पश्चिम बंगाल/निदेशक (पुनर्वास) कलकत्ता ।

(ii) नियम 6(ग)(iv) अथवा 6(ग)(v) के अन्तर्गत निर्धारित आयु में छूट का और/या उक्त नोटिस के पैराग्राफ 8 के अधीन शुल्क में छूट का दावा करने वाले श्रीलंका से प्रत्यावर्तित या प्रत्यावर्तित होने वाले मूलत: भारतीय व्यक्ति को श्रीलंका में भारत के उच्च आयुक्त के कार्यालय से लिए गए इस आशय के प्रमाण-पत्र की एक प्रतिलिपि प्रस्तुत करनी चाहिए कि वह एक भारतीय नागरिक है जो अक्तूबर, 1964 के भारत श्रीलंका समझौते के अधीन 1 नवम्बर, 1964 को या उसके बाद भारत आया है या भारत आने वाला है ।

(iii) नियम 6(ग)(vi) के अन्तर्गत आयु-सीमा में छूट चाहने वाले कीनियां, उगांडा तथा संयुक्त गणराज्य टजानिया से आए हुए उम्मीदवार को या जाम्बिया, मलावी, जेरे और इथियोपिया से प्रत्यावर्तित भारत मूलक उम्मीदवार को उस क्षेत्र के जिला मैजिस्ट्रेट से जहा वह इस समय निवास कर रहा है लिए गए प्रमाण-पत्र की एक अभिप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि यह दिखलाने के लिए प्रस्तुत करनी चाहिए कि वह वास्तव में उपर्युक्त देशों से आया है ।

(iv) नियम 6(ग)(vii) अथवा 6(ग)(viii) के अन्तर्गत निर्धारित आयु सीमा में और/या उक्त नोटिस के पैराग्राफ 8 के अधीन शुल्क में छूट चाहने वाले बर्मा से प्रत्यावर्तित मूलत: भारतीय व्यक्ति को भारतीय

राजदूतावास, रंगून द्वारा दिए गए पहिचान प्रमाण-पत्र की एक अभिप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि यह दिखलाने के लिए प्रस्तुत करनी चाहिए कि वह एक भारतीय नागरिक है जो 1 जून, 1963 को या उसके बाद भारत आया है, अथवा उसे, जिस क्षेत्र का वह निवासी है*उसके जिला मैजिस्ट्रेट से लिए गए प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि यह दिखलाने के लिए प्रस्तुत करनी चाहिए कि वह बर्मा से आया हुआ वास्तविक प्रत्यावर्तित व्यक्ति है और 1 जून, 1963 को या उसके बाद भारत आया है।

(v) नियम 6(ग)(ix) अथवा 6(ग)(x) के अन्तर्गत आयुसीमा में छूट चाहने वाले ऐसे उम्मीदवार को, जो रक्षा सेवा मे कार्य करते हुए विकलांग हुआ है, महानिदेशक, पुनःस्थापन, रक्षा मंत्रालय, से निम्नलिखित निर्धारित फार्म पर इस आशय का एक प्रमाण-पत्र लेकर उसकी एक अभिप्रमाणित-प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करनी चाहिए कि वह रक्षा सेवा में कार्य करते हुए विदेशी शत्रु देश के साथ संघर्ष में अथवा अशांतिग्रस्त क्षेत्र में फौजी कार्रवाई के दौरान विकलांग हुआ और परिणामस्वरूप निर्मुक्त हुआ।

उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले

प्रमाण-पत्र का फार्म

प्रमाणित किया जाता है कि यूनिट——————————

——————————के रैंक नं०——————————

श्री——————————रक्षा सेवाओं में——— कार्य करते हुए विदेशी शत्रु देश के साथ संघर्ष में/अशांतिग्रस्त* क्षेत्र में फौजी कार्रवाई के दौरान विकलांग हुए और उस विकलांग के परिणामस्वरूप निर्मुक्त हुए :

हस्ताक्षर ——————

पदनाम ——————

दिनांक ——————

*जो शब्द लागू न हो, उसे कृपया काट दें।

(vi) नियम 6(ग)(xi) अथवा (ग)(xii) के अन्तर्गत आयु-सीमा में छूट चाहने वाले उम्मीदवार को, जो सीमा सुरक्षा दल में कार्य करते हुए विकलांग हुआ है महानिदेशक, सीमा रक्षा दल, गृह मंत्रालय से नीचे निर्धारित फार्म पर लिए गए प्रमाण-पत्र की एक अभिप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि यह दिखलाने के लिए प्रस्तुत करनी चाहिए कि वह सीमा सुरक्षा दल में कार्य करते हुए 1971 के भारत पाक संघर्ष के दौरान विकलांग हुआ और परिणामस्वरूप निर्मुक्त हुआ।

उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला

प्रमाण-पत्र का फार्म

प्रमाणित किया जाता है कि यूनिट——————————

रैंक नं०——————————श्री——————————

——————————सीमा सुरक्षा दल में कार्य करते हुए सन् 1971 के भारत-पाक शत्रुता संघर्ष के दौरान विकलांग हुए और उस विकलांगता के परिणाम स्वरूप निर्मुक्त हुए।

हस्ताक्षर ——————

पदनाम ——————

तारीख ——————

(vii) पैरा 8 के अधीन शुल्क में छूट चाहने वाले भूतपूर्व सैनिको को चाहिए कि वे अपने भूतपूर्व सैनिक होने के लिए प्रमाण स्वरूप थल सेना/वायु सेना/नौ सेना प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए कार्य मुक्ति प्रमाण-पत्र की एक अभिप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करें। उक्त प्रमाण पत्र से उसके सशस्त्र सेनाओं में भर्ती की सही तारीख तथा सशस्त्र सेनाओं के रिजर्व से उसके मुक्ति अथवा स्थानान्तरण की तारीख अथवा सशस्त्र सेनाओं के रिजर्व से उसकी प्रमाणित निर्मुक्ति अथवा स्थानान्तरण की तारीख का संकेत अवश्य मिलना चाहिए।

(viii) नियम 6(ग)(xiii) के अन्तर्गत आयु में छूट का दावा करने वाले वियतनाम से प्रत्यावर्तित मूलतः भारतीय व्यक्ति को, फिलहाल जिस क्षेत्र का वह निवासी है, उसके जिला मैजिस्ट्रेट से लिए गए प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि यह दिखलाने के लिए प्रस्तुत करनी चाहिए कि वह वियतनाम से आया हुआ वास्तविक प्रत्यावर्तित व्यक्ति है और वियतनाम से जुलाई, 1975 से पहले भारत नहीं आया है।

नियम 6(घ) के अन्तर्गत आयु में छूट का दावा करने वाले उम्मीदवार को (i) निरोधक प्राधिकारी से उनकी मुहर लगे प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित/प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें यह लिखा हो कि उक्त उम्मीदवार आन्तरिक सुरक्षा अनुरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत विरुद्ध हुआ था या (ii) जिस उपमंडल मैजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में वह इलाका आता हो उसके प्रमाण-पत्र की एक अभिप्रमाणित/प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें लिखा हो कि उम्मीदवार भारत रक्षा तथा आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम, 1971 या उसके अन्तर्गत बने नियमों के अन्तर्गत गिरफ्तार या कैद हुआ था और जिसमें वे तारीख विनिर्दिष्ट हों जिसके बीच वह गिरफ्तार या कैद रहा था तथा जिसमें प्रमाणित हो कि निरोध या गिरफ्तारी कैद जैसी स्थिति हो, उम्मीदवार के राजनीतिक सम्बन्धों या कार्यकलापों या तत्कालीन प्रतिबन्धित संगठनों से उसके सम्बन्ध रखने के अनुसरण में थी।

6. जो उम्मीदवार ऊपर पैरा 5(i), (ii) और (iv) में से किसी भी वर्ग के अन्तर्गत नोटिस के पैरा 8 के अनुसार शुल्क में छूट का दावा करता है, उसको किसी जिला अधिकारी या सरकार के राजपत्रित अधिकारी या संसद सदस्य या राज्य विधान मण्डल के सदस्य से, यह दिखलाने के लिए कि वह निर्धारित शुल्क देने की स्थिति में नहीं है, इस आशय का एक प्रमाणित पत्र लेकर उसकी अभिप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करनी होगी।

7. जिस उम्मीदवार के मामले में पात्रता प्रमाण-पत्र आवश्यक हो उसे परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है किन्तु उसे नियुक्ति प्रस्ताव केवल तभी दिया जा सकता है जब भारत सरकार द्वारा उसे आवश्यक पात्रता प्रमाण-पत्र जारी कर दिया गया हो।

8. उम्मीदवारों को चेतावनी दी जाती है कि वे आवेदन-पत्र भरते समय कोई झूठा ब्यौरा न दें अथवा किसी महत्वपूर्ण सूचना को न छिपाएं।

उम्मीदवारों को यह भी चेतावनी दी जाती है कि वे अपने द्वारा प्रस्तुत किए गए किसी प्रलेख अथवा उसकी प्रति की किसी प्रविष्टि को किसी भी स्थिति में न तो ठीक करें, न उसमें परिवर्तन करें और न कोई फेरबदल करें, और न ही फेरबदल किए गए/झूठे प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें। यदि ऐसे दो या अधिक प्रलेखों या उनकी प्रतियों में कोई अशुद्धि अथवा विसंगति हो तो विसंगति के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए।

9. आवेदन-पत्र देर से प्रस्तुत किए जाने पर देरी के कारण के रूप में यह तर्क स्वीकार नहीं किया जाएगा कि आवेदन-प्रपत्र ही अमुक तारीख को भेजा गया था। आवेदन-प्रपत्र को भेजा जाना ही स्वतः इस बात का सूचक न होगा कि प्रपत्र, पाने वाला परीक्षा में बैठने का पात्र हो गया है।

10. यदि परीक्षा से सम्बद्ध आवेदन-पत्रों की प्राप्ति की आखिरी तारीख से एक महीने के भीतर उम्मीदवार को अपने आवेदन-पत्र की पावती न मिले तो उसे पावती प्राप्त करने के लिए आयोग से तत्काल सम्पर्क करना चाहिए।

11. इस परीक्षा के प्रत्येक उम्मीदवार को उसके आवेदन-पत्र के परिणाम की सूचना यथाशीघ्र दे दी जाएगी। किन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि परिणाम कब सूचित किया जाएगा। यदि परीक्षा के शुरू होने की तारीख से एक महीना पहले तक उम्मीदवार को अपने आवेदन-पत्र के परिणाम के बारे में संघ लोक सेवा आयोग से कोई सूचना न मिले तो परिणाम की जानकारी के लिए उसे आयोग से तत्काल संपर्क स्थापित करना चाहिए। यदि उम्मीदवार ने ऐसा नहीं किया तो वह अपने मामले में विचार किए जाने के दावे से वंचित हो जाएगा।

12. पिछली पांच परीक्षाओं के नियमों और प्रश्न-पत्रों से संबद्ध पुस्तिकाओं की प्रतियों की बिक्री प्रकाशन नियंत्रक, सिविल लाइन्स, दिल्ली-110006 के, द्वारा होती है और उन्हें वहां से मेल आर्डर द्वारा सीधे अथवा नकद भुगतान द्वारा

प्राप्त किया जा सकता है। उन्हें (i) किताब महल, रिवोली सिनेमा, के सामने, एम्पोरिया बिल्डिंग 'सी' ब्लाक, बाबा खड़कसिंह मार्ग, नई दिल्ली-110001, (ii) प्रकाशन शाखा, उद्योग भवन, नई दिल्ली-110001 और (iii) गवर्नमेंट आफ इंडिया बुक डिपो, 8, के० एस० राय रोड, कलकत्ता-1, से भी केवल नकद भुगतान करके खरीदा जा सकता है। ये पुस्तिकाए विभिन्न मुफस्सिल नगरों में भारत सरकार के प्रकाशन एजेंटों से भी प्राप्त की जा सकती हैं।

13. परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा कोई यात्रा-भत्ता नहीं दिया जाएगा।

14. आवेदन-पत्र से सम्बद्ध पत्र-व्यवहार : आवेदन-पत्र से संबद्ध सभी पत्र-व्यवहार सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, नई दिल्ली-110011 से किया जाए तथा उसमें नीचे लिखा ब्यौरा अनिवार्य रूप से दिया जाए :—

(1) परीक्षा का नाम

(2) परीक्षा का महीना और वर्ष

(3) उम्मीदवार का रोल नम्बर अथवा जन्म की तारीख यदि रोल नम्बर सूचित नहीं किया गया है।

(4) उम्मीदवार का नाम (पूरा तथा बड़े अक्षरों में)

(5) आवेदन-पत्र में दिया गया डाक का पता

ध्यान दें :—जिन पत्रों में यह ब्यौरा नहीं होगा, संभव है कि उन पर ध्यान नहीं दिया जाएगा।

15. पते में परिवर्तन :—उम्मीदवार को इस बात की व्यवस्था कर लेनी चाहिए कि उसके आवेदन-पत्र में उल्लिखित पते पर भेजे गए पत्र आदि, आवश्यक होने पर, उसको बदले हुए पते पर मिल जाया करें। पते में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होने पर आयोग को उसकी सूचना, उपर्युक्त पैरा 14 में उल्लिखित ब्योरे के साथ, यथाशीघ्र दी जानी चाहिए। आयोग ऐसे परिवर्तनों पर ध्यान देने का पूरा-पूरा प्रयत्न करता है, किन्तु इस विषय में वह कोई जिम्मेदारी स्वीकार नहीं कर सकता।

SUPREME COURT OF INDIA

(ADMN. BR. 1)

New Delhi, the 22nd August 1978

No. F.6/78-SCA (1).—The Hon'ble the Chief Justice of India has been pleased to appoint Shri N. Vijia Kumar, officiating Superintendent (Legal) of the Department of Legal Affairs and permanent Assistant (Legal) as an Officiating Assistant Editor, Supreme Court Reports, Supreme Court of India with effect from the forenoon of the 19th August, 1978 until further orders.

MAHESH PRASAD
Deputy Registrar (Admn. I.)

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

New Delhi, the 4th August 1978

No. A.12025/1/77-Admn.II.—The Chairman, Union Public Service Commission, hereby appoints Shri M.L. Rustagi a substantive Technical Assistant of the Joint Cipher Bureau, Ministry of Defence, to the temporary post of Programmer in the office of Union Public Service Commission with effect from the forenoon of the 29th July, 1978 until further orders.

P. N. MUKHERJEE
Under Secy.
for Chairman.

New Delhi-110011, the 18th August 1978

No. A.19012/2/78-Admn.I.—The President is pleased to appoint Shri H.C. Jatav, an officer of the IPS to the post of Joint Secretary in the grade of Director to the Government of India (Rs. 2000-125/2-2250) in the office of the Union Public Service Commission, New Delhi, with effect from 4-8-1978 (FN) until further orders.

The 19th August 1978

No. A.12025/1/78-Admn.I.—The President has been pleased to appoint Shri Joginder Singh, permanent Personal Assistant (Grade C of CSSS) cadre of Ministry of Information & Broadcasting and officiating as Senior Personal Assistant in the Department of Rural Development, Ministry of Agriculture & Irrigation, as Senior Personal Assistant (Grade B of CSSS) cadre of Union Public Service Commission w.e.f. 10-8-78(FN) until further orders.

P. N. MUKHERJEE
Under Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(DEPARTMENT OF PERSONNEL & A. R.)

CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

New Delhi, the 22nd August 1978

No. B-72/66-Ad. V.—The President is pleased to appoint Shri Bali Ram Dubey, Dy. Supdt. of Police, C.B.I./S.P.E. to officiate as Supdt. of Police in the C.B.I./S.P.E. in a temporary capacity with effect from 4-8-78 (F.N.) and until further orders.

K. K. PURI
Deputy Director (Admn.),

New Delhi, the 26th August 1978

No. A-19036/22/78-Ad.V.—The Director, C.B.I. and I.G.P./S.P.E. hereby appoints Shri M.H. Khan, a Dy. S.P. of Bihar Police, as Dy. S.P. in the C.B.I./S.P.E. with effect from the forenoon of 8-8-78 and until further orders.

RIPDAMAN SINGH
Administrative Officer(A)

DIRECTORATE GENERAL, CRP FORCE

New Delhi-110001, the 22nd August, 1978

No. D. 1-2/75-Estt.—The President is pleased to appoint on promotion, the following Subedars as Dy. S. P. (Coy. Comdr./Quarter Master) in the CRP Force, purely on ad-hoc basis for the period shown against each:—

Sl. No.	Name of the officer	From	To
1.	Shri Bhoom Singh	24-12-74	31-3-75
2.	Shri Rajpal Singh	21-12-74 (A.N.)	9-3-75
3.	Shri Sheobaran Singh	23-12-74	7-3-75

The above ad-hoc promotion shall not confer on the officers any benefit towards seniority/confirmation in the rank of Dy. S. P. in the CRPF.

The 23rd August 1978

No. O.II-1038/75-Estt.—The Director General, CRPF is pleased to appoint Dr. (Mrs) Usha Jain as Junior Medical Officer in the CRPF on ad-hoc basis with effect from 6-7-78 (FN) for a period of 3 months only or till recruitment to the post is made on regular basis, whichever is earlier.

The 26th August 1978

No. O.II.27/73-Estt.—Consequent on his repatriation to parent Department, Shri G.C. Bhandari, an officer of Indian Defence Accounts Service, handed over charge of the post of Assistant Financial Adviser on the Directorate General, C.R.P.F. on the afternoon of 9th August, 1978.

No. O.II-32/78-Estt.—The President is pleased to appoint on deputation Shri P.M. Sen an officer of Indian Audit and Accounts Service as Assistant Financial Adviser in the CRP Force wef. 9-8-78 (AN) till further orders.

A. K. BANDYOPADHYAY
Assistant Director (Admn)

OFFICE OF THE INSPECTOR GENERAL

CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

New Delhi-110019, the 24th August 1978

No. E-16013(1)/1/78-Pers.—On his appointment as Director UPSC, New Delhi, Shri H.C. Jatav IPS (UT-59), relinquished the charge of the post of DIG/CISF, Durgapur Steel Plant Durgapur w.e.f. the afternoon of 31st July 1978.

No. E.38013(2)/1/78-Pers.—On transfer to Madras Shri W. J. Dawson IPS (Kerala-65) relinquished the charge of the post of Commandant CISF Unit SHAR Centre, Sriharikota (AP) with effect from the forenoon of 28th July 1978.

No. E-38013(2)/1/78-Pers.—On transfer from Sriharikota Shri W. J. Dawson assumed the charge of the post of Commandant CISF Unit Madras Port Trust Madras with effect from the forenoon of 3rd August 1978 vice Shri L. M. Devasahayam who relinquished the charge of the said post w.e.f. the same date.

No. E-38013(2)/1/78-Pers.—On transfer from Hoshangabad Shri V. G. Thatte assumed the charge of the post of Commandant CISF Unit BALCO Korba (MP) with effect from the forenoon of 28th July 1978.

No. E-38013(2)/1/78-Pers.—On transfer from Nangal Shri Daljit Singh assumed the charge of the post of Comman-

dant CISF Unit BHEL Hardwar with effect from the forenoon of 10th July 1978 vice Lt Col R. S. Randhawa who relinquished the charge of the said post with effect from the same date.

No. E-38013(3)/1/78-Pers.—On transfer to Baroda Shri M. L. Abrol relinquished the charge of the post of Asstt. Comdt CISF Unit HEC Ranchi with effect from the afternoon of 31st July 1978.

No. E-38013(3)/1/78-Pers.—The President is pleased to appoint Shri G. S. Jauhal to officiate as Asstt. Commandant CISF Unit IOC Barauni on *ad hoc* basis and assumed the charge of the said post with effect from the forenoon of 28th May 1978.

No. E-38013(3)/1/78-Pers.—On transfer from Visakhapatnam Shri Santokh Singh, assumed the charge of the post of Asstt. Commandant CISF Unit HIL New Delhi with effect from the forenoon of 24th July 1978.

No. E-38013(3)/1/78-Pers.—On transfer from Delhi Shri S. C. Laul relinquished the charge of the post of Asstt. Commandant (JAO)/R&T, CISF HQrs. New Delhi with effect from the afternoon of 7th August 1978.

No. E-38013(3)/1/78-Pers.—On transfer to Delhi Shri Santokh Singh relinquished the charge of the post of Asstt. Commandant, CISF Unit VPT, Visakhapatnam with effect from the afternoon of 19th July 1978.

NARENDRA PRASAD
Asstt. Inspector General (Pers.)

OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA

New Delhi-110011, the 26th August 1978

No. 10/24/77-Ad.I.—On the recommendation of the Union Public Service Commission the President is pleased to appoint Shrimati Minati Ghosh as Research Officer (Map) in the office of the Registrar General, India at New Delhi, on regular basis, in a temporary capacity, with effect from 17th July 1978, until further orders.

The headquarters of Smt. Ghosh will be at New Delhi.

The 29th August 1978

No. P/P(35)-Ad. I.—In continuation of this office notification of even number dated 25th May 1978, the President is pleased to extend the *ad-hoc* appointment of Shri K. N. Pant, a permanent Hindi Translator in the Secretariat of Election Commission of India, as Hindi Officer in the office of the Registrar General, India by transfer on deputation upto 30th September 1978 with effect from 1st July 1978 or till the post is filled in no regular basis, whichever is earlier.

2. The headquarters of Shri Pant will continue to be at New Delhi.

No. 12/5/74-RG(Ad.I).—In continuation of this office notification of even number dated 20th February 1978, the President is pleased to extend the *ad-hoc* appointment of Smt. Krishna Chowdhury as Linguist in the office of the Assistant Registrar General (Language) at Calcutta, for a further period of six months with effect from 11th July 1978 or till the post is filled on regular basis, whichever is earlier.

No. 11/1/77-Ad. I—In continuation of this office notification of even number dated 6-2-1978, the President is pleased to extend the *ad-hoc* appointment of the undermentioned officers in the posts of Assistant Director of Census Operations, in offices of the Director of Census Operations as mentioned against each upto 26 May 1978, with effect from 1-4-1978 :—

Sl. No.	Name of the officer	States	Headquarters
1.	Shri S. K. Majumdar	Uttar Pradesh	Lucknow
2.	Shri B. D. Sharma	Chandigarh UT	Chandigarh

P. PADMANABHA,
Registrar General, India

MINISTRY OF FINANCE

(DEPTT. OF E.A.)

INDIA SECURITY PRESS

Nasik Road, the 18th August 1978

No. 870/A.—In continuation of Notification No. 781/A, dated 26-7-1978, the *ad hoc* appointments of S/Shri J. H. Sayyad & R. Venkataraman as Deputy Control Officers, India Security Press, Nasik Road will be treated as regular with effect from 12th July 1978.

D. C. MUKHERJEA
General Manager

BANK NOTE PRESS

Dewas, the 24th August 1978

F. No. BNP/C/5/78.—The undersigned is pleased to appoint the following permanent Inspectors Control to officiate on regular basis as Deputy Control Officer (Group 'B'—Gazetted) in the scale of pay of Rs. 650—30—740—35—810—EB—35—880—40—1000—EB—40—1200, in the Bank Note Press, Dewas with effect from 21st August 1978 (F.N.) until further orders.

1. Shri S. K. Mathur.
2. Shri M. Lakshminarayana.

Their names are appearing in the order of merit as adjudged by Departmental Promotion Committee (Group-B).

P. S. SHIVARAM
General Manager

INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT

OFFICE OF THE COMPTROLLER & AUDITOR GENERAL OF INDIA

New Delhi, the 23rd August 1978

No. 1089-CA. I/30-75.—Consequent upon the permanent absorption with the National Textile Corporation (M.P.) Limited, Shri M. L. Kabra Audit Officer (Commercial) retired from Government services with effect from 23rd May 1977 (FN).

S. D. BHATTACHARYA
Jt. Director (Commercial)

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL-I

Hyderabad, the 22nd August 1978

NOTICE

No. EB.I/DC/8c.232/78-79.—In pursuance of sub-rule (1) of Rule (5) of Central Civil Services (Temporary Services) Rules, 1965, I hereby give notice to Shri Afzal Miah (s/o Shri Mahaboob Ali), temporary Clerk of this office that his services shall stand terminated with effect from the date of expiry of a period of one month from the date of publication of this Notice or as the case may be, tendered to him.

S. R. MUKHERJEE
Sr. Deputy Accountant General (Admn.)

OFFICE OF THE DIRECTOR OF AUDIT, DEFENCE SERVICES

New Delhi, the 23rd August 1978

No. 2594/A-Admn/130/78.—Consequent on his permanent absorption in the Textiles Committee, Government of India, Ministry of Commerce, with effect from 31st December 1977 (AN), the lien of Shri A. Ramachandran, Substantive Audit Officer, in this department has been terminated, in terms of FR-14-A(d) from the same date.

K. B. DAS BHOWMIK
Sr. Dy. Director of Audit, DS

MINISTRY OF DEFENCE

DIRECTORATE GENERAL, ORDNANCE FACTORIES

INDIAN ORDNANCE FACTORIES SERVICE

Calcutta, the 9th August 1978

No. 35/G/78—The President is pleased to appoint the undermentioned Officers as Offg. D. M./DADGOF with effect from the date shown against them, until further orders:—

(1) Shri S. Paramaswamy, Pt. A. M.	22nd April, 1978.
(2) Shri B. Vijayadurai, Pt. A.M.	22nd April, 1978.
(3) Shri C. L. Sharma, Pt. A.M.	22nd April, 1978.
(4) Shri S. K. Sinha, Pt. A.M.	22nd April, 1978.
(5) Shri V. K. Bhasin, Pt. A.M.	22nd April, 1978.
(6) Shri S. K. Dua, Pt. A.M.	22nd April, 1978.
(7) Shri Ra n wtar Agarwal, Pt. A.M.	22nd April, 1978.
(8) Shri U. D. Prabhu, Pt. A.M.	22nd April, 1978.
(9) Shri S. K. Sahoo, Pt. A.M.	22nd April, 1978.
(10) Shri Hem Raj Nahar, Pt. A.M.	22nd April, 1978.
(11) Shri Ram Kishan, Pt. A.M.	22nd April, 1978.
(12) Shri M. D. Kandwal, Pt. A.M.	22nd April, 1978.
(13) Shri V. H. Iyer, Pt. A.M.	22nd April, 1978.
(14) Shri Jaytilak Biswas, A.M. (Prob)	22nd April, 1978.
(15) Shri T. F. Decunha, Offg. A.M.	22nd April, 1978.
(16) Shri A. K. Singh, A.M. (Prob)	22nd April, 1978.
(17) Shri T. K. Vijayaragavan, AM (Prob)	16th June, 1978.
(18) Dr. V. H. Singh, Pt. A.M.	22nd April, 1978.
(19) Dr. D. R. Misra, Pt. A.M.	22nd April, 1978.
(20) Shri A. K. Banga, Pt. A.M.	22nd April, 1978.
(21) Shri Tapas Kr. Basu, Pt. A.M.	22nd April, 1978
(22) Shri O. P. Chugh, Pt. A.M.	22nd April, 1978.
(23) Shri Tapan Kr. Basu, Pt. A.M.	22nd April, 1978.
(24) Shri H. B. Singh, Pt. A.M.	22nd April, 1978.
(25) Shri J. C. Saha, Pt. A.M.	22nd April 1978.
(26) Shri B. B Singh, Pt. A.M.	22nd April, 1978.
(27) Shri S. S. Saxena, Pt. A.M.	22nd April, 1978.
(28) Shri Ratan Prakash Pt. A.M.	22nd April, 1978.
(29) Shri M. N. P. Rawla, Offg. A.M	22nd April, 1978.
(30) Shri R. K. Mital, Offg. A.M.	22nd April, 1978.

The 23rd August 1978

No. 37/78/G.—On attaining the age of 58 years Shri G. N. Rahalkar, offg. Assistant Manager (Subst. & Permt. A.S.H. (NT) retired from service with effect from 31st May 1978 (AN).

V. K. MEHTA
Asstt. Director General, Ordnance Factories

MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION

OFFICE OF THE CHIEF CONTROLLER OF IMPORTS AND EXPORTS

New Delhi, the 19th August 1978

IMPORT AND EXPORT TRADE CONTROL

ESTABLISHMENT

No. 6/320/55-Admn(G)/5998.—On attaining the age of superannuation, Shri K. Nagaraja Rao, an officer permanent in the Section Officer's grade of the CSS relinquished charge of the post of Controller of Imports and Exports in the office of the Joint Chief Controller of Imports and Exports, Madras on the afternoon of the 31st July 1978.

The 26th August 1978

No. 6/161/54-Admn(G)/5988.—On attaining the age of superannuation, Shri P. C. Nanda relinquished charge of the post of Joint Chief Controller of Imports and Exports in this office on the afternoon of the 31st July 1978.

K. V. SESHADRI
Chief Controller of Imports and Exports

DTE. GENERAL OF SUPPLIES & DISPOSALS

(ADMN. SECTION A-6)

New Delhi, the 21st August 1978

No. A6/247(92)/58.—Consequent upon his reversion from the post of Dy. Director General (Inspection), Shri C. R. Sircar took over the charge of the post of Director of Inspection in the Hdqrs. office of the Directorate General of Supplies & Disposals w.e.f. the afternoon of 29th July 1978.

SURYA PRAKASH
Dy. Director (Admn.)
for Director General of Supplies & Disposals

MINISTRY OF STEEL AND MINES

DEPARTMENT OF MINES

GEOLOGICAL SURVEY OF INDIA

Calcutta-700016, the 25th August 1978

No. 5588/B/4/72/19A.—Shri B. S. Sud, Stores Superintendent (Tech.), Geological Survey of India is appointed on promotion as Assistant Stores Officer in the same Department on pay according to rules in the scale of pay of Rs. 650—30—740—35—810— EB —35—880—40—1000— EB —40—1200/- in a temporary capacity with effect from the forenoon of the 26th June 1978, until further orders.

V. S. KRISHNASWAMY
Director General

INDIAN BUREAU OF MINES

Nagpur, the 22nd August 1978

No. A.19012(39)/71-Estt.A.—The President is pleased to approve the *Proforma Promotion,* under next below rules to Shri G. D. Kalra, Deputy Mineral Economist (Int.), Indian Bureau of Mines, who is on deputation to the post of Mineralogist in the National Council of Applied Economic Research, New Delhi, as Mineral Economist (Int.) in the Indian Bureau of Mines with effect from the 19th December 1977, until further orders.

The 28th August 1978

No. A-19011(58)/75-Estt.A.—The President is pleased to appoint Shri S. N. Chattopadhya to the post of Superintending Officer (Ore Dressing) in the Indian Bureau of Mines in an officiating capacity with effect from the afternoon of 20th March 1978 until further orders.

No. A-19011(80)/78-Estt.A.—The President is pleased to appoint Shri D. V. Kulkarni, permanent Deputy Ore Dressing Officer to the post of Superintending Officer (Ore Dressing) in the Indian Bureau of Mines in an officiating capacity with effect from the afternoon of 20th March 1978 until further orders.

No. A-19011(228)/78-Estt.A.—The President is pleased to appoint Shri P. R. Rawane to the post of Junior Mining Geologist in the Indian Bureau of Mines in an officiating capacity with effect from the forenoon of 24th July 1978, until further orders.

S. BALAGOPAL
Head of Office

Nagpur, the 28th August 1978

No. A.19011(14)/76-Estt.A.—The resignation tendered by Shri B. K. Antia, Regional Controller of Mines, Indian Bureau of Mines, having been accepted by the President, his name is struck off the strength of this Department with effect from 6th December 1969.

A. R. KASHAV
Administrative Officer,
for Controller

SURVEY OF INDIA

Dehradun the 17th August 1978

No. C-5403/707—The undermentioned officers are appointed to officiate as Officer Surveyor (Group 'B') post a Survey of India in the scale of pay of Rs. 650-30-740-35-810-E.B.-35-880-40-1000-EB-40-1200 with effect from the dates shown against each, purely on *ad-hoc Provisional basis* :—

Sl. No.	Name and Designation	Unit/Office	With effect from
1.	Shri Shashindra Kumar, Surveyor, Sel. Gde.	No. 25 Party (NWC), Mussoorrie.	31st May, 1978.
2.	Shri Khushi Ram Surveyor, Sel. Gde.	No. 44 Party (CC), Indore.	26th June, 1978.
3.	Shri Nirmal Singh Surveyor, Sel. Gde.	No. 79 (Photo) Party, (NWC), Ddehra Dun.	28th Feb., 1978.
4.	Shri Tilak Raj Surveyor Sel. Gde.	No. 79 (Photo) Party, (NWC), Dehra Dun.	8th March, 1978.
5.	Dhri N. Srinivasan Surveyor Sel. Gde.	R & D., Hyderabad.	25th March, 1978.
6.	Shri D. K. Lal Surveyor Sel. Gde.	No. 55 Party (NWC), Chandigarh.	6th March, 1978.
7.	Shri Khusal Mani Surveyor Assistant, Sel. Gde.	No. 42 Party (NWC), Ambala.	28th Feb., 1978.
8.	Shri J. N. Aneja Surveyor Sel. Gde.	No. 79 (Photo) Party, (NWC), Dehra Dun.	28th Feb., 1978.
9.	Shri R. K. Thakur Surveyor Sel. Gde.	No. 56 Party, (NWC), Chandigarh.	28th Feb., 1978.
10.	Shri N. C. Balhar Surveyor Sel. Gde.	No 52 Party (SCC), Hyderabad.	31st March, 1978.
11.	Shri R. P. Hira Surveyor Sel. Gde.	No. 57 Party (NWC), Chandigarh.	9th March, 1978.
12.	Shri Karta Ram Surveyor Sel. Gde.	No. 79 (Photo) Party, (NWC), Dehra Dun.	28th Feb., 1978.
13.	Shri P. N. Kaul Geodetic Computer, Ord. Gde.	No. 68 (Tidal) Party, (G & RB), Dehra Dun.	12th May, 1978.

K. L. KHOSLA
MAJOR GENERAL
SURVEYOR GENERAL OF INDIA

DIRECTORATE GENERAL : ALL INDIA RADIO

(CIVIL CONSTRUCTION WING)

New Delhi, the 23rd August 1978

No. A-19012/3/74-CW.I.—On attaining the age of superannuation Shri Kahan Lal, Assistant Engineer (Civil), Central Public Works Department, on deputation as Assistant Surveyor of Works (Civil) in the Civil Construction Wing of the Directorate General, All India Radio New Delhi, retired from Government service with effect from the afternoon of July 31, 1978.

S. RAMASWAMY
Engineer Officer to Addl. CE(C)
for Director General

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

PUBLICATION DIVISION

New Delhi, the 5th July 1978

No. A-12026/6/78-Admn.I.—Director, Publication Division is pleased to appoint Shri G. D. Madan, a permanent Senior Accountant to officiate as Accounts Officer on *ad hoc* basis in this Division *vice* Shri K. C. Singhal, Accounts Officer, granted leave for a period of 40 days w.e.f. 3rd July 1978 to 11th August 1978.

This *ad hoc* appointment will not bestow on Shri Madan a claim for regular appointment in the grade of Accounts Officer. This service will also not count for the purpose of seniority in the grade.

The 26th August 1978

No. A-12025/6/77-Admn. I.—The Director, Publication Division, New Delhi is pleased to appoint, Shri Sagar Chand Jain as Assistant Business Manager on regular basis with effect from 18th July 1978 (FN) until further orders.

INDRAJ SINGH
Dy. Director (Admn.)
for Director

FILMS DIVISION

Bombay-26, the 21st August 1978

CORRIGENDUM

No. 6/85/54-Est.I.—The word 'Salesman' appearing in second line of Notification No. 6/85/54-Est.I, dated the 4th August 1978 may please be substituted by 'Senior Booker'.

The 22nd August 1978

No. 40/PF/II/48-Est.I.—On expiry of the leave granted to Shri M. K. Jain, Assistant Administrative Officer, Films Division, Bombay, Shri V. R. Peswani, Officiating Assistant Administrative Officer reverted to his substantive post of Superintendent in the same office with effect from the afternoon of 11th August 1978.

M. CHANDRAN NAIR
Administrative Officer
for Chief Producer

DIRECTORATE GENERAL OF HEALTH SERVICES

New Delhi, the 18th August 1978

No. A.19020/57/77-Admn.I.—On return from foreign assignment with the Government of Iraq, Dr. N. C. Sangal was posted to his substantive post of Dental Surgeon, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital & Nursing Home, New Delhi on the forenoon of 31st May 1978. He was permitted to proceed on leave with immediate effect on the same day.

On the expiry of leave, Dr. N. C. Sangal assumed charge of the post of Dental Surgeon, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital & Nursing Home on the forenoon of the 28th June 1978.

The 22nd August 1978

No. A. 32014/2/78(JIP)/Admn.I.—The Director General of Health Services is pleased to appoint Shri L. Navaneethakrishnan to the post of Assistant Accounts Officer at the Jawaharlal Institute of Post-graduate Medical Education & Research, Pondicherry, from the forenoon of 26th April 1978, on a purely *ad-hoc* basis and until further orders.

The 24th August 1978

No. 17-35/71-Admn.I.—Consequent on his appointment as Food & Drugs Controller in the Directorate of Medical, Health & Family Welfare, Uttar Pradesh, Dr. S. C. Srivastava relinquished charge of the post of Biochemist, Directorate General of Health Services, New Delhi on the afternoon of 8th August, 1978.

No. A.12026/16/78(HQ)Admn.I.—The President is pleased to appoint Shri N. G. Srivastava, Assistant Editor (Hindi & English), Central Health Education Bureau, Directorate General of Health Services to the post of Editor in the same Bureau on an *ad hoc* basis w.e.f. 10th July 1978 (FN) to 8th September 1978 *vice* Shri T. K. Parthasarthy on leave.

2. Consequent on his appointment to the post of Editor,

Shri N. G. Srivastava relinquished charge of the post of Assistant Editor (Hindi & English), Central Health Education Bureau, Directorate General of Health Services in the forenoon of 10th July 1978.

S. L. KUTHIALA
Dy. Director Admn (O&M)

New Delhi, the 23rd August 1978

No. A-22012/1/78-SI.—Consequent on his transfer from the Directorate General of Health Services, Shri D. S. Desikan, assumed charge of the post of Deputy Assistant Director General (Medical Stores), Govt. Medical Stores Depot, Madras, on the forenoon of the 29th June 1978.

2. Consequent on his transfer to the Directorate General of Health Services, Shri Y. K. Aggarwal relinquished charge of the post of Deputy Assistant Director General (Medical Stores) Govt. Medical Stores Depot Gauhati on the forenoon of 12th June 1978.

SANGAT SINGH
Dy. Director Admn. (Stores)

MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION

(DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT)

DIRECTORATE OF MARKETING & INSPECTION

Faridabad, the 23rd August 1978

No. A-19023/21/78-A. III.—Shri J. N. Rao, Marketing Nagpur, died on 10th August 1978.
Officer in the Directorate of Marketing and Inspection at

The 24th August 1978

No A.19025/10/78-A.III.—The short term appointments of the following officers to the posts of Assistant Marketing Officer (Group I) have been extended upto 31st October 1978, or until regular arrangements are made, whichever is earlier :—

1. Shri S. P. axena.
2. Shri R. C. Singhal.
3. Shri N. G. Shukla.
4. Shri H. N. Shukla.

B. L. MANIHAR
Director of Admn.
for Agricultural Marketing Adviser

BHABHA ATOMIC RESEARH CENTRE

(PERSONNEL DIVISION)

Bombay,-400085, the 26th July, 1978

Ref. 5/1/78-Est. II/2726—The Controller, Bhabha Atomic Research Centre appions the undermentioned officials to officiate on an ad-hoc basis as Administrative Officer-II/Asstt. Personnel Officer for the period shown against their names:

S. No.	Name & Designation	Appointed to officiate as	Perior From	To
1.	Shri M. S. Gogia, Asstt. Personnel Officer	Administrative Officer II	24-4-78 (FN)	9-6-78 (AN)
2.	Shri B. K. Swami, Asstt. Personnel Officer	Administrative Officer II	5-6-78 (FN)	21-7-78 (AN)
3.	Shri P. B. Karandikar, Assistant	Asstt. Personnel Officer	24-4-78 (FN)	9-6-78 (AN)
4.	Shri K. R. C. Pillai, Assistant	Asstt. Personnel Officer	5-6-78 (FN)	21-7-78 (AN)

Bombay-400001, the 21st August 1978

No. K/302/Accts/Estt.II/2955.—On his attaining the age of superannuation, Shri D. V. Kamat, a permanent Accountant and officiating Accounts Officer II retired from Government service on July 31, 1978 (AN).

The 1st August, 1978

Ref : 5/1/78-Estt II/2817—The Controller, Bhabha Atomic Research Centre appoints the undermentioned officials to officiate on an ad-hoc basis as Assistant Accounts Officer for the period shown against their names :

Sl. No.	Name & Designation	Appointed to officiate as	Period From	To
1.	Smt. H. H. Kapadia, Asstt. Accountant	Asstt. Accounts Officer	1-5-78 (FN)	30-6-78 (AN)
2.	Shri T. K. Ramamoorthy	Asstt. Accounts Officer	8-5-78 (FN)	17-6-78 (A6)

the 5th August, 1978

Ref : 5/1/78-Estt. II/2850:—The Controller, Bahabha Atomic Research Centre appoints the undermentioned officials to officiate on an ad-hoc basis as Administrative Officer-II/Assistant Personnel Officer for the period shown against their names :—

Sl. No.	Name & Designation	Appointted to officiate as	Period From	Period To
1.	S. K. Kapur Asstt. Personnel Officer.	Administrative Officer-II	14-6-78 (FN)	15-7-78 (AN)
2.	Shri P. B. Karandikar	Asstt. Personnel Officer	14-6-78 (FN)	15-7-78 (AN)

P. S. VENKATASUBRAMANIAN,
Dy. Establishment Officer.

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

POWER PROJECTS ENGINEERING DIVISION

Bombay-5, the 31st July 1978

No. PPED/3(262)/76-Admn.9420.—Director, Power Projects Engineering Division, Bombay hereby appoints Shri H. H. Shah, a permanent Upper Division Clerk and officiating Selection Grade Clerk of this Division, as Asstt. Personnel Officer in the same Division in a temporary capacity with effect from the forenoon of July 17, 1978 to the afternoon of August 29, 1978 *vice* Shri T. S. Aswal, Assistant Personnel Officer deputed for training.

B. V. THATTE
Administrative Officer

NARORA ATOMIC POWER PROJECT

Narora, the 2nd August 1978

No. NAPP/Adm/4(2)/78/S/7971.—Chief Project Engineer, Narora Atomic Power Project has approved the appointment of Shri M. A. Rajjan, a permanent U.D.C. in PPED pool and officiating Selection Grade Clerk in this Project as Asstt. Personnel Officer in the scale of pay of Rs. 650—30—740—35—880—EB—40—960 with effect from the forenoon of May 24, 1978 to the afternoon of July 17, 1978 in the same Project in a temporary capacity on an *ad hoc* basis *vice* Shri P. Venugopalan, Asstt. Personnel Officer promoted and appointed on an *ad hoc* basis as Administrative Officer II for the said period in this Project.

S. KRISHNAN
Administrative Officer

DIRECTORATE OF PURCHASE AND STORES

Bombay-400001, the 21st August 1978

No. DPS/2/1(5)/77-Adm./21708.—Director, Purchase and Stores, Department of Atomic Energy appoints Shri S. R. Vaidya, Storekeeper to officiate as Assistant Stores Officer in the scale of pay of Rs. 650—30—740—35—810—EB—35—880—40—1000—EB—40—1200 in the same Directorate with effect from the forenoon of 12th May 1978 to the afternoon of 17th June 1978 *vice* Shri M. K. John, Assistant Stores Officer granted leave.

B. G. KULKARNI
Assistant Personnel Officer

NUCLEAR FUEL COMPLEX

Hyderabad-500762, the 20th August 1978

Ref. PAR/0705/1644.—The Chief Executive, Nuclear Fuel Complex, appoints Shri T. Laxminarasaiah, Assistant Accountant, to officiate as Assistant Accounts Officer, on *ad hoc* basis in the Nuclear Fuel Complex, Hyderabad, for the period from 15th July 1978 to 13th August 1978.

U. VASUDEVA RAO
Administrative Officer

HEAVY WATER PROJECTS

Bombay-400008, the 28th August 1978

Ref. HWPs/Estt/1/N-22/3819.—Officer-on-Special Duty, Heavy Water Projects, appoints Shri Vasudevan Gopalakrishnan Nair, a semi-permanent Assistant Security Officer of Heavy Water Project (Tuticorin) to officiate as Security Officer in the same project in a temporary capacity w.e.f. 2nd May 1978 (FN) to 3rd June 1978 (AN) *vice* Shri H. B. Prince, Security Officer, granted leave.

K. SANKARANARAYANAN
Senior Administrative Officer

TARAPUR ATOMIC POWER STATION

TAPP(Thana-401504), the 8th August 1978

ORDER

TAPS/ADM/O&M/59(45)/78.—WHEREAS Shri I. H. Shaikh, Tradesman A of this Power Station has been remaining unauthorisedly absent from duties since 23rd December 1977;

WHEREAS disciplinary proceedings were instituted against Shri Shaikh for the above misconduct and accordingly a charge sheet was sent both to his local residential address and home town address;

WHEREAS both the communications were returned undelivered since Shri Shaikh was not available in the above addresses;

WHEREAS a notice was published in 'Gujarat Mitra' Gujarat and 'Loksatta', Maharashtra informing Shri Shaik of the disciplinary action being taken against him ank asking him to present himself personally before the undersigned within 30 days of publication of the notice,

WHEREAS Shri Shaikh did not present himself before the undersigned after the expiry of 30 days from the above publication of the notice;

AND WHEREAS in view of the above, the undersigned considers that it is not reasonably practicable to conduct an inquiry;

NOW THEREFORE, the undersigned hereby orders that Shri I. H. Shaikh be removed from service with effect from the day this order is published.

K. P. RAO
Chief Superintendent

REACTOR RESEARCH CENTRE

Kalpakkam, the 29th July 1978

No. A.32023/177/R-4305.—The Project Director, Reactor Research Centre hereby appoints Shri M. Krishnamoorthy, a permanent Stenographer of the Bhabha Atomic Research Centre and officiating Selection Grade Stenographer of this Centre in an officiating capacity on an *ad-hoc* basis as Assistant Administrative Officer for the period from 17th July 1978 to 30th August 1978.

R. H. SHANMUKHAM
Administrative Officer
for Project Director

DEPARTMENT OF SPACE

CIVIL ENGINEERING DIVISION

Bangalore-560025, the 28th July 1978

CORRIGENDUM

No. 10/5(28)/76-CED(H).—The Civil Engineering Division, Department of Space Notification No. 10/5(28)/76-CED(H) dated December 6, 1976, shall stand corrected as follows:—

1. The names of S/Shri H. Rajasimha and P. Raja Reddy at Sl. Nos. 1 & 4 shall be deleted and Sl. Nos. 2 & 3 shall be renumbered respectively as Sl. Nos. 1 & 2.

2. The following paragraph shall be added to the said Notification:—

"2. The Chief Engineer, Civil Engineering Division Department of Space Bangalore is also pleased to appoint the undermentioned officers in the Civil Engineering Division of the Department of Space as Engineer SB in the same Division in an officiating capacity with effect from the date indicated against each and until further orders:—

Sl. No.	Name	Post held at present	Date of appointment as Engr S.B.
1.	Shri H. Rajasimha	Supervisor (Tech. Asst. 'C')	1-7-1976
2.	Shri P. Raja Reddy	Supervisor (Tech. Asst. 'C')	1-7-1976

P. I. U. NAMBIAR,
Administrative Officer II
for Chief Engineer

MINISTRY OF TOURISM & CIVIL AVIATION

INDIA METEOROLOGICAL DEPARTMENT

New Delhi-3, the 26th August 1978

No. E(I) 00920.—Resignation of Dr. K. C. Garg, temporary Assistant Meteorologist, Office of the Director Regional Meteorological Centre, Bombay, India Meteorological Department, has been accepted with effect from the forenoon of 1st August 1978.

No. E(I) 07062.—The resignation of Shri J. L. Chugh, officiating Assistant Meteorologist, in the Headquarters Office of the Director General of Observatories, New Delhi, India Meteorological Department, has been accepted with effect from the forenoon of 16th March 1978.

G. R. GUPTA
Meteorologist
for Director General of Observatories

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF CIVIL AVIATION

New Delhi, the 23rd August 1978

No. A. 32013/6/76-ES—In continuation of this office Notification No. A. 32013/6//76-ES dated the 3rd March, 1978, the President is pleased to extend the ad-hoc appointments of the undermentioned officers to the grade of Aircraft Inspector upto the dates indicated against each or till regular appointments to the grade are made whichever is earlier:—

1.	Shri Anupam Bagchi	31-12-78
2.	Shri S. Majumdar	31-12-78
3.	Shri H. M. Phull	31-12-78
4.	Shri L. A. Mahalingam	31-12-78
5.	Shri A. K. Roy	31-12-78
6.	Shri S. P. Singh	31-12-78
7.	Shri D. P. Ghose	31-12-78
8.	Shri L. M. Mathur	30-9-78
9.	Shri Hardhar Prasad	30-9-78
10.	Shri R. N. Sastry	30-9-78

The 26th August 1978

No. A.32013/8/77-EC.—In continuation of this Department Notification No. A.32013/8/77-EC, dated 4th May 1978, the President is pleased to extend the period of *ad-hoc* promotion of the following Deputy Directors/Controllers of Communication in the Civil Aviation Department for the further period upto 31st December 1978 or till regular appointments to the grade are made, whichever is earlier :—

S/Shri

1. M. S. Krishnan,
2. S. K. Dass.
3. A. N. Nath.
4. V. K. Kalra.
5. V. S. Grewal.

S. L. KHANDPUR
Assistant Director of Admn.

OVERSEAS COMMUNICATIONS SERVICE

Bombay, the 26th August 1978

No. 1/407/78-EST.—The Director General, Overseas Communications Service, hereby appoints Shri A. K. Saha, Senior Foreman, Calcutta Branch as Chief Mechanician in an Officiating Capacity in the same Branch, for the period from 10-4-78 to 21-7-78 (both days inclusive), against a short-term vacancy.

H. L. MALHOTRA,
Dy Director (Admn.)
for Director General.

Bombay, the 26th August 1978

No. 1/458/78-EST.—The Director General, Overseas Communications Service, hereby appoints Shri V. Alagarsamy, as Assistant Engineer, in a temporary capacity in Switching Complex, Bombay, with effect from the forenoon of the 1st July, 1978, and until further orders.

P. K. G. NAYAR,
Director (Admn.)
for Director General.

VANA ANUSANDHAN SANSTHAN EVAM MAHAVIDYALAYA

Dehradun, the 24th August 1978

No. 16/296/77-Ests-I.—The President, Forest Research Institute and Colleges, Dehra Dun, is pleased to appoint Shri Tapas Chandra Maiti as Research Officer under the Vth Five Year Plan Scheme "Forest Soil Laboratories (Forest Soil-cum-Vegetation Survey)" at its regional Centre at Midnapur under the Forest Research Institute and Colleges, Dehra Dun with effect from the forenoon of 11th May, 1978, until further orders.

GURDIAL, MOHAN,
Kul Sachiv,
Vana Anusandhan Sansthan Evam Mahavidyalaya.

COLLECTORATE OF CENTRAL EXCISE AND CUSTOMS BOMBAY

Bombay-400020, the 22nd August 1978

F. No. II/3E(a)2/78—The following Gr. 'B' Officers (Supdts./Admn. Officers/A. C.A.Os.) in Bombay Central Excise Collectorate have retired on superannuation in the afternoon of the dates shown against their names:—

S. No.	Name & Designation	Date of Retirement
1	2	3
1.	Shri A. P. D'souza, A.O.	31-1-77
2.	Shri A.M. Gaitonde, Supdt.	31-1-77

1	2	3
3.	Shri R. R. Dandiwala, A.C.A.O.	28-2-77
4.	Shri D. L. Divekar, Supdt.	28-2-77
5.	Shri R. D. Narvekar, Supdt	31-5-77
6.	Shri G. S. Barve, Supdt.	30-6-77
7.	Shri V. G. Karnik A.C.A.O.	30-6-77
8.	Shri K. M. Talati, Supdt.	31-7-77
9.	Shri R. J. Fernandes, Supdt.	31-8-77
10.	Shri A. V. Kshirsagar, Supdt.	31-8-77
11.	Shri S. F. X. D'souza, A.C.A.O.	30-9-77
12.	Shri V. S. Bhadgaonkar, Supdt	31-10-77
13.	Shri A. D. Shukla, Supdt	31-10-77
14.	Shri B. S. Pradhan, Supdt.	30-11-77
15.	Shri J. N. Kendal, Supdt.	30-11-77
16.	Shri V. S. Dole, Supdt.	31-12-77
17.	Shri V. S. Ajinkya, Supdt.	31-12-77
18.	Shri B. M. Shelar, Supdt.	31-12-77
19.	Shri J. R. V. Rodriques Supdt.	31-12-77
20.	Shri A. M. H. Fasante, Supdt.	28-2-78
21.	Shri M. S. Senjit, Supdt.	31-3-78
22.	Shri N. D. Hire, Supdt.	30-4-78
23.	Shri R. R. Raykar, Supdt.	30-4-78
24.	Shri B. D. Patel, Supdt.	30-4-78
25.	Shri N. G. Nabar Supdt.	30-6-78
26.	Shri K. H. Almoula, Supdt.	30-6-78
27.	Shri G. I. Basantani, Supdt.	30-6-78

F. No. II/3E(a)2/78:—The following Superintendents of Central Excise Gr. 'B' in Bombay Central Excise Collectorate have expired on the dates shown against their names :—

S. No.	Name	Date of expired
1.	Shri G. R. Ahuja, Supdt.	31-5-1977
2.	Shri B. T. Rawool, Supdt.	14-7-1977
3.	Shri D. O. Fisher, Supdt.	5-8-1977

F. No. II/3E(a)2/78—The following Selection Grade Inspectors have on promotion assumed charge as officiating Superintendents of Central Excise, Group 'B' in Bombay Central Excise Collectorate with effect from the dates shown against their names.

S. No.	Name	Date of assumption of charge.	
1.	Shri V. G. Kumar	1-12-77	F.N.
2.	Shri A. H. M. Kazim	31-12-77	A.N.
3.	Shri G. W. Joshi	31-12-77	A.N.
4.	Shri S. V. Pajankar	31-12-77	A.N.
5.	Shri V. A. Venkatachalan	23-1-78	F.N.
6.	Shri A. K. Rajhans	31-12-77	A.N.
7.	Shri G. D. Adhlekar	Do.	
8.	Shri S. E. Cooper	Do.	
9.	Shri T. G. Nagpal	Do.	
10.	Shri A. U. Gadave	Do.	
11.	Shri B. H. Joshi	Do.	
12.	Shri Z. D. Pirel	Do.	
13.	Shri S. N. Sejpal	Do.	

F. No II/3E(a)-78—The following Office Superintendents have on promotion assumed charge as Administrative Officer Assistant Chief Accounts Officer of Central Excise Gr 'B' in Bombay Central Excise Collectorate with effect from the dates shown against their names :—

S. No.	Name	Date of assumption of charge	
1.	Shri V. K. Vaidya, A.O.	10-2-1977	F.N.
2.	Shri M. R. Kirtikar, A.O.	9-2-1977	F.N.
3.	Shri V. V. Gogate A.O.	28-2-1977	F.N.
4.	Shri L. H. Dharap A.C.A.O.	7-2-1977	F.N.
5.	Shri R. G. Memane, A.O.	25-2-1977	F.N.
6.	Shri M. K. Pagare, A.O.	9-2-1977	F.N.
7.	Shri S. H. Malwankar, A.C.A.O	1-3-1977	F.N.
8.	Shri S. F. X. D'souza, A.C.A.O.	16-5-1977	F.N.
9.	Shri G. M. Pinjani, A.O.	4-2-1978	A.N.
10.	Kum. V. V. Joglekar, A.C.A.O.	17-1-1978	F.N.
11.	Shri A. H. I. Shaikh, A.C.A.O.	18-1-1978	F.N.
12.	Shri D. B. Joshi, A.C.A.O.	18-1-1978	F.N.
13.	Shri G. K. Tambe, A.O.	18-1-1978	F.N.

P. R. SRIKANTIA,
Collector of Central Excise,
Bombay.

Kanpur, the 26th April 1978

No. 66. 12/78.—Consequent upon his promotion to the grade of Superintendent, Central Excise, Group 'B' vide Collector, Central Excise, Kanpur's Estt. Order No. I/A/4/1978 dated 9-1-78 issued under endt. C. No. II-22-Estt/78/44 dated 9-1-78 in the pay scale of Rs. 650—30—740—35—810—EB—35—880—40—1000—EB—40—1200, Shri P. N. Arya, Inspector (SG) assumed the charge of Superintendent, Group 'B' Central Excise, MOR Mathura in the forenoon of 17-1-78.

No. 16/78.—Consequent upon his promotion to the grade of Superintendent, Central Excise, Group 'B' vide Collector, Central Excise, Kanpur's Estt. Order No. I/A/4/1978 dated 9-1-78 issued under endt. C. No. II-22/Estt/78/44 dated 9-1-78 in the pay scale of Rs. 650—30—740—35—810—EB—35—880—40—1000—EB—40—1200, Shri P. S. Vyas, Inspector (SG) assumed the charge of Superintendent Group 'B' Central Excise, MOR-Hatras in the forenoon of 16-1-1978.

No. 14/78.—Consequent upon his promotion to the grade of Superintendent, Central Excise, Group 'B' vide Collector, Central Excise, Kanpur's Estt. Order No. I/A/4/1978 dated 9-1-78 issued under endt. C. No. II-22-Estt/78/44 dated 9-1-78 in the pay scale of Rs. 650—30—740—35—810—EB—35—880—40—1000—EB—40—1200, Shri H. B. Sharma, Inspector (SG) assumed the charge of Superintendent, Group 'B' Central Excise, Hdqrs. Office Kanpur, in the forenoon of 16-1-78.

No. 18/78.—Consequent upon his promotion to the grade of Superintendent, Central Excise, Group 'B' vide Collector, Central Excise, Kanpur's Estt. Order No. I/A/4/1978 9-1-78 issued under endt. No. II-22-Estt/44 dated 9-1-78 in the pay scale of Rs. 650—30—740—35—810—EB—35—880—40—1000—EB—40—1200 of Shri H. S. Mishra, Inspector (SG) assumed the charge of Superintendent, Group 'B' Hdqrs. Office Kanpur in the forenoon of 16-1-78.

No. 23/78.—Consequent upon his promotion to the grade of Superintendent, Central Excise, Group 'B' vide Collector, Central Excise, Allahabad's/Kanpur Estt. order No. 5/78 dated 10-1-78 issued under endt. C. No. II(39)28-Estt/487 dated 10-1-78 and Kanpur's Estt. order No. I/A/59/1978 dated 20-9-78 issued under endt. C. No. II-22-Estt/78/9655 dated 21-2-78 in the pay scale of Rs. 650—30—740—35—810—EB—35—880—40—1000—EB—40—1200 Shri Virendra

Swaroop, Inspector (SG) assumed the charge of Superintendent, Central Excise, Group 'B' MOR-III Kanpur-I in the forenoon of 25-2-78.

K. PRAKASH ANAND,
Collector,

Patna, the 28th August, 1978

C. No. II/(7)2-ET/78/8453—In pursuance of this office Establishment Order No. 204/78 dated 15-7-78, the following office, Superintendents on promotion to officiate as Administrative Officer/Assistant Chief Accounts Officer, Central Excise & Customs Group "B" have assumed charge as Administrative Officer/Assistant Chief Accounts Officer in the pay scale of Rs. 650-30-740-35-810-E. B.-35-880-40-1000-E. B.-40-1200/- plus usual allowances as admissible under rules at the places and with effect from the date and hour as indiacated against each. The appointment of Sri Yogendra Prasad to Group "B" post made purely on an ad-hoc basis.

Name of the Officer	Place of posting	Date of assumption of charge
1. Shri Gauri Shanker Singh ·	Asstt. Chief Accounts officer (A/c.). Central Excise. Patna.	15-7-78 (A.N.)
2. Sri S. N. Banarjee · ·	Administrative Officer Central Excise, Dhanbad.	29-7-78 (F.N.)
3. Sri Yogendra Pd. · ·	Asstt. Chief Accounts Officer (Revenue Audit) Central Excise, Patna.	15-7-78 (A.N.)

A. M. SINHA
Collector of Central Excise
Patna

MINISTRY OF SHIPPING & TRANSPORT
DIRECTORATE GENERAL OF SHIPPING

Bombay-400028, the 25th August 1978

No. 11-TR(2)/78.—The President is pleased to appoint Shri Ziauddin, as Lecturer in Applied Sciences, in the Directorate of Marine Engineering Training, Calcutta with effect from 5th July 1978 (forenoon), until further orders.

K. S. SIDHU,
Dy. Director General of Shipping.

CENTRAL WATER COMMISSION

New Delhi, the 18th August 1978

No. A-32014/1/77-Adm. V(Vol. II).—On the recommendations of the Departmental Promotion Committee (Group-B), Chairman, Central Water Commission hereby appoints Shri A. J. Thomas, Design Assistant, who satisfy all the conditions of the "Next Below Rule", while on deputation to ex-cadre post in the National Building Construction Corporation Limited, to the grade of Extra Assistant Director/Assistant Engineer in the pay scale of Rs. 650—30—740—35—810—EB—35—880—40—1000—EB—40—1200, in absentia, in an officiating capacity with effect from the forenoon of the 3rd June, 1977, until further orders.

2. Shri A. J. Thomas will be on probation for a period of two years with effect from 6th March, 1978 i.e. the date on which he assumed charge of the post, on repatriation from the National Building Construction Corporation Limited.

No. A-19012/705/78-Adm. V—Chairman Central Water Commission hereby appoints the following officers to officiate in the grade of Extra Assistant Director/Assistant Engineer on purely temporary and ad-hoc basis in the scale of Rs. 650-30-740-35-810-E.B.-35-880-40-1000-E.B.-40-1200 for a period of six months with effect from the dates indicated against each officer.

They assumed charge of the posts in offices mentioned against their names:—

S. No.	Name of Officer with designation	Date of promotion	Name of office where posted
1.	Shri B. R. Reddy · Supervisor	22-6-78 (FN)	Tipaimukh Investigation Divn. No. II Imphal.
2.	Shri V. K Kunhiraman Supervisor	22-6-78 (FN)	Miraj Gauging Sub-Division Miraj.
3.	Shri E Kurunakaran · Supervisor.	29-6-78 (AN)	C.F.F. Division Hyderabad.

J. K. SAHA,
Under Secy.

CENTRAL PUBLIC WORKS DEPARTMENT
DIRECTORATE GENERAL OF WORKS

New Delhi, the 23rd August 1978

No. 33/12/73-EC-IX(Pt. VI).—The President is pleased to appoint Shri A. K. Kansal, a nominee of the UPSC against the temporary post of Architect (G.C.S. 'A') in the C.P.W.D. on a pay of Rs. 1,100/- p.m. in the scale of Rs. 1100—50—1600 plus usual allowances with effect from 24-7-78 (FN) on the usual terms and conditions.

2. Shri Kansal is placed on probation for a period of two years with effect from 24-7-78.

3. Shri Kansal is posted to SA (Consultancy) Unit under Chief Engineer (CDO), CPWD, New Delhi with effect from 14-8-78 (AN) vice Shri A. K. Pathak, Architect, promoted as Senior Architect.

KRISHNA KANT,
Dy. Director of Administration.

NORTHERN RAILWAY

New Delhi, the 5th July 1978

No. 27.—Shri J. K. Mathur, Officiating Chief Bridge Engineer of this Railway retired finally from Railway Service with effect from 30-6-1978 AN.

R. SRINIVASAN,
General Manager.

NORTHEAST FRONTIER RAILWAY

Pandu, the 21st August 1978

No. E/55/III/91Pt.III(O).—Shri A. K. Biswas a Junior Scale Officer of the T(T) & C. Deptt. now officiating as Dy. COPS (Survey)/E. Railway in the JA grade is confirmed in the Senior Scale with effect from 10-3-76.

M. R. N. MOORTHY,
General Manager.

MINISTRY OF SUPPLY & REHABILITATION
(DEPARTMENT OF SUPPLY)
NATIONAL TEST HOUSE, ALIPUR

Calcutta-27, the 24th August 1978

No. G-318/A.—The Director, National Test House, Calcutta has been pleased to appoint Shri P. K. Chakraborty to officiate as Assistant Director (Admn.) Grade II in the National Test House, Bombay Branch, Bombay with effect from the forenoon of 20th March, 1978, until further orders.

A. K. MAJUMDAR,
Deputy Director (Admn.),

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS
(DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS)
COMPANY LAW BOARD
OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES

In the matter of Companies Act, 1956, and of Rai Sahab S. Arora and Company Private Limited

Patna, the 21st August 1978

No. (268)3/78-79/560/3128.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of sec. 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of the Rai Sahab S. Arora and Company Private Limited, unless cause is shown to the contrary will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

S. BANERJEE,
Registrar of Companies,
Bihar

In the matter of Companies Act, 1956, and of Ludhiana Highways Private Limited

Jullundur City, the 24th August 1978

No. G/Stat/560/5238.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of the Ludhina Highways Private Limited, unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

S. P. TAYAL,
Registrar of Companies,
Punjab, H.P. & Chandigarh.

In the matter of the Indian Companies Act, 1913 *and of*

M/s Shri Sidhpur Textiles Private Ltd.
(In Members Voluntary Liquidation)

Ahmedabad, the 28th August 1978

No. 355/Liquidation.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 247 of the Indian Companies Act, 1913, that the name of M/s. Shri Sidhpur Textiles Private Limited has this day been struck off the Register and the said company is dissolved.

J. G. GATHA,
Registrar of Companies
Gujarat

INCOME-TAX APPELLATE TRIBUNAL

Bombay-400020, the 22nd August 1978

No. F.48-Ad(AT)/78-P.II.—Shri R. K. Ghosh, officiating Assistant Superintendent, Income-tax Appellate Tribunal, Bombay Benches, Bombay is appointed to officiate as Assistant Registrar, Income-tax Appellate Tribunal, Jaipur Bench, Jaipur on *ad-hoc* basis in a temporary capacity in the time-scale of Rs. 650—30—740—35—810—EB—35— 880— 40—1000—EB—40—1200/- with effect from the forenoon of 16th August, 1978 for a period of 3 months or till the post is filled on regular basis by appointment of a nominee of the U.P.S.C., whichever is earlier.

The above appointment is *ad-hoc* and will not bestow upon Shri R. K. Ghosh, a claim for regular appointment in the grade and the service rendered by him on *ad-hoc* basis would not count for the purpose of seniority in that grade or for eligibility for promotion to the next higher grade.

D. RANGASWAMY,
President.

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF INCOME-TAX
BIHAR I & II

Patna, the 17th August 1978

NOTICE

No. GC-3/XV-1/77-78/31869—Whereas the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest to publish the names and other particulars in respect of persons in default of tax exceeding Rs. One lakh I hereby notify u/s 287 of the I. T. Act 1961 for publication the names and other particulars of the assessees in Bihar-Charges I & II from whom tax has been due for a period of two years or more at the end of the financial year 1976-77.

S. No	Name & Address	Amount
1.	M/s Probhu Dayal Mohan Lal Krikend Dhanbad.	Rs. 1,15,000/-
2.	Sri Kripa Shankar Jaiswal Lalpur Ranchi	Rs. 1,79,925/- (Rs. 1,30,000/- as on date of publication).
3.	Girija Shankar Jaiswal Lalipuri Ranchi.	Rs. 1,52,196/-
4.	Deo Narain Jaiswal Lalpuri Ranchi.	Rs. 2,48,631/- (Rs. 2,43,000/- as on date of publication.
5.	M/s. Jagannath Nandlal Ranchi.	Rs. 1,06,159/-

No. GC-3/XV-1/77-78/31873.—Whereas the Central Vovernment is of the opinion that it is necessary and expedient in Public interest to publish the names and other particulars in respect of all Individuals, Hindu undivided families assessed on an Income of over Rs. 2 Lakhs and an Firms, Association of Persons and Companies assessed on an income of over Rs. 10 lakhs, I hereby notify under section 287 of the I.T. Act 1961 the names and other particulars of the following assessees of Bihar Charge-I & II who have been assessed during the financial year, 1976-77. Arrangement of entries :— (i) Indicates status-I for Individual—'H' for Hindu Undivided family—F for Firm—'C' for company—(ii) indcates Assessment year (iii) Indicates Returned Income (iv) Indicates assessed income (v) Indicates Tax payable by the assessee and (vi) indicates Tax paid by the assessee.

(1) Shri Misri Lal Jain CLaibasa (i) I (ii) 1976-77 (iii) Rs. 1,44,74,480 (iv) Rs. 1,45,40,720 (v) Rs. 1,11,72,915 (vi) Rs. 1,11,72,915 (2) M/s. Yodogoda Steel Works Ltd.(Japan) Jamshedpur (i) C (ii) 1976-77 (iii) Rs. 25,37,840 (iv) Rs. 25,37,840 (v) Rs. 13,32,366 (vi) Rs. 13,32,366 (3) M/s. Ratna Zarda Supply Co., Muzaffarpur (i) F (ii) 1975-76 (iii) Rs. 23,87,600 (iv) 24,32,530 (v) Rs. 6,26,788 (vi) Rs. 6,26,788 (4) Rukmini Devi C/o M/s. Ratna Zarda Supply Co., Muzaffarpur (i) I (ii) 1975-76 (iii) 2,64,677 (iv) Rs. 2,69,640 (v) Rs. 1,84,226 (v) Rs. 1,84,226 (5) Awanti Lal C/o M/s. Ratna Zarda Supply Co., Muzaffarpur (i) I (ii) 1975-76 (iii) Rs. 2,96,430 (iv) Rs. 3,02,050 (v) Rs. 2,09,182 (vi) Rs. 2,09,182.

The 26th August 1978

No. GC-3/XV-1/77-78/31876.—Whereas the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient in the Public interest to publish the names and other prticulars of the assessees on whom a penalty of not less than Rs. 5000/- was imposed, I hereby notify u/s 287 of the I.T. Act, 1961 for publication the names and other particulars in respect of the assessees in Bihar Charge I and II on whom a penalty of net less than Rs. 5000/- was imposed during the Financial year 1976-77. Arrangement of entries (i) Indicates Status 'I' for individual H for HUF, F for firm ii) Indicates Assessment year (iii) indicates amount of penalty (1) Shri Teja Singh Ratu Road Ranchi (i) I (ii) 1972-73 (iii) Rs. 12,000/- (2) M/s. Gajanand Chotelal Ranchi (i) HUF (ii) 1972-73, (iii) Rs. 5335, (3) M/s. Laxmi Narain and Sons Lalpur (i) F, (ii) 1972-73, (iii) Rs. 5,655/-.

A. K. DAS GUPTA
Commissioner of Income-tax
Bihar-I, Patna

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, DHARWAR

Dharwar-4, the 21st July 1978

Notice No. 218/78-79/Acq.—D. C. RAJAGOPALAN, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Dharwar being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 20 situated at Gogola, Margao Town (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Margao under Document No. 11/77-78 on 3-1-1978 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s. AICON Constructions, Engineers and Builders, Velho Building, Panaji (Goa).

(Transferor(s))

(2) 1. Shri Bhupendra Jivanlal Kanji
2. Shri Kiran Jivanlal Kanji
H. No. 35, General Merchant Margoa (Goa).

(Transferee(s))

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons with in a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publications of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 20 situated at Gogola, Margoa. Property consists of 827 metres.

D. C. RAJAGOPALAN
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Dharwar-4.

Date : 21-7-1978
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-II, MADRAS-6

Madras-6, the 29th August 1978

Ref. No. File No. 5998.—Whereas, I, K. PONNAM, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
Plot No. 24, situated at
Chowdry Colony, Madras
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at S.R.O. T. Nagar, Madras (Doc No. 962/77) on
December 1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or.

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act. 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I, hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sri Koshy Varghese,
A-1, Sneh Millan 17th Road,
Khen, Bombay-400052.
(Transferor)

(2) Sri A. N. Gopalakrishnan,
485-A, T.H. Road,
Madras-21.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and building at Plot No. 24, Chowdry Colony, Dr. Hedge Road, R.S. No. 559/1. Doc. No. 962/77.

K. PONNAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Madras.

Date : 29th August 1978
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX

ACQUISITION RANGE-II, MADRAS-6

Madras-6, the 29th August 1978

Ref. No. F. No. 5980.—Whereas, I, K. PONNAN, being the Competent Authority under Secion 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 10-A Balakrishna Road, situated at Mylapore, Madras-4 (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at JSR-II M.S No.rth (Doc. No. 3630/77) on December, 1977 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of —

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been of which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri G. G. Rama Iyer,
10A, Balakrishna Road,
Mylapore, Madras-4.

(Transferor)

(2) Shri A. Mohamed Mohideen,
106, Thamby Chetty Street,
Madras-1.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and Building at 10A, Balakrishna Road, Mylapore, Madras-4. Document No. 3630/77—OS No. 2877 R.S. No. 1824/1.

K. PONNAN
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Madras.

Date : 29th August 1978
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II, MADRAS-6

Madras-6, the 29th August 1978

Ref. No. 5953.—Whereas, I, K. PONNAN, being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 1/21, South Canal Bank Road, situated at Madras-600028 (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at S.R.O. Mylapore on December 1977 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any money or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

13—246GI/78

(1) Smt. K. Padmavathi Ammal,
13, North Second Lane,
Mandaveli, Madras-28.

(Transferor

(2) Sri R. Abdul Majeed.
Power agent of
Hajee E. B. Abdul Khader,
Second Floor,
No. 12 (Old No. 32) Second Main Road,
C.I.T. Colony, Mylapore,
Madras-4.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and Building at No. 1/21, South Canal Bank Road, Mandaveli, Madras-28. Document No. 1062/77.

K. PONNAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Madras.

Date : 29th August 1978
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II, MADRAS-6

Madras-6, the 29th August 1978

Ref. No. File No. 5955.—Whereas, I, K. PONNAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
1, situated at Dr. C. P. Ramasamy Iyer Road, Alwarpet, Madras-18
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at S.R.O, Mylapore, Madras-4 on December 1977 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957):

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Usha Trust,
By Trustee Sri K. Ramakrishnan,
10, Kennedy I Street,
Mylapore, Madras-4.
(Transferor)

(2) Dynavision Limited,
1, Padmanabha Nagar,
Adayar, Madras-20.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA in the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and Buildings (Part) at premises No. 1, Dr. C. P. Ramasamy Iyer Road, Alwarpet, Madras-18. Doc. No. 1077/77.

K. PONNAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Madras

Date : 29th August 1978
Seal :

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX

ACQUISITION RANGE-II, MADRAS-6

Madras-6, the 29th August 1978

Ref No. File No. 5955.—Whereas, I, K. PONNAN, being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
1, situated at Dr. C. P. Ramasamy Iyer Road, Alwarpet, Madras-18
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at S.R.O. Mylapore, Madras-4 on December 1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Haree Trust,
Represented by the Trustee
Shri K. Ramakrishnan,
10, Kennedy I Street,
Mylapore, Madras-4.
(Transferee)

(2) Dynavision Limited,
1, Padmanabha Nagar,
Adayar, Madras-20.
(Transferee)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions' used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and Building (Part) No. 1, Dr. C. P. Ramasamy Iyer Road, Alwarpet, Madrsa-18, Doc. No. 1077/77.

K. PONNAN,
Competent Authority.
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range-II, Madras.

Date : 29th August 1978
Seal :

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II, MADRAS-6

Madras-6, the 29th August 1978

Ref. No. File No. 4553.—Whereas, I, K. PONNAN being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 6/64, Race Course Road, situated at Coimbatore (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at JSR-III, Coimbatore (Doc. No. 2544/77) on December 1977 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :

(1) 1. Smt. Pavalammal,
64, Race Course Road,
Coimbatore-18.
2. T. Jeyadev,
1st Cross Street, Indira Nagar,
Madras.
3. Smt. Vasantha Somasundaram,
33/10, Gajapathi Naidu Street,
Madras.
4. Sri T. Sathiadev,
No. 5, Third Main Road,
Kasthuribai Nagar, Madras.

(Transferor)

(2) 1. Sri M. B. Bojab,
2. Sri M. B. Subramani,
3. Sri M. B. Rajendran,
4. Minor M. B. Parthipan
5. Minor M. B. Suresh
Arayatti, Nilgiris District.

} Represented by M. M. Belli

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and building at D. No. 6/64, Rece Course Road, Coimbatore Annuparpalayam Village. T.S. No. old 1/606/1, New 1/936-C1 (Doc. No. 2544/77).

K. PONNAN
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Madras.

Date : 29th August 1978

Seal :

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II, MADRAS-6

Madras-6, the 29th August 1978

Ref. No. File No. 8083.—Whereas, I, K. PONNAN, being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
28, Mariamman Koil St., situated at Karaikal (Doc. No. 558/77)
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at SRO Karaikal on 15-12-1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transfer to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any mmoneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under Sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

(1) Smt. Jayalakshmi,
Wife of late M. Govindaraju Chettiar,
No. 2, Thattara Street,
Karaikal.

(Transferor)

(2) Sri Mohamed Sultan Hariff, and
Smt. H. E. Habhusa Ummal,
No. 22, Mustafa Kamal Street,
Karaikal.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and building at No. 28, Mariamman Koil Street, Karikal (Doc. No. 558/77).

K. PONNAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Madras.

Date : 29th August 1978
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX

ACQUISITION RANGE-II, MADRAS-6

Madras-6, the 29th August 1978

Ref. No. 5951.—Whereas, I, K. PONNAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax, Act 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
Plot No. 3362, situated at A. A. Nagar, Madras
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at S.R.O. Kodambakkam, Madras (Doc. No. 1832/77) on December, 1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the appearent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect or any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sri G. Ramachandran,
S-11, Second Avenue,
Sastri Nagar, Madras-20.

(Transferor)

(2) Mrs. Sugana Roy,
plot No. 3146, "U" Block,
2nd Street, Anna Nagar,
Madras-40.

(Transferee)

Objections, if any to the acqusition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and Buildings in Plot No. 3362, A. A. Nagar, Madras (Doc. No. 1832/77).

K. PONNAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Madras.

Date : 29th August 1978
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II, MADRAS-6

Madras-6, the 29th August 1978

Ref. No. File No. 4572.—Whereas, I, K. PONNAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act', have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
2/5 and 18, situated at Balaji Nagar,
(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Coimbatore (T.S. No. 10/159)
JSR-I, Coimbatore (Doc. No. 267(/77) on 19-12-1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpose of the Indian Income-tax Act 1922 (11 of 1922) of the said Act, or the Wealth- tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Sri G. R. Devaraj,
Plot No. 4688, Anna Nagar,
Madras-40.

(Transferor)

(2) M/s. Equipments India,
No. 459, Bharathiar Road,
P. N. Palayam, Coimbatore.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and building at Site Nos. 5 and 18, Balaji Nagar, Krishnarayapuram Village, Coimbatore.

T.S. No. 10/159/2. D. Nos. 2/5 and 18.

Doc. No. 2676/77.

K. PONNAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II, Madras.

Date : 29th August 1978

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I,

4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI-110001

New Delhi, the 23rd August 1978

Ref. No. IAC.Acq.I/SR.III/349/March.20/77-78/2378.—Whereas, I, J. S. GILL,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. S. 437, situated at Greater Kailash-II, New Delhi

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at New Delhi on 6-3-1978

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in persuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Virendra Sarup Saxena,
Shri Rajender Sarup Saxena
Sons of Shri Madan Mohan Lal,
C/o Shri B. S. Saxena,
NSC. I, Mathura Road,
New Delhi.

(Transferor)

(2) Shri Chand Narain S/o Shri Pushkar Nath,
C/o Shri J. N. Langar (Advocate)
2nd Bridge, Shallogar, Habbiskadal,
Srinagar, Kashmir.
Presently residing at
D-6, Gulmohar Park,
New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A free-hold plot of land bearing No. 437-S measuring 294 sq. yds., situated at Greater Kailash-II, New Delhi and bounded as under :

East : Road
West : Service Lane
North : House No. 435
South : House No. 439

J. S. GILL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Delhi/New Delhi.

Date : 23-8-1978

Seal .

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I,
4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI

New Delhi-110001, the 23rd August 1978

Ref. No. IAC.Acq.I/SR-III/259/Dec.58/77-78/2378.—Whereas, I, J. S. GILL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
S-355, situated at Greater Kailash-II, New Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at
New Delhi on 30-12-1975
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

14—246GI/78

(1) Shri Anil Khosla S/o Dewan Bal Krishan,
S Bedi 311 Silvery Vellery Drive,
N W Colgary, Alberts, Canada T-38

(Transferor)

(2) S/Shri Harish Chander Mehta, Bishan Mehta, Lov Dev Mehta, Chhatar Pal Mehta
Sons of Shri Radha Ballabh Mehta,
Resident of D-179, Vivek Vihar, Delhi-110032.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A free-hold plot of land measuring 400 sq. yds. bearing No. E-541 situated at Greater Kailash-II, New Delhi and bounded as under :
North : E-543
West : Service Lane
South : E-539
East : Road

J. S. GILL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Delhi/New Delhi.

Date : 23-8-1978

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I,
4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI-110001

New Delhi, the 23rd August 1978

Ref. No. IAC.Acq.I/SR.III/238/Dec.22/77-78/2378.—
Whereas, I, J. S. GILL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'),
have reason to believe that the immovable property,
having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
S-281, situated at Greater Kailash-II, New Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),
has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at New Delhi on 13-12-1978
for an apparent consideration
which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'said Act', in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the 'said Act,' or the Wealth tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the 'said Act', to the following persons namely :—

(1) Shri Madan Lal Malhotra
S/o late Shri Lal Chand Malhotra,
R/o 21, Bentinck Street, Calcutta
Through his Attorney
Shri Vinod Kumar Kapoor
S/o Shri Amar Nath Kapur
R/o B-29, Nizamuddin East,
New Delhi.

(Transferor)

(2) Smt. Shobha Kohli w/o Shri R. K. Kohli
R/o 1911, Chuna Mandi, Paharganj,
New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A free-hold plot of land No. S-281, Greater Kailash-II, New Delhi measuring 300 sq. yds. and bounded as under :
East : Road
West : Service Lane
North : S-279
South : S-283.

J. S. GILL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Delhi/New Delhi.

Date : 23-8-1978
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I,
4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI-110001

New Delhi, the 23rd August 1978

Ref. No. IAC.Acq.I/SR-III/343/March.10/77-78/2378.—Whereas, I, J. S. GILL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
5, Block No. 15 situated at Akbar Road, New Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed
hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at New Delhi on March 1978
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid
property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957)

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Lakshmeekant Jha s/o late Pt. Ajaib Jha of Village Baliya, P. S. Madhubani, Distt. Madhubani, Bihar as executor to the estate of late Maharajadhiraja Dr. Sir Kameshwar Singh of Darbhanga, Bihar.

(Transferor)

(2) Smt. Maharaniadhirani Kamsundari Sahiba W/o late Maharajadhiraja Dr. Sir Kameshwar Singh R/o Kalyani House, Behind 7, Mansingh Road, New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Vacant plot of land measuring 1.14 acres in plot No. 5. Block No. 15 at Akbar Road, New Delhi and bounded as under :

North : Akbar Road
South : Service Lane
East : Dalmia House
West : Government land

J. S. GILL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Delhi/New Delhi.

Date : 23-8-1978
Seal :

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I,
4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI-110001

New Delhi, the 23rd August 1978

Ref. No. IAC/Acq.I/SR.III/315/Feb.50/77-78/2378.—
Whereas, I, J. S. GILL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
B-42, situated at B-42, Maharani Bagh, New Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
New Delhi on 18-2-1978
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per-cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the 'said Act', to the following persons namely :—

(1) Shri H. D. Nargolwala s/o D. M. Nargolwala,
R/o 113-09 95 Avenue, Richmond Hill,
New York, USA.

(Transferor)

(2) Smt. Gunmala Rajgarhia
W/o Shri P. D. Rajgarhia,
R/o B-42, Maharani Bagh,
New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

An immovable property built on plot No. B-42, Maharani Bagh, New Delhi and measuring 1150 sq. yds. bounded as under :
North : Plot No. B-41
East : 80 ft road
South : Plot No. B-43
West : 30' Wide Road

J. S. GILL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Delhi/New Delhi.

Date : 23-8-1978
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I,
4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI-110001

New Delhi, the 1st July 1978

Ref. No. IAC/Acq.I/SR.III/309/Feb.35/77-78/2378.—Whereas, I, J. S. GILL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
F-9, situated at N.D.S.E. Part-I, New Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at New Delhi on 15-2-1978
for an apparent consideration
which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(a) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said, Act to the following persons, namely :—

(1) Smt. Devinder Kaur W/o Rattan Chand,
R/o C-88, Kirti Nagar,
New Delhi.
(Transferor)

(2) Smt. Inderjit Kaur W/o Amarjit Singh Johar,
R/o C-139, Defence Colony,
New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A plot of free-hold land bearing No. F-9, measuring 200 sq. yds. situated at N.D.S.E. Part-I, New Delhi and bounded as under :
North : Property No. F-10
South : Property No. F-8
East : Road
West : Service Lane

J. S. GILL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Delhi/New Delhi.

Date : 23-8-1978

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-I,
4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI-110001

New Delhi, the 23rd August 1978

Ref. No. I A C.Acq.I/SR.III/308/Feb.30/77-78/2378.—Whereas, I, J. S. GILL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
E-278, situated at Greater Kailash, New Delhi
(Greater Kailash-II)
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the
Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
New Delhi on 14-2-1978
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of an income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Raj Dhawan w/o Shri Satya Van Dhawan
R/o Flat No. 31, 4-A, Auckland Square, Calcutta-17 through her attorney Shri Kamal Dhawan
S/o Shri Satyavan Dhawan
R/o S-196, Greater Kailash-I,
New Delhi-48.

(Transferor)

(2) Shri Narinder Jeet Singh Monga
S/o Shri Ishwar Singh Monga
Resident of 132, Gujranwala Town Part II,
Delhi-33.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later :

(b) by any other persons interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A free-hold plot of land bearing No. 278, in Block E, measuring 250 sq. yds. situated at Greater Kailash-II, New Delhi and bounded as under :
East : House No. E-276
West : Plot No. E-280
South : Service Lane
North : Road

J. S. GILL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Delhi/New Delhi.

Date : 23-8-1978
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX,

ACQUISITION RANGE-I,
4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI-110001

New Delhi, the 26th August 1978

Ref. No. IAC.Acq.I/SR-III/296/Feb.7/77-78/2401.—Whereas, I, J. S. GILL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
S-454 situated at Greater Kailash-II, New Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at New Delhi on 3-2-1978
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Dharambir S/o Hari Chand,
41, Masjid Road, Jangpura,
New Delhi.

(Transferor)

(2) Shri Jasbir Singh Modi
S/o Dayal Singh Modi,
R/o L-19, Kalkaji,
New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other persons interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XVA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Cahpter.

THE SCHEDULE

A plot of free-hold land bearing No. S-454 measuring 550 sq. yds. situated at Greater Kailash-II New Delhi and bounded as under :
East : S 456
West : S-452
North : Service Lane
South : Road

J. S. GILL,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range-I, Delhi/New Delhi.

Date : 26-8-1976
Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX,

ACQUISITION RANGE-I,
4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI-110001

New Delhi, the 26th August 1978

Ref. No. IAC.Acq.I/SR-III/Jan./77-78/2401.—
Whereas, I, J. S. GILL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
146 situated at Vinobapuri, Lajpat Nagar, New Delhi
(and more fully described in the Scheduled annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
New Delhi on 17-1-1978
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the
aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Maya Devi W/o Ram Lal
R/o 146, Vinoba Puri, Lajpat Nagar,
New Delhi.

(Transferor)

(2) Smt. Ved Sachdeva W/o S. N Sachdeva
Mrs. Usha Sachdeva W/o D. L. Sachdeva,
R/o 146, Vinobapuri, Lajpat Nagar,
New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA, of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A single storyed house built on a plot of land No. 146, measuring 100 sq. yds. situated in Vinobapuri, Lajpat Nagar, New Delhi.

J. S. GILL
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Delhi/New Delhi.

Date : 26-8-1976
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I,
4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI-110001

New Delhi, the 26th August 1978

Ref. No. IAC.Acq.I/SR-III/Jan./77-78/2401.—
Wherens, I, J. S. GILL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. K-67-68 situated at Aliganj (Karbala), New Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at New Delhi on 12-1-1978
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Chanderman Kaur W/o Shri Manohar Singh Self and G.A. of Miss Sravinder Kaur and Others R/o K-67-68, Aliganj (Karbala), New Delhi.

(Transferor)

(2) Sardar Bachan Singh S/o Sardar Sarwan Singh R/o Q. No. 802, S-VII, R. K. Puram, New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A G.B.P. No. K-67 and 68 situated at Aliganj, Karbala, New Delhi.

J. S. GILL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Delhi/New Delhi.

Date : 26-8-1976
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I,
4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI-110001

New Delhi, the 26th August 1978

Ref. No. IAC.Acq.I/SR-III/Feb.57/77-78/2402.—Whereas, I, J. S. GILL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
Flat No 78 situated at Bhagat Singh Market, New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at New Delhi on 20-2-1978
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not
been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1), Shri Brij Mohan Singh Premi and
Shri Inder Mohan
Sons of Shri Beharilal and
Smt. Dharam Vati w/o Shri B. K. Sachdeva,
Smt. Raj Rani Chawla w/o Shri M. L. Chawla
Through General Attorney Shri Sat Pal Chadha
S/o Shri Dina Nath Chadha,
R/o Shop No. 109, Bhagat Singh Market,
New Delhi.
(Transferor)

(2) Shri Man Mohan s/o Shri Behari Lal
For self and G.A.
Smt. Jagdish Rani Chawla
W/o Shri O. P. Chawal,
R/o Flat No. 78, Bhagat Singh Market,
New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION.:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter;

THE SCHEDULE

A Govt built Flat No. 78, situated at Bhagat Singh Market, New Delhi with the lease-hold rights of the land underneath its area 798 sq. ft. charged 2/3 to g.p. and 1/3rd to flat No. 78, bounded as under :
North : Open
South : Lane
East : G.B. property
West : G.B. property

J. S. GILL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Delhi/New Delhi.

Date : 26-8-1978
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER **OF INCOME-TAX,**

ACQUISITION RANGE-I,

4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI-110001

New Delhi, the 26th August 1978

Ref. No. IAC.Acq.I/SR.III/January43/77-78/2402.—

Whereas, I, J. S. GILL,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

C-II situated at Kalindi Colony, New Delhi

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at

New Delhi on 19-1-1978

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Gopal Dutt Sharma s/o Abi Narain
R/o Barawali Kothi, Nai Sarka,
Delhi.

(Transferor)

(2) Shri Virender M. Trehan,
S/o Faqir Chand
R/o C-37, East Nizamuddin,
New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property; within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

An immovable property built on a plot of land bearing No. C-11 Kalindi Colony, New Delhi (C-11 Category 3 Group A) measuring 458 sq. yds. situated in residential colony known as Kalindi, New Delhi and bounded as under :

East : Road
West : Service Lane
North C-10, property
South : Road

J. S. GILL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Delhi/New Delhi.

Date : 26-8-1978

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BHATINDA

Bhatinda, the 24th July 1978

Ref. No. AP/293/SPL/78-79.—Whereas, I, P. N. MALIK,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
As per schedule situated at Vill. Kamalpur
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Sultanpur Lodhi, on Dec. 1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) 1. Shri Banta Singh s/o Shri Harnam Singh, R/o Vill. Alikila, (2) Shri Suran Singh s/o Shri Ralla Singh, R/o Rampur Jagir, Teh. Sultanpur Lodhi, Distt. Kapurthala.

(Transferor)

(2) S/Shri Dalip Singh, Surjit Singh, Sumittar Singh & Joginder Singh ss/o Lal Singh, R/o Isharwal & (2) S/Shri Kartar Singh, Mohinder Singh, Sawarn Singh ss/o Shri Achhar Singh, R/o Vill. Kaluru, Teh. Sultanpur Lodhi, Distt., Kapurthala.

(Transferee)

*(3) As per S. No. 2 above.
[Person in occupation of the property]

*(4) Any other person interested in the property.
[Person whom the undersigned knows to be interested in the property]

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land measuring 72 Kanals and 18 marlas in village Kamalpur as mentioned in sale deed No. 1447 of Dec. 1977 registered with the S.R. Sultanpur Lodhi.

P. N. MALIK,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhatinda

Dated : 24-7-1978
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BHATINDA

Bhatinda, the 24th July 1978

Ref. No. AP/294/NWS/78-79.—Whereas, I, P. N. MALIK, being the Competent Authority under Section 269B of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'),

have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. as per schedule situated at Vill. Rahon

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Nawan Shehar on Dec. 1977

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the

aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Nirmal Singh s/o Shri Nanak Chand, village Nilokheri, Teh. Nawan Shehar.
(Transferor)

(2) S/Shri Nirmal Singh, Avtar Singh ss/o Shri Bhagat Singh, Vill. Rahon, Teh. Nawan Shehar.
(Transferee)

(3) As per S. No. 2 above.
[Person in occupation of the property]

(4) Any other person interested in the property.
[Person whom the undersigned knows to be interested in the property]

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land measuring 49 Kanals and 8 marlas in village Rahon as mentioned in sale deed No. 3480 of Dec. 1977 registered with the S.R. Nawan Shehar.

P. N. MALIK,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhatinda.

Date : 24-7-1978
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BHATINDA

Bhatinda, the 24th July 1978

Ref. No. AP/295/SPL/78-79.—Whereas, I,
P. N. MALIK,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. as per schedule situated at Vill. Gill
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Sultanpur Lodhi on Dec. 1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Jit Singh Urf Jita Singh s/o Shri Surain Singh s/o Shri Ghohal Singh, R/o village Gill, Teh. Sultanpur Lodhi.
(Transferor)

(2) Shri Santokh Singh s/o Shri Kartar Singh, vill. Gill, Teh. Sultanpur Lodhi.
(Transferee)

(3) As per S. No. 2 above.
[Person in occupation of the property]

(4) Any other person interested in the property.
[Person whom the undersigned knows to be interested in the property]

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land measuring 46 Kanals and 17 marlas in village Gill as mentioned in sale deed No. 1432 of Dec. 1977 registered with the S.R. Sultanpur Lodhi.

P. N. MALIK,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhatinda.

Date : 24-7-1978
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BHATINDA

Bhatinda, the 24th July 1978

Ref. No. AP/296/NWS/78-79.—Whereas, I,
P. N. MALIK,
being the Competent Authority under Section 269B,
of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
as per schedule situated at Vill. Rahon
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at Nawan Shehar on Dec. 1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the tarnsferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons namely :—

(1) Shri Bakshish Singh s/o Shri Ganda Singh, village & P.O. Rahon, Teh. Nawan Shehar.

(Transferor)

(2) Shri Major Singh s/o Shri Babu, V & P.O. Hiala, Teh. Nawan Shehar.

(Transferee)

(3) As per S. No. 2 above.
[Person in occupation of the property]

(4) Any other person interested in the property.
[Person whom the undersigned knows to be interested in the property]

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land measuring 31 Kanals and 19 marlas in village Rahon as mentioned in sale deed No. 3400 of Dec. 77 registered with the S.R. Nawan Shehar.

P. N. MALIK,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhatinda

Date : 24-7-1978
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, BHATINDA

Bhatinda, the 24th July 1978

Ref. No. AP/297/SPL/78-79.—Whereas, I,
P. N. MALIK,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
as per schedule situated at Vill. Sujowal
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Sultanpur Lodhi on Dec. 1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Jaswant Singh s/o Shri Battan Singh, Vill. Mohammdi, Distt. Lakhirpur Dhari (UP) now at Narobi, Mukhtiar-i-am S/Shri Daljit Singh, Hari Singh ss/o Shri Battan Singh, village Farid Susia, Teh. Sultanpur Lodhi.
(Transferor)

(2) S/Shri Deep Singh, Jit Singh ss/o Shri Thakar Singh, R/o Sujoo Kalia, Teh. Sultanpur Lodhi (Kapurthala).
(Transferee)

(3) As per S. No. 2 above.
[Person in occupation of the property]

(4) Any other person interested in the property.
[Person whom the undersigned knows to be interested in the property]

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land measuring 50 Kanals and 5 marlas situated in village Sujoo Wal as mentioned in sale deed No. 1440 of Dec. 1977 registered with the S.R. Sultanpur Lodhi.

P. N. MALIK,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhatinda.

Date : 24-7-1978
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BHATINDA

Bhatinda, the 24th July 1978

Ref. No. AP/298/NKD/78-79.—Whereas, I, P. N. MALIK, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000- and bearing No.
As per schedule situated at Nakodar
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at Nakodar on Dec. 1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

16—246GI/78

(1) Smt Rajinder Kaur wd/o Shri Jagir Singh s/o Shri Natha Singh, Mohalla Sher Pura, Nakodar. (Transferor)

(2) Shri Varinder Singh s/o Shri Jaswant Singh s/o Shri Surinder Singh, Mohalla Sher Pura, Nakodar. (Transferee)

(3) As per S. No 2 above. [Person in occupation of the property]

(4) Any other person interested in the property. [Person whom the undersigned knows to be interested in the property.]

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 18 kanals and 10 marlas in Nakodar as mentioned in sale deed No. 2160 of Dec. 1977 registered with the S.R. Nakodar.

P. N. MALIK,
Competent Authority.
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhatinda.

Date : 24-7-1978

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BHATINDA

Bhatinda, the 24th July 1978

Ref. No. AP/299/MKS/78-79.—Whereas, I,
P. N. MALIK,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
As per schedule situated at Vill. Rupana
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Muktsar on Dec. 1977 for an apparent
consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Joginder Singh (s) and Smt. Sham Kaur wd/o Shri Lal Singh s/o Shri Amar Singh, R/o village Rupana, Teh. Muktsar.
(Transferor)

(2) Shri Sukhminder Singh s/o Sri Darshan Singh, R/o village Rupana, Teh. Muktsar.
(Transferee)

*(3) As per S. No. 2 above.
[Person in occupation of the property]

*(4) Any other person interested in the property.
[Person whom the undersigned knows to be interested in the property]

Objections, if any to the acquisition of said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette of a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION : The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land measuring 37 Kanals and 16 marlas in village Rupana as mentioned in sale deed No. 1751 of Dec. 1977 registered with the S.R. Muktsar.

P. N. MALIK,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhatinda.

Date : 24-7-1978
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BHATINDA

Bhatinda, the 24th July 1978

Ref. No. AP/300/FZK/78-79.—Whereas, I,
P. N. MALIK,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
As per schedule situated at V. Bahmani Wala
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Fazilka on Dec. 1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'said Act', in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act', to the following persons namely :—

(1) Shri Avinash Chander s/o Shri Bahadur Chand s/o Shri Dewan Chand self and G. A. Smt. Santosh Rani w/o Shri Avinash Chander s/o Shri Bahadur Chand, R/o Abohar, Teh. Fazilka.
(Transferor)

(2) Shri Niamat Rai s/o Shri Gobinda Ram s/o Shri Jaimal Ram, R/o village Bahmani Wala, Teh. Fazilka.
(Transferee)

(3) As per S. No. 2 above.
[Person in occupation of the property]

(4) Any other person interested in the property.
[Person whom the undersigned knows to be interested in the property]

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land measuring 39 Kanals and 8 marlas in village Bahmani Wala as mentioned in sale deed No. 2598 of Dec. 1977 registered with the S.R. Fazilka.

P. N. MALIK,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhatinda.

Date : 24-7-1978

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BHATINDA

Bhatinda, the 24th July 1978

Ref. No. AP/301/KPR/78-79.—Whereas, I, P. N. MALIK, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. As per schedule situated at Vill. Bagowal (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Regstration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Bholath on Dec. 1977 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) S/Shri Balwant Singh, Radha 'Singh, Avtar Singh ss/o Shri Binda Singh, R/o Vill. Pandori Khevat Dar Begowal, (Kapurthala).
(Transferor)

(2) Shri Charan Singh s/o Shri Wadhawa Singh (2) Sh. Kartar Singh s/o Sh. Gahina Singh, Sh. Makhan Singh s/o Shri Bhagat Singh, Smt. Maya Kaur w/o Shri Kartar Singh & Smt. Surinder Kaur w/o Shri Shangara Singh, R/o village Bhadas (Kapurthala).
(Transferee)

(3) As per S. No. 2 above.
[Person in occupation of the property]

(4) Any other person interested in the property.
[Person whom the undersigned knows to be interested in the property

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land measuring 38 Kanals in village Bagowal as mentioned in sale deed No. 1609 of Dec. 1977 registered with the Sub-Registrar, Bholath.

P. N. MALIK,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhatinda.

Dated : 24-7-1978
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BHATINDA

Bhatinda, the 24th July 1978

Ref. No. AP/302/MGA/78-79.—Whereas, I,
P. N. MALIK,
being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
As per schedule situated at Vill. Thraj
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Moga on Dec. 1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the 'said Act', or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Mukhtiar Kaur w/o Shri Gurbachan Singh, R/o Thraj, Teh. Moga.
(Transferor)

(2) Shri Gurdial Singh s/o Shri Bur Singh, R/o village Thraj, Teh. Moga.
(Transferee)

(3) As per S. No 2 above.
[Person in occupation of the property]

(4) Any other person interested in the property.
[Person whom the undersigned knows to be interested in the property]

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land measuring 47 Kanals and 17 marlas in village Thraj as mentioned in sale deed No. 5632 of Dec., 1977 registered with the S.R. Moga.

P. N. MALIK,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhatinda.

Date : 24-7-1978
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER

OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BHATINDA

Bhatinda, the 24th July 1978

Ref. No. AP-303/BTI/78-79.—Whereas, I,
P. N. MALIK,
being the competent authority under section 269B of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961)
(hereinafter referred to as the 'said Act')
have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. As per schedule situated at Batinda
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Bhatinda on Dec. 1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Inder Sain s/o Shri Ganpat Rai, Post Office Bazar, Bhatinda.
(Transferor)

(2) Smt. Surjit Kaur w/o Shri Karanvir Singh, 183-A/51, Shant Nagar, Bhatinda.
(Transferee)

(3) As per S. No. 2 above.
[Person in occupation of the property]

(4) Any other person interested in the property.
[Person whom the undersigned knows to be interested in the property]

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A property on Bhagu Road, near District Jail, Shant Nagar Bhatinda bearing No. 183/A/51 as mentioned in sale deed No. 4504 of Dec. 1977 registered with the S.R. Bhatinda.

P. N. MALIK,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhatinda.

Date : 24-7-1978
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BHATINDA

Bhatinda, the 24th July 1978

Ref. No. AP-304/BTI/78-79.—Whereas, I,
P. N. MALIK,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe
that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
As per scheduled situated at Bhatinda
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Bhatinda on Dec. 1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Kulwant Singh s/o Shri Natha Singh s/o Shri Lokha Singh, Bhatinda.
(Transferor)

(2) (i) Shri Diwan Chand s/o Shri Vasu Ram, (ii) Smt. Parkash Rani w/o Shri Diwan Chand & (iii) S/Shri Amrit Lal, Manohar Lal, Mankesh Kumar ss/o Shri Diwan Chand, Bhatinda.
(Transferee)

*(3) As per S. No. 2 above.
[Person in occupation of the property]

*(4) Any other person interested in the property.
[Person whom the undersigned knows to be interested in the property]

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expired later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A property on Court Road, Bhatinda as mentioned in sale deed No. 4513 of Dec. 1977 registered with the S.R Bhatinda.

P. N. MALIK,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhatinda.

Date : 24-7-1978
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BHATINDA

Bhatinda, the 24th July 1978

Ref. AP-305/FDK/78-79.—Whereas, I, P. N. MALIK, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

As per schedule situated at Kot-Kapura

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Faridkot on Dec. 1977

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or;

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957)

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Tota Singh, s/o Shri Kishan Singh s/o Shri Jiwan Singh, R/o Kot Kapura. (Transferor)

(2) Smt. Surjit Kaur w/o Shri Chand Singh s/o Shri Waryam Singh, R/o Kot Kapura. (Transferee)

(3) As per S. No. 2 above. [Person in occupation of the property]

(4) Any other person interested in the property. [Person whom the undersigned knows to be interested in the property]

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforsaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 24 Kanals in Kotkapura as mentioned in sale deed No. 2676 of Dec. 1977 registered with the S.R. Faridkot.

P. N. MALIK,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhatinda.

Date : 24-7-1978

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BHATINDA

Bhatinda, the 24th July 1978

Ref. No. AP-306/PHL/78-79.—Whereas, I, P. N. MALIK, being the Competent Authority under section 269B of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. As per schedule situated at V. Liddar Kalan (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Phillaur on Dec. 1977 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; **and/or**

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

17—246GI/78

(1) Smt. Rukman Kaur wd/o Shri Mukhtiar Singh Urf Shri Pakhar Singh, R/o Lakhpur, Teh. Phagwara, Mukhtiar-i-am Shri Jarnail Singh, Baldev Singh, Jagjit Singh etc., R/o Lakhpur, Teh. Phagwara.

(Transferor)

(2) S/Smt. Meeto, Sarwan, Bansu, Chhinder s/o Shri Dhanna Singh s/o Shri Achhar Singh, R/o Vill. Tagarh, Teh. Phillaur.

(Transferee)

(3) As per S. No. 2 above.

[Person in occupation of the property]

(4) Any other person interested in the property.

[Person whom the undersigned knows to be interested in the property]

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) **by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;**

(b) **by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.**

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land measuring 95 Kanals and 15 marlas in village Liddar Kalan as mentioned in sale deed No. 3467 of Dec. 1977 registered with the S.R. Phillaur.

P. N. MALIK,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhatinda.

Date : 24-7-1978
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BHATINDA

Bhatinda, the 24th July 1978

Ref. No. AP-307/MGA/78-79.—Whereas, I, P. N. MALIK, being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. As per scheduled situated at village Roshan Shah Wala (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of Registering Officer at Zira on Dec. 1977 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transfer to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act 1922 (11 of 1922) or the said Act, or Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Sukhpal Singh s/o Shri Mulla Singh s/o Shah Shri Jawahar Singh, R/o village Roshan Shah Wala, Teh. Zira.

(Transferor)

(2) Shri Surat Singh s/o Shri Tirlok Singh s/o Shri Tahala Singh, R/o village Roshan Shah Wala, Teh. Zira.

(Transferee)

(3) As per S. No. 2 above.

[Person in occupation of the property]

(4) Any other person interested in the property.

[Person whom the undersigned knows to be interested in the property

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land measuring 43 Kanals and 8 marlas in village Roshan Shah Wala as mentioned in sale deed No. 4627 of Dec., 1977 registered with the S.R. Zira.

P. N. MALIK,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhatinda.

Date : 24-7-1978
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BHATINDA

Bhatinda, the 24th July 1978

Ref. No. AP-308/NKD/78-79.—Whereas, I,
P. N. MALIK,
being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to
believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
As per schedule situated at Vill. Uggi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Nakodar on Dec. 1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market valuc of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fiftcen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer, with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Sunder Singh s/o Shri Lal Singh s/o Shri Sada Singh, Vill. Uggi, Teh. Nakodar.

(Transferor)

(2) S/Shri Pal Singh, Gian Singh, Lamber Singh ss/o Shri Mota Singh s/o Shri Basant Singh, R/o Vill. Rahempur, Teh. Nakodar.

(Transferee)

(3) As per S. No. 2 above.
[Person in occupation of the property]

(4) Any other person interested in the property.
[Person whom the undersigned knows to be interested in the property]

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :— The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land measuring 34 Kanals and 13 marlas in village Uggi as mentioned in sale deed No. 2293 of Dec., 1977 registered with the S.R. Nakodar.

P. N. MALIK.
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhatinda.

Date : 24-7-1978

Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BHATINDA

Bhatinda, the 24th July 1978

Ref. No. AP-309/PHG/78-79.—Whereas, I, P. N. MALIK, being the competent authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
As per schedule situated at Vill. Mahera,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at
Phagwara on Dec. 1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid propery and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the 'said Act,' I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Jagjit Singh s/o Capt. Gobind Singh, R/o village Mahera, Teh. Phagwara.
(Transferor)

(2) S/Shri Asa Singh, Jagir Singh ss/o Shri Harnam Singh, R/o village Mahera, Teh. Phagwara.
(Transferee)

(3) As per S. No. 2 above.
[Person in occupation of the property]

(4) Any other person interested in the property.
[Person whom the undersigned knows to be interested in the property]

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION : The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'said Act', shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land measuring 80 Kanals in village Mahera as mentioned in sale deed No. 1572 of Dec. 1977 registered with the S.R. Phagwara.

P. N. MALIK,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhatinda.

Date : 24-7-1978

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BHATINDA

Bhatinda, the 24th July 1978

Ref. No. AP-310/MBA/78-79.—Whereas, I, P. N. MALIK, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. As per schedule situated at village Mallan Wala (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Zira on Dec. 1977 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Phuman Singh s/o Shri Bagga Singh s/o Shri Gulab Singh, village Mallan Wala, Teh. Zira. (Transferor)

(2) Shri Jagdish Parshad s/o Shri Jagan Nath s/o Shri Uttam Chand, R/o Bhikhi Pind, Teh. Patti, Distt. Amritsar. (Transferee)

*(3) As per S. No. 2 above. [Person in occupation of the property]

*(4) Any other person interested in the property. [Person whom the undersigned knows to be interested in the property]

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land measuring 40 Kanals in village Mallan Wala as mentioned in sale deed No. 4723 of Dec. 1977 registered with the S. R. Zira.

P. N. MALIK,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhatinda.

Date : 24-7-1978
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BHATINDA

Bhatinda, the 24th July 1978

Ref. No. AP/MGA/311/78-79.—Whereas, I, P. N. MALIK, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
As per schedule situated at Village Mallen Wala
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Zira on Dec. 1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been trully stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Phuman Singh s/o Shri Bagga Singh s/o Shri Gulab Singh, Vill. Bahadur, Teh. Jagraon now village Mallan Wala, Teh. Zira.
(Transferor)

(2) Shri Jagdish Parshad s/o Shri Jagan Nath s/o Shri Uttam Chand, R/o Bhikhi Pind, Teh. Patti, Distt. Amritsar.
(Transferee)

(3) As per S. No. 2 above.
[Person in occupation of the property]

(4) Any other person interested in the property.
[Person whom the undersigned knows to be interested in the property]

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land measuring 41 Kanals and 6 marlas in village Mallan Wala as mentioned in sale deed No. 4804 of Dec. 1977 registered with the S.R. Zira.

P. N. MALIK,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhatinda.

Date : 24-7-1978
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BHATINDA

Bhatinda, the 24th July 1978

Ref. No. AP-312/MGA/78-79.—Whereas, I,
P. N. MALIK,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
As per schedule situated at Vill. Jallalabad
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer Zira on Dec. 1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Mohinder Singh s/o Shri Partap Singh s/o Sh. Mehna Singh, R/o vill. Rajpura.

(Transferor)

(2) S/Shri Gurdarshan Singh, Palwinder Singh, Avtar Singh ss/o Shri Sadhu Singh, vill. Chugwan, Teh. Ajnala.

(Transferee)

(3) As per S. No. 2 above.

[Person in occupation of the property]

(4) Any other person interested in the property.

[Person whom the undersigned knows to be interested in the property]

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land measuring 55 Kanals and 16 marlas in village Jallalabad as mentioned in sale deed No. 4489 of Dec. 1977 registered with the S.R. Zira.

P. N. MALIK,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhatinda

Date : 24-7-1978
Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BHATINDA

Bhatinda, the 24th July 1978

Ref. No. AP 313/MGA/78-79.—Whereas, I,
P. N. MALIK,
being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
As per schedule situated at Vill. Chhian Pari
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the
Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Zira on Dec. 1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transfer to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following **persons, namely :—**

(1) Smt. Chhindo d/o Shri Ujjagar Singh s/o Shri Chanda Singh, Vill. Chhlan Pari, Teh. Zira.
(Transferor)

(2) Shri Jagtar Singh s/o Shri Hazara Singh s/o Shri Chanda Singh, Village Chhian Pari, Teh. Zira.
(Transferee)

(3) As per S. No. 2 above.
[Person in occupation of the property]

(4) Any other person interested in the property.
[Person whom the undersigned knows to be interested in the property]

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land measuring 49 Kanals and 17 marlas in village Chhian Pari as mentioned in sale deed No. 4805 of Dec. 1977 registered with the S.R. Zira.

P. N. MALIK,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhatinda.

Dated : 24-7-1978
Seal :

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 of 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER

OF INCOME TAX,

ACQUISITION RANGE, BHATINDA

Bhatinda, the 24th July 1978

Ref. No. AP 314/FDK/78-79.—Whereas, I, P. N. MALIK, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing As per schedule situated at Kot Kapura, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Faridkot on Dec. 1977 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of he transfer to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

18-246GI/78

(1) Shri Sohna Singh s/o Shri Bhagwan Singh s/o Shri Prem Singh, R/o Kot Kapura.

(Transferor)

(2) S/Shri Sukhdev Singh, Darshan Singh, Sukhminder Singh ss/o Shri Dalip Sngh s/o Shri Prem Singh, Kot Kapura.

(Transferee)

(3) As per S. No. 2 above.

[Person in occupation of the property]

(4) Any other person interested in the property.

[Person whom the undersigned knows to be interested in the property]

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 28 Kanals and 12 marlas in Kot Kapura as mentioned in sale deed No. 2758 of Dec. 1977 registered with the S.R. Faridkot.

P. N. MALIK,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhatinda.

Date : 24-7-1978

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BHATINDA

Bhatinda, the 24th July 1978

Ref. No. AP 315/PMG/78-79.—Whereas, I,
P. N. MALIK,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to
believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
As per schedule situated at Vill. Baghana
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Phagwara on Dec. 1977
for an apparent consideration which is less
than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of he transfer to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Santa Singh s/o Shri Kitu s/o Shri Bura, V & P.O. Narur, Teh. Phagwara.

(Transferor)

(2) Shri Karam Singh s/o Shri Niranjan Singh, village Narur, Teh. Phagwara.

(Transferee)

(3) As per S. No. 2 above.
[Person in occupation of the property]

(4) Any other person interested in the property.
[Person whom the undersigned knows to be interested in the property]

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective person whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land measuring 34 Kanals and 19 marlas in village Baghana as mentioned in sale deed No. 1568 of Dec. 1977 registered with the S.R. Phagwara.

P. N. MALIK,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhatinda.

Date : 24-7-1978

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BHATINDA

Bhatinda, the 24th July 1978

Ref. No. AP 316/PHL/78-79.—Whereas, I,
P. N. MALIK,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
As per schedule situated at Vill. Talwan
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer Phillaur on Dec. 1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of he transfer to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Daulati s/o Shri Bhag Ram s/o Shri Babu Ram, R/o village Garsian Nihal, Teh. Phillaur.
(Transferor)

(2) 1. Shri Ram Singh s/o Shri Jawala Singh 2. S/Shri Tarsem Singh, Jaswant Singh, Sucha Singh, Gurdip Singh, Gurcharan Singh ss/o Ram Singh, village Kukkar, Teh. Jullundur.
(Transferee)

(3) As per S. No. 2 above.
[Person in occupation of the property]

(4) Any other person interested in the property.
[Person whom the undersigned knows to be interested in the property]

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of the notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land measuring 44 Kanals and 10 marlas in village Talwan as mentioned in sale deed No. 3453 of Dec. 1977 registered with the S.R. Phillaur.

P. N. MALIK,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhatinda

Date : 24-7-1978

Seal.

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BHATINDA

Bhatinda, the 24th July 1978

Ref. No. AP 317/SPL/78-79.—Whereas, I,
P. N. MALIK,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding
Rs. 25,000/- and bearing
As per schedule situated at Vill. Dhad Wandi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Sultanpur Lodhi on Dec. 1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transfer to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri H. K. Lall s/o Shri Guran Ditta Mal (Kamalpur), R/o 3/9, Roop Nagar, Delhi.
(Transferor)

(2) S/Shri Mohinder Singh, Mohan Singh ss/o Shri Arjan Singh R/o Durgapur, Teh. Sultanpur Lodhi.
(Transferee)

(3) As per S. No. 2 above.
[Person in occupation of the property]

(4) Any other person interested in the property.
[Person whom the undersigned knows to be interested in the property]

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by nay other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land measuring 40 Kanals in village Dhad Wandi as mentioned in sale deed No. 1308 of Dec. 1977 registered with the S.R. Sultanpur Lodhi.

P. N. MALIK,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhatinda

Dated 24 7-1978
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BHATINDA

Bhatinda, the 24th July 1978

Ref. No. AP 319/SPL/78-79.—Whereas, I,
being the competent authority under section 269B of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
As per schedule situated at Village Dhad Wandi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer
Sultanpur Lodhi on Dec. 1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri H. K. Lall s/o Shri Gurditta Mal, (Kamalpur), R/o 3/9 Roop Nagar, Delhi.

(Transferor)

(2) S/Shri Gulzar Singh, Dildar Singh ss/o Capt. Pritam Singh s/o Shri Ishar Singh, R/o village Dhad Wandi, Teh. Sultanpur Lodhi.

(Transferee)

(3) As per S. No. 2 above.

[Person in occupation of the property]

(4) Any other person interested in the property.

[Person whom the undersigned knows to be interested in the property]

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land measuring 51 Kanals in village Dhad Wandi as mentioned in sale deed No. 1307 of Dec. 1977 registered with the S.R. Sultanpur Lodhi.

P. N. MALIK.
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhatinda.

Date : 24-7-1978
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX.

ACQUISITION RANGE, BHATINDA

Bhatinda, the 24th July 1978

Ref. No. AP 319/FDK/78-79.—Whereas, I, P. N. MALIK,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-
As per schedule situated at V. Dhilwan Kalan
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at
Faridkot on Dec. 1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of tranafer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'said Act' in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the 'said Act', I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the 'said Act' to the following persons, namely :—

(1) Shri Pushpinder Singh s/o Bawa Sher Singh s/o Sh. Bawa Ganga Ram Bedi, R/o Ferozepur.
(Transferor)

(2) Shri Harbans Singh s/o Shri Nikka Singh s/o Shri Wadhawa Singh, R/o Vill. Dhilwan Kalan (FARIDKOT).
(Transferee)

(3) As per S. No. 2 above.
[Person in occupation of the property]

(4) Any other person interested in the property.
[Person whom the undersigned knows to be interested in the property]

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'said Act,' shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land measuring 32 Kanals and 4 marlas in village Dhilwan Kalan as mentioned in sale deed No. 2819 of Dec. 1977 registered with the S.R. Faridkot.

P. N. MALIK.
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhatinda.

Date : 24-7-1978
Seal :

FORM ITNS—— —

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BHATINDA

Bhatinda, the 24th July 1978

Ref. No. AP 320/SPL/78-79.—Whereas, I,
P. N. MALIK,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (herelnafter referred to as the 'said Act') have reason to belleve that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
As per schedule situated at Vill. Saboo Wal
and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Sultanpur Lodhi on Dec. 1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Inocome-tax Act, 1922 (11 of 1972) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely: —

(1) S/Shri Gurdip Singh, Sucha Singh, Rajwant Kaur d/o Shri Teja Singh, Khem Kaur, Bahadur Singh, Gian Singh, Mangal Singh, Mohinder Singh, Manjit Singh, Kulwinder Kaur, R/o Village Doraha, Teh. Payal, Distt. Ludhiana.

(Transferor)

(2) 1. Kulwant Singh 2. Tej Paul 3. Jit Singh, Balkar Singh, Mohinder Singh ss/o Shri Faquir Singh, village Saboo Wal, Teh. Sultanpur Lodhi.

(Transferee)

(3) As per S. No. 2 above.
[Person in occupation of the property]

(4) Any other person interested in the property.
[Person whom the undersigned know to be interested in the property]

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid person with a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land measuring 54 Kanal and 8 marlas in village Saboo Wal as mentioned in sale deed No. 1273 of Dec. 1977 registered with the S.R. Sultanpur Lodhi.

P. N. MALIK,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhatinda

Date : 24-7-1978

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BHATINDA

Bhatinda, the 24th July 1978

Ref. No. AP 321/SPL/78-79.—Whereas, I,
P. N. MALIK,
J. S. RAO, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
As per schedule situated at Vill. Mewa Singh Wala
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Sultanpur Lodhi on Dec. 1977 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Sarwan Singh, Shri Surinder Singh ss/o Shri Amar Singh, R/o Sultanpur Lodhi.

(Transferor)

(2) S/Shri Jarnail Singh, Karnail Singh ss/o Shri Banta Singh, R/o vill. Mewa Singh Wala, Teh. Sultanpur Lodhi.

(Transferee)

(3) As per S. No. 2 above.
[Person in occupation of the property]

(4) Any other person interested in the property.
[Person whom the undersigned knows to be interested in the property]

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land measuring 56 Kanals in village Mewa Singh Wala as mentioned in sale deed No. 1349 of Dec. 1977 registered with the S.R. Sultanpur Lodhi.

P. N. MALIK,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhatinda

Date : 24-7-1978
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, KAKINADA

Kakinada, the 19th August 1978

Acq. File Ref. No. 760.—Whereas, I,
N. K. NAGARAJAN,
being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
154/2 & 155/1 situated at Bethavolu Village
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),
has been transferred under the
Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Gudivada on 1977 & 1978
for an apparent consideration
which is less than the fair market value
of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

19—246GI/78

S/Shri
(1) Vankineni Ramabrahmam, s/o, Sriramulu.
(2) V. Ramachandra Rao, s/o Sriramulu.
(3) V. Krishna Kishore, M/G Father Sri V. Ramachandra Rao.
(4) V. Sivarama Krishnamurthy, s/o V. Ramabrahmam.
(5) V. Venkata Ramarao, M/G Father Sri V. Sivarama Krishnamurthy.
(6) V. Rakesh M/G Father Sri V. Sivarama Krishnamurthy.
(7) V. Kuchela, s/o Sri V. Ramabrahmam.
(8) Vankineni Nagabhushanam, s/o Sreeramulu.
(9) V. Rangarao, s/o Sri V. Nagabhushanam.
(10) V. Venkateswara Rao M/G V. Rangarao.
(11) V. Satish M/G V. Rangarao.
(12) V. Sreeramulu, s/o V. Nagabhushanam.
(13) V. Nagabhushana Chowdary, M/G Father Sri V. Sreeramulu.
(14) Chadalavada Seetharamaiah, s/o Venkatakrishnaiah

Address : Ventrapragada, Gudivada Tq., Krishna Dist
(Transferors)

(2) Thummala Harischandra Prasad, s/o Ramabrahmam, 15th Ward, Gudivada, Krishna Dist.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The schedule property as per registered document Nos 3882/77, 11/78 and 121/78 registered before the Sub-Registrar, Gudivada.

N. K. NAGARAJAN,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kakinada.

Dated : 19-8-1978
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, KAKINADA

Kakinada, the 19th August 1978

Acq. File Ref. No. 761.—Whereas, I,
N. K. NAGARAJAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
154/2 & 155/1 situated at Bethavola Village
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Gudivada on 1977 & 1978
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to the disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) 1. Sri Bobba Paparao, s/o Pattaiah, Ventrapragada. 2. Smt. Kanakamedala Hymavathi, w/o Nageswara Rao, GPA Holder : Sri Chalasani Poornachandra Rao, s/o Sreenivasa Rao, Ventrapragada. 3. Dasari Sivanarayana. s/o Gangaiah, 4. D. Gangadhara Rao, s/o Sri Bobba Paparao GPA Holder Sri Dasari Sivanarayana. 5. D. Sreenivas, M/G Father Sri D. Gangadhararao 15th Ward, Gudivada, Krishna Dist. (Transferor)

(2) Thummala Seetharama Prasad, s/o Ramabrahmam, 15th Ward, Gudivada, Krishna Dist. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :— The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The schedule property as per registered document No. 3875/77, 1033/78 and 157/78 registered before the Sub-Registrar, Gudivada.

N. K. NAGARAJAN,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kakinada.

Dated : 19-8-1978

Seal :

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, KAKINADA

Kakinada, the 19th August 1978

Acq. File Ref. No. 762.—Whereas, I,
N. K. NAGARAJAN,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
154/2 & 155/1 situated at Bethavolu Village
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at
Gudivada on 1977 & 1978
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) S/Shri 1. Purukollu Satyanarayana, s/o Chitteyya 2. P. Prakasa Rao, s/o Satyanarayana Pedaparupudi, Gudivada Tq. 3. Paladugu Venkateswara Rao, s/o Krishnamurthy, Nutluru (P.O.), Tenali Tq. Guntur Dist. (4) Sunkara Venkata Rangadasu, s/o Suryanarayana. 5. S. Kishore GPA Holder S. V. Rangadasu. 6. S. Ravooji GPA Holder S. V. Rangadasu & Father. 7. S. Tirilmalesam M/G M/G Father. 8. S. Anibabu Sri S. V. Rangadasu. 9. Dasari, Ramabhadrayya, s/o Bapayya. 10. D. Bhavani Sankararao, s/o Bapayya 11. D. Venkata Bapineedu, M/G Father D. B. Sankara Rao, Amudalapalli, Gannavaram Tq.

(Transferor)

(2) Tummala Narayana Prasad, s/o Ramabrahmam, 15th Ward, Gudivada.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The schedule property as per registered document Nos. 3876/77, 1438/78, 470/78 and 10/78 registered before the Sub-Registrar, Gudivada.

N. K. NAGARAJAN,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kakinada.

Dated : 19-8-1978
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT

COMMISSIONER OF INCOME TAX

ACQUISITION RANGE,
DHARWAR-4

Dharwar-4, the 18th August 1978

Notice No. 224/78-79/Acq.—Whereas I, D. C. RAJAGOPALAN,
being the Competent Authority, under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
Sy. Nos. 1, 2, 3, 4, 37, 9, 8, 38, 13, 23, 24, 25 and 37, situated at Dandubittahara Village, Hipla Village and Melgiri Village, Chickmagalur District,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred
under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Narasimharajpura, Under Document No 105 on 18-1-1978 for an apparent
consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) The Mysore Coffee Estates Limited,
28, Krishnarajendra Road, Basavanagudi,
Bangalore-4.

(Transferor)

(1) (1) Shri E. C. White, As Trustee for
(a) Master Rohan Pelham White,
(b) Miss Rima Anoushka White,
(c) Master Raoul Laurent Domergue,
(d) Miss Lucinda Jane White, and
(e) Master Stephen George White,
Coffee Planter, Koorghully Estate,
Suntikoppa Post.
(2) Shri Sajjan R. Rao,
S/o S. M. Ramakrishna Rao,
Laxminivas Fort, Bangalore-2.
(3) Mrs. Malini White W/o Shri E. C. White,
Koorghully Estate,
Suntimoppa Post,
(4) Mrs. Ashwini S. Ruia,
W/o Shri Shyam M. Ruia,
Laxminivas Fort, Bangalore-2,
(5) Mrs. Mridula Desai W/o R. K. Desai,
No. 450, Rajamahal Vilas Extension,
Bangalore-6
G.P.A. Holder Shri E. C. White.

(Transferees)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The property consists of Coffee Estates situated at Dandubittahara, Hipla and Melgiri villages, Chickmagalur District bearing Sy. Nos. 1, 2, 3, 4, 37, 9, 8, 38, 13, 23, 24, 25 and 37. The total area 654 Acres and Gunthas.

D. C. RAJAGOPALAN
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Dharwar

Date : 18-8-1978
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, AMRITSAR

Amritsar, the 7th August 1978

Ref. No. ASR/78-79/37.—Whereas, I, S. K. GOYAL, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
Plot of land No. 322 Khasra No. 616/9 scheme No. 62 situated at Lawrance Road, Amritsar
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Amritsar City in December 1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Madan Lal s/o Shri Sindhi Ram R/o Gate Johgarh, Amritsar.
(Transferor)

(2) Walaiti Ram s/o Shri Daulat Ram r/o Kt. Bagh Singh Amritsar.
(Transferee)

(3) As at S. No. 2 above and Tenent(s) if any.
[Person in occupation the property]

(4) Any person interested in the property.
[Person whom the undersigned knows to be interested in the property]

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of the notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in the Chapter.

THE SCHEDULE

One plot of land No. 322 measuring 509 1/6 Sq. Meters (say 605 Sq. Yd.) situated at Lawrance Road, Amritsar as mentioned in the Registered Deed No. 3001 of December, 1977 of Registering Authority Amritsar City.

S. K. GOYAL,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Amritsar.

Date : 7-8-1978
Seal :

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX.

ACQUISITION RANGE, AMRITSAR

Amritsar, the 8th August 1978

Ref. No. ASR/78-79/38.—Whereas, I,
S. K. GOYAL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
Agricultural land situated at Vill. Jethu Nangal
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at
Amritsar Tehsil on Feb. 1978
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Gurdial Singh, Sarbdayal Singh and Gulzar Singh ss/o Ojagar Singh, village Majitha, Teh. Amritsar.
(Transferor)

(2) Balwant Singh s/o Jewan Singh R/o Shukar Pura Teh. Batala.
(Transferee)

(3) As at S. No. 2 above and Tenent(s) if any.
[Person in occupation of the property]

(4) Any person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property]

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land measuring 38 K. 10 M. situated in village Jethu Nangal as mentioned in the Regd. Deed No. 5365 of Feb. 1978 of Registering Authority Amritsar City.

S. K. GOYAL,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Amritsar.

Date : 8-8-1978
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, AMRITSAR

Amritsar, the 9th August 1978

Ref. No. ASR/78-79/39.—Whereas, I,
S. K. GOYAL,
being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
Kothi No. 5A, situated at Duni Chand Road, Amritsar
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Amritsar City in December 1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent, consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the 'said Act', to the following persons namely :—

(1) Siri Gopal s/o Shri Karam Chand R/o R. B. Duni Chand Road, Amritsar.

(Transferor)

(2) Jaswant Kaur w/o Shri Ajit Singh R/o 38-Lawrence Road, Amritsar.

(Transferee)

(3) As at S. No. 2 above and Tenent(s) if any.

[Person in occupation of the property]

(4) Any person interested in the property.

[Person whom the undersigned knows to be interested in the property]

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other persons interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property No. 5A situated at Duni Chand Road, Amritsar as mentioned in the Regd. deed No. 3121 of December, 1977 of the Registering Authority, Amritsar City.

S. K. GOYAL,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Amritsar.

Date : 9-8-1978

Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, AMRITSAR

Amritsar, the 9th August 1978

Ref. No. ASR/78-79/40.—Whereas, I, S. K. GOYAL, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason ot believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

House old No. 2853 and new No. 3327 situated at Partap Bazar, Amritsar

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at

Amritsar City in December 1977

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

17—226GI/78

(1) Smt. Kanta Rani w/o Shri Gurdas Ram Aggarwal Green Avenue, Amritsar.
(Transferor)

(2) Tara Chand & Ram Dayal s/o Jagat Ram, Kt, Baghian, Amritsar.
(Transferee)

(3) As at S. No. 2 above and Tenent(s) if any.
[Person in occupation the property]

(4) Any person interested in the property.
[Person whom the undersigned knows to be interested in the property]

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATIONS—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property situated at Partap Bazar Amritsar as mentioned in the Registered Deed No. 3117 of December, 1977 of the Registering Authority, Amritsar.

S. K. GOYAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Amritsar.

Date : 9-8-1978
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269-D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BIHAR
BORING CANAL ROAD, PATNA

Patna, the 5th July 1978

Ref. No. III-271/Acq/78-79/422.—Whereas, I, M. N. TIWARY
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Bihar, Patna
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act', have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
986, 1158 Ward No. VI, Portion of M.S. Plot No. 808 Ranchi situated at Ranchi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

(1) M/s. The Industrial Gases (Bihar) Ltd.
Having its Regd. Office at No. B-6/14,
Safdarjang Enclave, New Delhi-110016
Through its Executive Director,
Sri Lalit Bihari Bansal,
Residing at Village Sidraul, P.O. Khijari,
Via. Namkum, Dt. Ranchi.

(Transferor)

(2) Yogada Satsanga Society of India,
H.O. at 21, Upendranath Mukherjee Road,
Dakshineswar, Calcutta-700 076, West Bengal.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATIONS :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Holding No. 986/1158 Municipal Survey Plot No. 808 of Ward VI in the town of Ranchi consisting of land 1 Bigha 1 Cottah and 5½ Chhataks more or less together with constructions thereon fully described in the schedule of the Regn. Deed No. 8981 dated 31-12-77 of the D.S.R., Ranchi.

M. N. TIWARY
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bihar
Patna.

Date : 5-7-1978

Seal :

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

NOTICE

STENOGRAPHERS' EXAMINATION, 1979

New Delhi, the 16th September 1978

No. F.11/7/78-EI(B).—A competitive examination for recruitment to temporary vacancies in the Services and posts mentioned in para 2 below will be held by the Union Public Service Commission at AHMEDABAD, ALLAHABAD, BANGALORE, BHOPAL, BOMBAY, CALCUTTA, CHADIGARH, COCHIN, CUTTACK, DELHI, DISPUR, (GAUHATI), HYDERABAD, JAIPUR, JAMMU, LUCKNOW, MADRAS, NAGPUR, PANAJI (GOA), PATIALA, PATNA, SHILLONG, SIMLA, SRINAGAR, TRIVANDRUM and at selected Indian Missions abroad on 30th January, 1979 in accordance with the Rules published by the Ministry of Home Affairs (Deptt. of Personnel and Administrative Reforms), in the Gazette of India, dated the 16th September, 1978.

THE CENTRES AND THE DATE OF COMMENCMENT OF THE EXAMINATION AS MENTIONED ABOVE ARE LIABLE TO BE CHANGED AT THE DISCRETION OF THE COMMISSION. CANDIDATES ADMITTED TO THE EXAMINATION WILL BE INFORMED OF THE TIME TABLE AND PLACE OR PLACES OF EXAMINATION (*See* Annexure, para 11).

2. The Services and posts to which recruitment is to be made on the results of this examination and the approximate number of vacancies in the various Services and posts are given below :

(i) Indian Foreign Service (B)—(Grade II of the Stenographers' Sub-cadre);	10**
(ii) Railway Board Secretariat Stenographers' Service—Grade C (for inclusion in the Select List of the Grade) :—	*
(iii) Central Secretariat Stenographers' Service—Grade C (for inclusion in the select list of the Grade);	*
(iv) Armed Forces Headquarters Stenographers' Service—Grade C;	*
(v) Posts of Stenographers in other departments/organisations and Attached Offices of the Government of India not participating in the I.F.S. (B)/Railway Board Secretariat Stenographers' Service/Central Secretariat Stenographers' Service/Armed Forces Headquarters Stenographers' Service.	*

*Vacancies not intimated by Government.

**The number of vacancies reserved for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes candidates, if any, will be determined by Government

The above numbers are liable to alteration.

3. A candidate may apply for admission to the Examination in respect of any one or more of the Services/posts mentioned in para 2 above.

If a candidate wishes to be admitted for more than one Service/post he need send in only one application. He will be required to pay the fee mentioned in para 7 below once only and will not be required to pay separate fee for each of the Services/posts for which he applies.

NOTE.—Some departments/offices of the Government of India making recruitment through this examination will require only English Stenographers and appointments to posts of Stenographers in these departments/offices on the results of this examination will be made only from amongst those who are recommended by the Commission on the basis of the Written Test and Shorthand Tests in English (cf. para 4 of Appendix I to the Rules).

4. A candidate is required to specify clearly in the application form the Services/posts for which he wishes to be considered. He is advised to indicate as many preferences as he wishes to so that having regard to his rank in the order of merit, due consideration can be given to his preferences, when making appointments.

No request for alteration in the order of preferences for the Services/posts originally indicated by a candidate in his application, would be considered unless such a request is received in the office of the Union Public Service Commission on or before the last date prescribed by the Commission for receipt of application in their office.

5. A candidate seeking admission to the examination must apply to the Secretary, Union Public Service Commission Dholpur House, New Delhi (110011), on the prescribed form of application. The prescribed form of application and full particulars of the examination are obtainable from the Commission by post on payment of Rs. 2.00 which should be remitted to the Secretary, Union Public Service Commission, Dholpur House, New Delhi-110011, by Money order, or by Indian Postal Order payable to the Secretary, Union Public Service Commission, at New Delhi General Post Office. Cheques or currency notes will not be accepted in lieu of Money Orders/Postal Orders. The form can also be obtained on cash payment at the counter in the Commission's Office. *This amount of Rs.* 2.00 *will in no case be refunded.*

NOTE :—CANDIDATES ARE WARNED THAT THEY MUST SUBMIT THEIR APPLICATIONS ON THE PRINTED FORM PRESCRIBED FOR THE STENOGRAPHERS' EXAMINATION, 1979 APPLICATIONS ON FORMS OTHER THAN THE ONE PRESCRIBED FOR THE STENOGRAPHERS' EXAMINATION, 1979 WILL NOT BE ENTERTAINED.

6. The completed application form must reach the Secretary, Union Public Service Commission, Dholpur House, New Delhi-110011, on or before the 30th October 1978, (13th November, 1978 in the case of candidates residing abroad or in the Andaman & Nicobar Islands or in Lakshadweep from a date prior to 30th October, 1978 accompanied by necessary documents. *No application received after the prescribed date will be considered.*

A candidate residing abroad or in the Andaman & Nicobar Islands or in Lakshadweep may at the discretion of the Commission be required to furnish documentary evidence to show that he was residing abroad or in the Andaman & Nicobar Islands or in Lakshadweep from a date prior to 30th October, 1978.

7. Candidates seeking admission to the examination must pay to the Commission with the completed application form, a fee of Rs 12.00 (Rs 3.00 in the case of candidates belonging to the Schedule Castes and Scheduled Tribes) through crossed Indian Postal Orders payable to the Secretary, Union Public Service Commission at the New Delhi General Post Office or crossed Bank Draft from any branch of the State Bank of India payable to the Secretary, Union Public Service Commission at the State Bank of India, Main Branch New Delhi.

Candidates residing abroad should deposit the prescribed fee in the office of India's High Commissioner, Ambassador or Representative abroad as the case may be for credit to account head "051—Public Service Commission-Examination Fees" and attach the receipt with the application.

APPLICATIONS NOT COMPLYING WITH THE ABOVE REQUIREMENT WILL BE SUMMARILY REJECTED. THIS DOES NOT APPLY TO THE CANDIDATES WHO ARE SEEKING REMISSION OF THE PRESCRIBED FEE UNDER PARAGRAPH 8 BELOW.

8. The Commission may at their discretion remit the prescribed fee where they are satisfied that the applicant is a *bona fide* displaced person from erstwhile East Pakistan (now Bangla Desh) and had migrated to India during the period between 1st January 1964 and 25th March 1971, or is a *bona fide* repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963, or is a *bona fide* repatriate of Indian origin from Sri Lanka and has migrated to India on or after 1st November, 1964, or is a

prospective repatriate of Indian origin from Sri Lanka under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964 and is not in a position to pay the prescribed fee or is an ex-serviceman as defined below.

"Ex-Serviceman" means a person, who has served in any rank (whether as a combatant or as non-combatant) in the Armed Forces of the Union (*viz.* Naval, Military or Air Forces of the Union) including the Armed Forces of former Indian States but excluding the Assam Rifles, Defence Security Corps, General Reserve Engineer Force, Jammu & Kashmir Militia, Lok Sahayak Sena and Territorial Army, for a continuous period of not less than six months after attestation as on 2nd January, 1979, and—

(i) has been released, otherwise than by way of dismissed or discharge on account of misconduct or inefficiency or has been transferred to the reserve pending such release, or

(ii) has to serve for not more than six months as on 2nd January, 1979 for completing the period of service requisite for being entitled to be released or transferred to the reserve as aforesaid.

9. A refund of Rs. 3.00 (Re. 1.00 in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes) will be made to a candidate who has paid the prescribed fee and is not admitted to the examination by the Commission.

No claim for a refund of the fee paid to the Commission will be entertained, except as provided above and in para 10 below, nor can the fee be held in reserve for any other examination or selection.

10. If any candidate who took the Stenographers' Examination held in 1978 wishes to apply for admission to this examination he must submit his application so as to reach the Commission's Office by the prescribed date without waiting for the results or an offer of appointment. If he is recommended for appointment on the results of the 1978 Examination, his candidature for the 1979 examination will be cancelled on request and the fee refunded to him, as in the case of a candidate not admitted to the examination *vide* para 9 above provided that the request for cancellation of candidature and refund of fee is received in the Commission's Office on or before 30th December, 1978.

11. NO REQUEST FOR WITHDRAWAL OF CANDIDATURE RECEIVED FROM A CANDIDATE AFTER HE HAS SUBMITTED HIS APPLICATION WILL BE ENTERTAINED UNDER ANY CIRCUMSTANCES.

R. S. AHLUWALIA,
Deputy Secretary,
Union Public Service Commission

ANNEXURE

INSTRUCTIONS TO CANDIDATES

1. *Before filling in the application form the candidates should consult the Notice and the Rules carefully to see if they are eligible. The conditions prescribed cannot be relaxed.*

BEFORE SUBMITTING THE APPLICATION THE CANDIDATE MUST SELECT FINALLY FROM AMONG THE CENTRES GIVEN IN PARAGRAPH 1 OF THE NOTICE, THE PLACE AT WHICH HE WISHES TO APPEAR FOR THE EXAMINATION. ORDINARILY NO REQUEST FOR A CHANGE IN THE PLACE SELECTED WILL BE ENTERTAINED.

A candidate wishing to take the examination at an Indian Mission abroad and exercising the option to answer paper (ii) Essay and paper (iii) General Knowledge, and take the Stenography Tests in Hindi in terms of para 4 of Appendix I to the Rules may be required to appear at his own expense, for the Stenography Tests at any Indian Mission abroad where necessary arrangements for holding such tests are available.

2. The application form and the acknowledgement card must be completed in the candidate's own handwriting. All entries/answers should be in words and not by dashes or dots. An application which is incomplete or is wrongly filled in is liable to be rejected.

NOTE.—CANDIDATES SHOULD CLEARLY SPECIFY IN COLUMN 9 OF THE APPLICATION FORM THE LANGUAGE IN WHICH THEY WISH TO ANSWER THE QUESTION PAPERS ON ESSAY AND GENERAL KNOWLEDGE AND TAKE THE STENOGRAPHY TESTS, *VIDE* PARAGRAPH 4 OF APPENDIX I TO THE RULES OF THE EXAMINATION. THE OPTION ONCE EXERCISED SHALL BE TREATED AS FINAL AND NO REQUEST FOR ALTERATION IN THE SAID COLUMN SHALL BE ENTERTAINED. IF NO ENTRY IS MADE IN THE SAID COLUMN IT WILL BE ASSUMED THAT THE PAPERS WILL BE ANSWERED AND THE SHORTHAND TESTS TAKEN IN ENGLISH.

All candidates, whether already in Government Service or in Government owned industrial undertakings or other similar organisations or in private employment, should submit their applications direct to the Commission. If any candidate forwards his application through his employer and it reaches the Union Public Service Commission late, the application, even if submitted to the employer before the closing date, will not be considered.

Persons already in Government service, whether in a permanent or temporary capacity or as work-charged employees other than casual or daily rated employees are, however, required to obtain the permission of Head of their Office/Department before they are finally admitted to the examination. They should send their applications direct to the Commission after detaching the 2 copies of the form of certificate attached at the end of the application form and submit the said forms of certificate immediately to their Head of Office/Department with the request that one copy of the form of certificate duly completed may be forwarded to the Secretary, Union Public Service Commission, New Delhi as early as possible and in any case not later than the date specified in the form of certificate.

3. A candidate must send the following documents with his application :—

(i) CROSSED Indian Postal Orders or Bank Draft for the prescribed fee or attested/certified copy of certificates in support of claim for fee remission (*See* paras 7 and 8 of Notice and para 6 below).

(ii) Attested/Certified copy of Certificate of Age.

(iii) Attested/Certified copy of certificate of Educational qualification.

(iv) Two identical copies of recent passport size (5 cm × 7 cm. approx.) photograph of the candidate.

(v) Attested/Certified copy of certificate in support of claim to belong to Scheduled Caste/Scheduled Tribe, where applicable (*See* para 4 below).

(vi) Attested/Certified copy of certificate in support of claim for age concession where applicable (*See* para 5 below).

NOTE.—CANDIDATES ARE REQUIRED TO SUBMIT ALONG WITH THEIR APPLICATIONS ONLY COPIES OF CERTIFICATES MENTIONED IN ITEMS (ii), (iii) (v) AND (vi) ABOVE, ATTESTED BY A GAZETTED OFFICER OF GOVERNMENT OR CERTIFIED BY CANDIDATES THEMSELVES AS CORRECT. CANDIDATES WHO QUALIFY FOR SHORT HAND TESTS ON THE RESULTS OF THE WRITTEN EXAMINATION WILL BE REQUIRED TO SUBMIT THE ORIGINALS OF THE CERTIFICATES MENTIONED ABOVE SOON AFTER THE DECLARATION OF THE RESULTS OF THE WRITTEN EXAMINATION. THE RESULTS ARE LIKELY TO BE DECLARED IN THE MONTH OF MAY, 1979. CANDIDATES SHOULD KEEP THESE CERTIFICATES IN READINESS AND SUBMIT THEM TO THE COMMISSION SOON AFTER THE DECLARATION OF THE RESULT OF THE WRITTEN EXAMINATION. THE CANDIDATURE OF CANDIDATES WHO FAIL TO SUBMIT THE REQUIRED CERTIFICATES IN ORIGINAL AT THAT TIME WILL BE CANCELLED AND THE CANDIDATES WILL HAVE NO CLAIM FOR FURTHER CONSIDERATION.

Details of the documents mentioned in items (i) to (iv) are given below and of those in items (v) and (vi) are given in paras 4, 5 and 6 :—

(i) (a) *CROSSED Indian Postal Orders for the prescribed fee*—

Each Postal Order should invariably be crossed and completed as follows :

"Pay to the Secretary, Union Public Service Commission at New Delhi General Post Office."

In no case will Postal Orders payable at any other Post Office be accepted. Defaced or mutilated Postal Orders will also not be accepted.

All Postal Orders should bear the signature of the issuing Post Master and a clear stamp of the issuing Post Office.

Candidates must note that it is not safe to send Postal Orders which are neither crossed nor made payable to the Secretary, Union Public Service Commission at New Delhi General Post Office.

(b) *CROSSED Bank Draft for the prescribed fee*—

Bank Draft should be obtained from any branch of the State Bank of India and drawn in favour of Secretary, Union Public Service Commission payable at the State Bank of India Main Branch, New Delhi and should be duly crossed.

In no case will Bank Drafts drawn on any other Bank be accepted. Defaced or mutilated Bank Drafts will also not be accepted.

(ii) *Certificate of Age.*—The date of birth ordinarily accepted by the Commission is that entered in the Matriculation Certificate or in the Secondary School Leaving Certificate, or in a certificate recognised by an Indian University as equivalent to Matriculation or in an extract from a Register of Matriculates maintained by a University, which extract must be certified by the proper authority of the University. A candidate who has passed the Higher Secondary Examination or an equivalent examination may submit an attested/certified copy of the Higher Secondary Examination Certificate or an equivalent Certificate.

The expression Matriculation/Higher Secondary Examination Certificate in this part of the instructions includes the alternative certificates mentioned above.

Sometimes the Matriculation/Higher Secondary Examination Certificate does not show the date of birth or only shows the age by completed years or completed years and months. In such cases a candidate must send in addition to the attested/certified copy of the Matriculation/Higher Secondary Examination Certificate, an attested/certified copy of a certificate from the Headmaster/Principal of the institution from where he passed the Matriculation/Higher Secondary Examination showing the date of his birth or his exact age as recorded in the Admission Register of the institution.

Candidates are warned that unless complete proof of age as laid down in these instructions is sent with an application, the application may be rejected. Further, they are warned that if the date of birth stated in the application is inconsistent with that shown in the Matriculation Certificate/Higher Secondary Examination Certificate and no explanation is offerred, the application may be rejected.

NOTE 1.— A CANDIDATE WHO HOLDS A COMPLETED SECONDARY SCHOOL LEAVING CERTIFICATE NEED SUBMIT AN ATTESTED/CERTIFIED COPY OF ONLY THE PAGE CONTAINING ENTRIES RELATING TO AGE.

NOTE 2.—CANDIDATES SHOULD NOTE THAT ONCE A DATE OF BIRTH HAS BEEN CLAIMED BY THEM AND ACCEPTED BY THE COMMISSION FOR THE PURPOSE OF ADMISSION TO AN EXAMINATION, NO CHANGE WILL ORDINARILY BE ALLOWED AT A SUBSEQUENT EXAMINATION.

NOTE 3.—A candidate who has passed the 10th Class of (i) a recognised Higher Secondary School, (ii) a recognised school preparing students for the Indian School Certificate examination, (iii) the Higher Secondary Course of Sri Aurobindo International Centre of Education, Pondicherry or (iv) Technical Higher Secondary School of the Delhi Polytechnic, must, submit a certificate of age in the form prescribed under Note 3 below para 3(iii) from the Principal/Headmaster of the school concerned and no other certificate as evidence of age will be required.

NOTE 4.—In the case of candidates who are already in permanent Government Service the entries in their Service Book may be accepted as proof of the date of birth and educational qualifications.

(iii) *Certificate of Educational Qualifications.*—A candidate must submit an attested/certified copy of a certificate showing that he has one of the qualifications prescribed in Rule 7. The certificate submitted must be one issued by the authority (i.e. University or other examining body) awarding the particular qualification. If an attested/certified copy of such a certificate is not submitted, the candidate must explain its absence and submit such other evidence, as he can to support his claim to the requisite qualification. The Commission will consider this evidence on its merits but do not bind themselves to accept it as sufficient.

NOTE 1.—A candidate who has appeared at an examination the passing of which would render him educationally qualified for the Commission's examination but has not been informed of the result as also the candidate who intends to appear at such a qualifying examination will *NOT* be eligible for admission to the Commission's examination.

NOTE 2.—A candidate who holds a completed Secondary School Leaving Certificate need submit an attested/certified copy of only the page containing entries regarding the result of the S.S.L.C. examination.

NOTE 3.—A candidate who has passed the 10th Class of (i) a recognised Higher Secondary School, (ii) a recognised School preparing students for the Indian School Certificate Examination, (iii) the Higher Secondary Course of Sri Aurobindo International Centre of Education Pondicherry or (iv) Technical Higher Secondary School of the Delhi Polytechnic, must submit a certificate of educational qualification in the form prescribed below from the Principal/Headmaster of the school concerned.

The form of certificate to be produced by the candidate, [cf : Note 3 under para 3(ii) and Note 3 above].

This is to certify that

(1) Shri/Shrimati/Kumari* ———— son/daughter* of Shri ———— has passed ———— class of this school which is the penultimate class of the course for Higher Secondary School/Indian School Certificate Examination/Higher Secondary Course of Sri Aurobindo International Centre of Education, Pondicherry/Technical Higher Secondary School of the Delhi Polytechnic*.

(2) His/Her* date of birth as recorded in the Admission Register of this School is ————. This has been verified from the Transfer Certificate/Statement made on behalf of the student at the time of his/her* admission to the school*.

(Signature of Headmaster/Principal*)

(Name of the School)

Date————.

Place————

*Strike out whichever is not applicable.

(iv) *Two copies of photograph.*—A candidate must submit two identical copies of his recent passport size (5 cm.×7cm. approximately) photograph one of which should be pasted on the first page of the application form and the other copy should be firmly attached with the application form. Each copy of the photograph should be signed in ink on the front by the candidate.

N.B.—Candidates are warned that if an application is not accompanied with any one of the documents mentioned under

paragraphs 3(ii), 3(iii) and 3(iv) above without a reasonable explanation for its absence having been given, the application is liable to be rejected and no appeal against its rejection will be entertained. The documents not submitted with the application should be sent soon after the submission of the application and in any case they must reach the Commission's office within one month after the last date for receipt of applications. Otherwise, the application is liable to be rejected.

4. A candidate who claims to belong to one of the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes should submit in support of his claim an attested/certified copy of a certificate in the form given below from the District Officer or the Sub-Divisional Officer or any other Officer, as indicated below of the district in which his parents (or surviving parent) ordinarily reside who has been designated by the State Government concerned as competent to issue such a certificate, If both his parents are dead, the officer signing the certificate should be of the district, in which the candidate himself ordinarily resides otherwise than for the purpose of his own education.

The form of the certificate to be produced by Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates applying for appointment to posts under the Government of India.

This is to certify that Shri/Shrimati/Kumari* ——— son/daughter* of ——— of village/town* ——— ——— in District/Division* ——— of the State/Union Territory* ——— belongs to the ——— ——— Caste/Tribe* which is recognised as a Scheduled Castes/Scheduled Tribe* under :—

the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950*

---

the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950*

---

the Constitution (Scheduled Castes) (Union Territories) Order, 1951*

---

the Constitution (Scheduled Tribes) (Union Territories) Order, 1951*

[as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes lists (Modification) Order, 1956, the Bombay Reorganisation Act, 1960, the Punjab Reorganisation Act, 1966, the State of Himachal Pradesh Act, 1970, the North Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971 and the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 1976]

---

the Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956*

---

the Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959 as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 1976*

---

the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order 1962*

---

the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order 1962*

---

the Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes, Order, 1964*

---

the Constitution (Scheduled Tribes) (Uttar Pradesh) Order, 1967*

---

the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Castes Order, 1968*

---

the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes Order, 1968*

---

the Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970*

---

2. Shri/Shrimati/Kumari* ..... and/or* ..... his/her* family ordinarily reside(s) in village/town* ..... of ..... District/Division* of the State/Union Territory* of .....

Signature———

†Designation———

(with seal of office)

State/Union Territory*

Place.....

Date.....

*Please delete the words which are not applicable.

NOTE.—The term "ordinarily reside(s)" used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the People Act, 1950.

†Officers competent to issue Caste/Tribe certificates.

(i) District Magistrate/Additional District Magistrate/ Collector/Deputy Commissioner/Additional Deputy Commissioner/Deputy Collector/1st Class Stipendiary Magistrate/City Magistrate/**Sub-Divisional Magistrate/Taluka Magistrate/Executive Magistrate/ Extra Assistant Commissioner.

**(Not below the rank of 1st Class Stipendiary Magistrate).

(ii) Chief Presidency Magistrate/Additional Chief Presidency Magistrate/Presidency Magistrate.

(iii) Revenue Officers not below the rank of Tehsildar.

(iv) Sub-Divisional Officer of the area where the candidate and/or his family normally resides.

(v) Administrator/Secretary to Administrator/Development Officer, Lakshadwep.

5. (i) A displaced person from erstwhile East Pakistan (now Bangla Desh) claiming age concession under Rule 6(C) (ii) or 6(C) (iii) and/or remission of fee under paragraph 8 of the Notice should produce an attested/certified copy of a certificate from one of the following authorities to show that he is a *bona fide* displaced person from erstwhile East Pakistan (now Bangla Desh) and had migrated to India during the period between 1st January, 1964 and 25th March, 1971 :—

(1) Camp Commandant of the Transit Centres of the Dandakaranya Project or of Relief Camps in various States;

(2) District Magistrate of the Area in which he may, for the time being be resident;

(3) Additional District Magistrates in charge of Refugee Rehabilitation in their respective districts;

(4) Sub-Divisional Officer, within the Sub-Division in his charge.

(5) Deputy Refugee Rehabilitation Commissioner, West Bengal/Director (Rehabilitation), in Calcutta.

(ii) A repatriate or a prospective repatriate of Indian origin from Sri Lanka claiming age concession under Rule 6(C)(iv) or 6(C)(v) and/or remission of fee under paragraph 8 of the Notice should produce an attested/ certified copy of a certificate from the High Commission for India in Sri Lanka to show that he is an Indian citizen who has migrated to India on or after 1st November, 1964, or is to migrate to India under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964.

(iii) A candidate who has migrated from Kenya, Uganda and the United Repulic of Tanzania or who is a repatriate of Indian origin from Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia claiming age concession under Rule 6(C)(vi) should produce an attested/certified copy of a certificate from the District Magistrate of the area in which he may for the time being, be resident to show that he is a *bona fide* migrant from the countries mentioned above.

(iv) A repatriate of Indian origin from Burma claiming age concession under Rule 6(C)(vii) or 6 (C)(viii) and/or remission of fee under paragraph 8 of the Notice should produce an attested/certified copy of the identity certificate issued to him by the Embassy of India, Rangoon to show that he is an Indian citizen who has migrated to India on or after 1st June, 1963, or an attested/certified copy of a certificate from the District Magistrate of the area in which he may be resident to show that he is a *bona fide* repatriate from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963.

(v) A candidate disabled while in the Defence Services, claiming age concession under Rule 6(C)(ix) or 6(C)(x) should produce an attested/certified copy of a certificate in the form prescribed below, from the Director-General, Resettlement, Ministry of Defence, to show that he was disabled while in the Defence Services in operation as during hostilities with any foreign country or in a disturbed area, and released as a consequence thereof.

The form of certificate to be produced by the candidate.

Certified that Rank No. ———— Shri ———— of Unit ———— was disabled while in the Defence Services, in operations during as hostilities with a foreign country/in a disturbed area* and was released as a result of such disability.

Signature.....

Designation.....

Date.....

*Strike out whichever is not applicable.

(vi) A candidate disabled while in the Border Security Force claiming age concession under Rule 6(C)(xi) or 6(C)(xii) should produce, an attested/certified copy of a certificate in the form prescribed below from the Directorate-General Border Security Force, Ministry of Home Affairs, to show that he was disabled while in the Border Security Force in operations, during Indo-Pak hostilities of 1971 and was released as a consequence thereof.

The form of certificate to be produced by the candidate.

Certified that Rank No. ———— Shri ———— of Unit ———— was disabled while in the Border Security Force in operations during Indo-Pak hostilities of 1971 and was released as a result of such disability.

Signature.....

Designation.....

Date.....

(vii) An ex-serviceman claiming remission of fee under para 8 of the Notice should produce an attested/certified copy of the Discharge Certificate issued to him by the Army/Air Force/Naval authorities as proof of his being an ex-serviceman. The certificate must indicate the exact date of his joining the Armed Forces and the date of his release from or transfer to reserve of the Armed Forces, or the anticipated date of his release from or transfer to reserve of the Armed Forces.

(viii) A repatriate of Indian origin who has migrated from Vietnam claiming age concession under Rule 6(C)(xiii) should produce an attested/certified copy of a certificate from the District Magistrate of the area in which he may for the time being be resident to show that he is a *bona fide* repatriate from Vietnam and has migrated to India from Vietnam not earlier than July 1975.

(ix) A candidate claiming age concession under Rule 6 (D) should submit (i) an attested/certified copy of a certificate from the detaining authority under his seal stating that the candidate had been detained under the Maintenance of Internal Security Act or (ii) an attested/certified copy of a certificate from the Sub-Divisional Magistrate having jurisdiction in the area stating that the candidate had been arrested or imprisoned under the Defence and Internal Security of India Act, 1971 or Rules thereunder specifying the dates between which he was arrested or imprisoned and certifying that the detention or arrest or imprisonment, as the case may be, was in pursuance of the candidate's political affiliations or activities or his association with the erstwhile banned organisations.

6. A candidate belonging to any of the categories referred to in para 5(i), (ii) and (iv) above and seeking remission of the fee under paragraph 8 of the Notice should also produce an attested/certified copy of a certificate from a District Officer or a Gazetted Officer of Government or a Member of the Parliament or State Legislature to show that he is not in a position to pay the prescribed fee.

7. A person in whose case a certificate of eligibility is required may be admitted to the Examination but the offer of appointment shall be given only after the necessary eligibility certificate is issued to him by the Government of India.

8. Candidates are warned that they should not furnish any particulars that are false or suppress any material information in filling in the application form.

Candidates are also warned that they should in no case correct or alter or otherwise tamper with any entry in a document or its copy submitted by them nor should they submit a tampered/fabricated document. If there is any inaccuracy or any discrepancy between two or more such documents or its copies, an explanation regarding the discrepancy may be submitted.

9. The fact that an application form has been supplied on a certain date will not be accepted as an excuse for the late submission of an application. The supply of an application form does not *ipso jacto* make the receiver eligible for admission to the examination.

10. If a candidate does not receive an acknowledgement of his application within a month from the last date of receipt of applications for the examination, he should at once contact the Commission for the acknowledgement.

11. Every candidate for this examination will be informed at the earliest possible date of the result of his application. It is not, however, possible to say when the result will be communicated. But if a candidate does not receive from the Union Public Service Commission a communication regarding the result of his application one month before the commencement of the examination, he should at once contact the Commission for the result. Failure to comply with this provision will deprive the candidate of any claim to consideration.

12. Copies of pamphlet containing rules and question papers of five preceding examinations are on sale with the Controller of Publications, Civil Lines, Delhi-110006, and may be obtained from him direct by mail orders or on cash payment. These can also be obtained only against cash payment from (i) the Kitab Mahal, opposite Rivoli Cinema, Emporia Building 'C Block' Baba Kharag Singh Marg, New Delhi-110001, (ii) Sale Counter of the Publications Branch, Udyog Bhawan, New Delhi-110001 and (iii) the Government of India Book Depot 8, K. S. Roy Road Calcutta-1. The pamphlets are also obtainable from the agents for the Government of India Publications at various mofussil towns.

13. Candidates are not entitled to receive any Travelling Allowance from the Union Public Service Commission for attending the examination.

14. *Communications regarding Applications.*—ALL COMMUNICATIONS IN RESPECT OF AN APPLICATION SHOULD BE ADDRESSED TO THE SECRETARY, UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION, DHOLPUR HOUSE, SHAHJAHAN ROAD, NEW DELHI-110011, AND SHOULD INVARIABLY CONTAIN THE FOLLOWING PARTICULARS :—

(1) NAME OF EXAMINATION.

(2) MONTH AND YEAR OF EXAMINATION.

(3) ROLL NUMBER OR THE DATE OF BIRTH OF CANDIDATE IF THE ROLL NUMBER HAS NOT BEEN COMMUNICATED.

(4) NAME OF CANDIDATE (IN FULL AND IN BLOCK CAPITALS).

(5) POSTAL ADDRESS AS GIVEN IN APPLICATION.

N.B.—Communications not containing the above particulars may not be attended to.

15. *Change in Address.*—A CANDIDATE MUST SEE THAT COMMUNICATIONS SENT TO HIM AT THE ADDRESS STATED IN HIS APPLICATION ARE REDIRECTED, IF NECESSARY. CHANGE IN ADDRESS SHOULD BE COMMUNICATED TO THE COMMISSION AT THE EARLIEST OPPORTUNITY GIVING THE PARTICULARS MENTIONED IN PARAGRAPH 14 ABOVE ALTHOUGH THE COMMISSION MAKE EVERY EFFORT TO TAKE ACCOUNT OF SUCH CHANGES THEY CANNOT ACCEPT ANY RESPONSIBILITY IN THE MATTER.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1978